दृष्टि The Vision

मेन्स आंसर राइटिंग

(Consolidation)

सितंबर 2024

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 3

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 6
- भूगोल 8
- भारतीय विरासत एवं संस्कृति 11

सामान्य अध्ययन पेपर-2 15

- राजनीति और शासन 15
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 19
- सामाजिक न्याय 22

सामान्य अध्ययन पेपर-3 27

- अर्थव्यवस्था 27
- आंतरिक सुरक्षा 29
- जैवविविधता और पर्यावरण 32
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी 33

सामान्य अध्ययन पेपर-4 37

- सैद्धांतिक प्रश्न 37
- केस स्टडी 46

निबंध 56

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : चोल साम्राज्य की समुद्री शक्ति का दक्षिण-पूर्व एशिया पर व्यापक प्रभाव था। चोल साम्राज्य के समुद्री प्रभुत्व में योगदान देने वाले कारकों को बताते हुए क्षेत्रीय व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- चोल राजवंश के शासन का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिए।
- समुद्री प्रभुत्व में योगदान देने वाले कारक बताइए।
- क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर पड़ने वाले प्रभाव का गहन अध्ययन कीजिए।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

दक्षिण भारत के सबसे लम्बे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक चोल वंश 9वीं शताब्दी में पल्लवों को पराजित करने के बाद सत्ता में आया और 13 वीं शताब्दी तक अपना शासन जारी रखा।

- इस अवधि के दौरान, आदित्य प्रथम और परंतक प्रथम जैसे राजाओं ने अपने शासन को सुदृढ़ किया, जबकि राजराजा चोल तथा राजेंद्र चोल ने साम्राज्य का विस्तार तमिल क्षेत्र में किया, बाद में कुलोथुंगा चोल ने कलिंग पर विजय प्राप्त की।

मुख्य भाग:

समुद्री प्रभुत्व में योगदान देने वाले कारक

- **सामरिक भौगोलिक स्थिति:** चोल साम्राज्य का **कोरोमंडल तट और मालाबार तट के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण था।** इससे उन्हें बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों तक पहुँच प्राप्त हो गयी।
  - **उदाहरण : कावेरीपूमपट्टिनम (पुहार)** जैसे बंदरगाहों पर नियंत्रण से समुद्री मार्गों तक आसान पहुँच संभव हो गई।
- **उन्नत जहाज़ निर्माण प्रौद्योगिकी:** चोलों ने परिष्कृत जहाज़ निर्माण तकनीक विकसित की।
  - उन्होंने विभिन्न प्रकार के जहाज़ों का निर्माण किया, जिनमें लंबी दूरी की यात्रा करने के लिये बड़े जहाज़ भी शामिल थे।
- **मज़बूत नौसैनिक बेड़ा:** चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, जो व्यापार मार्गों की सुरक्षा और शक्ति प्रदर्शन के लिये आवश्यक थी।
- राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम जैसे शासकों के अधीन नौसैनिक अभियान चलाए गए।
  - **उदाहरण :** 1025 ई. में राजेंद्र प्रथम के दक्षिण-पूर्व एशिया के नौसैनिक अभियान ने उनकी समुद्री शक्ति का प्रदर्शन किया।
- **आर्थिक नीतियाँ:** चोलों ने अनुकूल आर्थिक नीतियों के माध्यम से समुद्री व्यापार को प्रोत्साहित किया। उन्होंने व्यापार संघों की स्थापना की और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की।
- **राजनयिक संबंध:** चोलों ने विभिन्न दक्षिण-पूर्व एशियाई राज्यों के साथ **राजनयिक संबंध बनाए रखे।** इन संबंधों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सुविधा हुई।
  - **उदाहरण :** वर्तमान इंडोनेशिया में श्रीविजय साम्राज्य में राजनयिक मिशन भेजे गए थे।

क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर प्रभाव

- **व्यापार नेटवर्क का विस्तार:** चोलों ने दक्षिण भारत को दक्षिण-पूर्व एशियाई बाज़ारों से जोड़ा। **मसालों, वस्त्रों, बहुमूल्य पत्थरों और धातुओं का व्यापार फला-फूला।**
  - **उदाहरण : इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में चोल सिक्कों की खोज व्यापक व्यापार नेटवर्क का संकेत देती है।**
- **सांस्कृतिक प्रसार:** चोल प्रभाव के कारण दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति, धर्म और कला का प्रसार हुआ।
- इसने **दक्षिण-पूर्व एशियाई समाज के "भारतीयकरण" में योगदान दिया।**
- **वास्तुकला प्रभाव:** चोल स्थापत्य शैली ने दक्षिण पूर्व एशियाई मंदिर वास्तुकला को प्रभावित किया।
- यह बात विशेष रूप से हिंदू और बौद्ध मंदिरों की संरचना में स्पष्ट होती है।
  - **उदाहरण : कंबोडिया में अंगकोरवाट के मंदिरों में चोल वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव दिखता है।**

नोट :

- **भाषाई प्रभाव:** तमिल भाषा और साहित्य दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों में फैल गया। विभिन्न दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में तमिल भाषा में शिलालेख पाए गए हैं।
  - **उदाहरण:** सुमात्रा में खोजे गए तमिल शिलालेख 11वीं शताब्दी के हैं।

निष्कर्ष:

चोल साम्राज्य का समुद्री प्रभुत्व रणनीतिक भौगोलिक लाभ, उन्नत नौसैनिक प्रौद्योगिकी, मज़बूत आर्थिक नीतियों और कूटनीतिक कौशल का परिणाम था। इस प्रभुत्व का क्षेत्रीय व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में एक स्थायी विरासत छोड़ी जो आज भी क्षेत्र की कला, वास्तुकला, धर्म एवं सांस्कृतिक प्रथाओं में दिखाई देती है।

प्रश्न : द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने के साथ स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण को किस प्रकार प्रभावित किया? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत पर पड़े समग्र प्रभावों का वर्णन कीजिये।
- भारत पर पड़े द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख प्रभाव एवं उनके निहितार्थों का वर्णन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

द्वितीय विश्व युद्ध (1939-1945) का भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा और इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया।

- युद्ध के दौरान **भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों में काफी बदलाव आए,** भारत के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम में तेज़ी आई तथा **अंततः वर्ष 1947 में देश की स्वतंत्रता के लिये एक मंच तैयार हुआ।**

मुख्य भाग:

प्रमुख प्रभाव:

- **भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का ध्रुवीकरण:** द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण में विभाजन हो गया:
  - महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारतीय **राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने** युद्ध में भारत की अनैच्छिक भागीदारी का विरोध किया।
    - वर्धा में आयोजित कॉन्ग्रेस **कार्यसमिति (सितंबर 1939) ने** संकल्प लिया कि भारत अपनी स्वतंत्रता से वंचित होकर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिये युद्ध का समर्थन नहीं कर सकता है।
  - **मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने** राजनीतिक रियायतों के बदले में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया।
- **अगस्त प्रस्ताव (1940) और इसके परिणाम:**
  - ब्रिटिश सरकार ने **अगस्त प्रस्ताव रखा,** जिसमें युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया गया।
    - इस प्रस्ताव को **कॉन्ग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया,** जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया।
  - **क्रिप्स मिशन (1942)**
    - सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने युद्ध के पश्चात् भारत के स्वशासन हेतु एक योजना प्रस्तावित की।
    - इस योजना **की विफलता ने** ब्रिटिश उद्देश्यों और भारतीय राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के मध्य बढ़ते अंतराल को उजागर किया।
- **भारत छोड़ो आंदोलन (1942)**
  - क्रिप्स मिशन की विफलता के परिणामस्वरूप **कॉन्ग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया।**
  - इस व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन ने तत्काल स्वतंत्रता की मांग की दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन को चिह्नित किया।
- **ब्रिटिश शक्ति का क्षीण होना:**
  - इस युद्ध ने **ब्रिटेन को आर्थिक और सैन्य दृष्टि से काफी कमज़ोर कर दिया,** जिससे भारत पर औपनिवेशिक नियंत्रण बनाए रखने की उसकी क्षमता में कमी आई।
  - युद्ध प्रयासों में भारतीयों की भागीदारी से आत्मविश्वास बढ़ा और अपनी मांगों को मनवाने की इनकी शक्ति मज़बूत हुई।
- **आर्थिक प्रभाव और सामाजिक परिवर्तन**
  - युद्ध के कारण मुद्रास्फीति और खाद्यान्न की कमी सहित आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं, जिससे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष को बढ़ावा मिला।
  - इसके कारण सामाजिक परिवर्तन भी हुए, जिनमें **शहरीकरण और औद्योगीकरण में वृद्धि प्रमुख है।**

नोट :

- **उदाहरण: वर्ष 1943 का बंगाल अकाल** युद्धकालीन नीतियों के कारण और भी गंभीर हो गया, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई तथा ब्रिटिश विरोधी भावना में तीव्रता आई।

निष्कर्ष:

द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्प्रेरक का कार्य किया। इसने ब्रिटिश शासन की कमज़ोरियों को उजागर किया, राष्ट्रवादी भावनाओं को तीव्र किया और राजनीतिक घटनाक्रमों को गति दी। भारत पर युद्ध का प्रभाव इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार से **वैश्विक घटनाएँ राष्ट्रीय आंदोलनों को गहराई से प्रभावित करने के साथ राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दे सकती हैं।**

प्रश्न : वर्ष 1917 की रूसी क्रांति का भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। इसने भारतीय राजनीतिक चिंतन को किस प्रकार प्रभावित किया? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- रूसी क्रांति का उल्लेख करते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये
- राजनीतिक विचार पर अधिक बल देते हुए भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन पर वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव का वर्णन कीजिये
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

वर्ष 1917 की रूसी क्रांति, जो वैश्विक इतिहास की एक निर्णायक परिघटना थी, का भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

- **ज़ारवादी शासन** का तख्तापलट और समाजवादी राज्य की स्थापना ने भारतीय राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिये **नए विचार, प्रेरणा और कार्यनीति प्रदान की।**

मुख्य भाग:

वर्ष 1917 की रूसी क्रांति का भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन पर प्रभाव:

- **साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष के लिये प्रेरणा:** रूसी क्रांति ने यह प्रदर्शित किया कि एक दमनकारी शासन को उखाड़ फेंकना संभव है तथा इसने भारतीय राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिये प्रेरित किया।
  - **जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने** कहा था: *"**सोवियत क्रांति ने मानव समाज को एक बड़े लंघन से अग्रेषित किया** था और एक उज्ज्वल लौ को प्रज्वलित किया जिसे बुझाया नहीं जा सकता था एवं इसने एक नई सभ्यता की नींव रखी थी जिसकी ओर विश्व आगे बढ़ सकता था"*
- **समाजवादी और साम्यवादी विचारों का परिचय:** क्रांति ने भारतीय राजनीतिक विमर्श में समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं को प्रस्तुत किया, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया।
  - **वर्ष 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी** का गठन किया गया। भारतीय क्रांतिकारी एम.एन. रॉय ने इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **श्रमिकों और किसानों के अधिकार:** इस क्रांति ने श्रमिकों और किसानों के अधिकारों के महत्त्व को प्रकट किया, जिसके परिणामस्वरूप भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन समूहों पर अधिक ध्यान दिया गया।
  - **वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (AITUC)** का गठन किया गया।
  - किसान आंदोलनों पर अधिक बल दिया गया, जैसे वर्ष 1917 **में गांधीजी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह।**
- **पूंजीवादी और सामंती प्रणालियों को चुनौती:** क्रांति ने मौजूदा आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं पर प्रश्न उठाया, जिससे भारतीय नेताओं को स्वतंत्र भारत के लिये वैकल्पिक प्रणालियों की परिकल्पना करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
  - वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा **"पूर्ण स्वराज"** की अवधारणा को अंगीकृत किया गया, जो कि डोमिनियन दर्जे की पूर्व मांग से आगे बढ़ गया।
- **क्रांतिकारी आंदोलनों पर प्रभाव: बोल्शेविकों** की सफलता ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर अधिक उग्र, क्रांतिकारी दृष्टिकोण को उत्प्रेरित किया।
- **अंतर्राष्ट्रीय संघीभाव:** इस क्रांति ने शोषित और उत्पीड़ित लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संघीभाव के विचार को प्रोत्साहित किया, **जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को राष्ट्रीय सीमाओं से परे समर्थन प्राप्त करने के लिये प्रभावित किया गया।**
  - **वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स** में स्थापित **लीग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म** में भारतीय राष्ट्रवादियों की भागीदारी।
- **सामाजिक संरचनाओं की पुनर्कल्पना:** समानता पर क्रांति के प्रेरणस्थान ने भारतीय विचारकों को जाति व्यवस्था सहित पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रमों को चुनौती देने के लिये प्रेरित किया।
  - **बी.आर. अंबेडकर द्वारा दलित अधिकारों** और सामाजिक सुधार के लिये वकालत।

नोट :

निष्कर्ष:

वर्ष 1917 की रूसी क्रांति का भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन और राजनीतिक विचार पर गहरा एवं बहुआयामी प्रभाव पड़ा। इसने **नई विचारधाराओं को प्रस्तुत किया, मौजूदा व्यवस्थाओं को चुनौती दी, क्रांतिकारी उत्साह को प्रेरित किया तथा आर्थिक और सामाजिक विचार को प्रभावित किया।**

भारतीय समाज

प्रश्न : हाल के दशकों में पारंपरिक भारतीय पारिवारिक संरचना में प्रमुख परिवर्तन हुए हैं। शहरीकरण एवं वैश्वीकरण के प्रभाव पर विशेष बल देते हुए भारतीय परिवार की बदलती प्रकृति का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारतीय पारिवारिक संरचना में प्रमुख परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारतीय परिवारों की बदलती प्रकृति पर गहनता से विचार कीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय परिवार प्रणाली, जो पारंपरिक रूप से संयुक्त परिवारों और मज़बूत संबंधों की विशेषता रखती है, में हाल के दशकों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

- शहरीकरण और वैश्वीकरण इन परिवर्तनों के प्रमुख चालक रहे हैं, जिन्होंने पारिवारिक संरचनाओं, रिश्तों तथा मूल्यों को नया आकार दिया है।

मुख्य बिंदु:

भारतीय परिवारों का बदलता स्वरूप:

- **शहरीकरण के कारण:**
  - **संयुक्त से एकल परिवारों की ओर बदलाव:** एकल परिवारों का प्रचलन, खासतौर पर शहरी इलाकों में बढ़ रहा है। मुंबई और बंगलुरु जैसे महानगरों में अब ज़्यादातर संख्या एकल परिवारों की है।
    - **कारण:** शहरीकरण के कारण रोज़गार के अवसरों हेतु लोगों का गाँव से शहर की ओर पलायन, जिससे प्राय: परिवार के सदस्य भौगोलिक दृष्टि से अलग हो रहे हैं और संयुक्त परिवार एकल परिवारों में विघटित हो रहे हैं।
- पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में आईटी क्षेत्र का विस्तार होने से भारत के युवा पेशेवरों के पलायन में वृद्धि के परिणामस्वरूप एकल परिवार का निर्माण हो रहा है।
  - **परिवार के आकार में परिवर्तन:** परिवार का आकार संक्षिप्त हो रहा है तथा प्रति परिवार बच्चों की औसत संख्या में भी कमी आ रही है।
    - भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) वर्ष 1992-93 में 3.4 से घटकर वर्ष 2019-21 में 2.0 हो गई है, जो एकल परिवारों की ओर बदलाव का संकेत है।
    - **कारण:** परिवार नियोजन के बारे में बढ़ती जागरूकता, उच्च शिक्षा स्तर और कॅरियर हेतु आकांक्षाएँ इस प्रवृत्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - **एकल-अभिभावक परिवारों का उदय:** एकल-अभिभावक परिवारों में वृद्धि।
    - संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा जारी 'विश्व की महिलाओं की प्रगति 2019-2020' रिपोर्ट के अनुसार सभी भारतीय परिवारों में से 4.5% परिवार केवल माता द्वारा संचालित हैं।
    - **कारण:** तलाक की उच्च दर, व्यक्तिगत पसंद तथा एकल अभिभावकत्व।
- **सुष्मिता सेन और तुषार कपूर** जैसी बॉलीवुड हस्तियों द्वारा एकल अभिभावकत्व का चयन करने से इस पारिवारिक संरचना को सामान्य बनाने में मदद मिली है।
  - **बदलते रीति-रिवाज़ और परंपराएँ:** पारंपरिक पारिवारिक रीति-रिवाज़ों और परंपराओं का अनुकूलन और कमज़ोर पड़ना।
    - भारत में बड़े स्तर पर आयोजित शादियों के बजाय छोटे पैमाने पर, अंतरंग शादियाँ युवाओं के लिये पसंदीदा विकल्प बन गई हैं।
    - **कारण:** समय की कमी, शहरीकरण और सांस्कृतिक प्रभावों का सम्मिश्रण।
- दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान व्यस्त शहरी परिवारों के लिये **"लघु प्रारूप (Short-Format)"** पूजा की पेशकश करने वाले पेशेवर पुजारियों का उदय।
- **वैश्वीकरण के कारण:**
  - **लिंग भूमिका का विकास:** परिवारों में अधिक समतावादी लिंग भूमिकाओं की ओर धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2021-22 में श्रम बल में

नोट :

महिलाओं की भागीदारी में 9.5% अंकों की वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि अधिक महिलाएँ कॅरियर के विकल्प चुन रही हैं।

- **कारण:** शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक विचारों से परिचय ने महिलाओं को सशक्त बनाया है तथा पारंपरिक लिंग मानदंडों को चुनौती दी है।
- इसके अलावा, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2018 के फैसले से LGBTQ+ रिश्तों की सादृश्यता और स्वीकृति बढ़ी है, जिससे पारंपरिक पारिवारिक मानदंडों को चुनौती मिली है।

- **विवाह के बदलते स्वरूप:** विलंब से विवाह करने की प्रवृत्ति में बदलाव, तलाक की दर में वृद्धि हुई तथा अंतर्जातीय एवं अंतर्धार्मिक विवाहों को अधिक स्वीकृति मिली है।
  - भारत में महिलाओं की शादी की औसत आयु 2011 की जनगणना के अनुसार 21.2 वर्ष थी, जो वर्ष 2017 में 22.1 वर्ष हो गई।
  - **कारण:** उच्च शिक्षा स्तर, कॅरियर संबंधी प्राथमिकताएँ और बदलते सामाजिक मानदंड इन बदलावों में योगदान करते हैं।
- **मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बदलते दृष्टिकोण:** परिवारों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता और स्वीकृति बढ़ रही है।
  - **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16** के अनुसार, भारत की 15% आबादी को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य संबंधी संवाद की आवश्यकता है। जिससे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में परिवार में स्पष्ट तौर पर संवाद होने लगा है।
  - **कारण:** मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा, मीडिया कवरेज और सेलिब्रिटी समर्थन में वृद्धि।

निष्कर्ष:

शहरीकरण और वैश्वीकरण के कारण भारतीय परिवारों की रूपरेखा में काफी बदलाव आया है, पारंपरिक संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की ओर बदलाव हुआ है तथा महिलाओं को सशक्त बनाया गया है। हालाँकि इन बदलावों ने अधिक व्यक्तिवाद और वैकल्पिक पारिवारिक संरचनाओं की स्वीकार्यता को जन्म दिया है, लेकिन परिवार, भारत में समर्थन एवं पहचान का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

प्रश्न : आर्थिक उदारीकरण ने भारत में सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति को किस हद तक प्रभावित किया है? उभरती वर्ग संरचनाओं और उपभोग प्रारूप के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में आर्थिक उदारीकरण पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये।
- पारंपरिक सामाजिक स्तरीकरण पर इसका प्रभाव का वर्णन कीजिये।
- इस बात पर प्रकाश डालिये कि किस प्रकार इसने नई वर्ग संरचनाओं के उद्भव को जन्म दिया है।
- स्पष्ट कीजिये कि यह परिवर्तित होते उपभोग प्रारूप को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में वर्ष 1991 में शुरू किये गए **आर्थिक उदारीकरण** ने देश के **सामाजिक संविन्यास**, विशेषकर इसके सामाजिक स्तरीकरण पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

- बड़े पैमाने पर नियंत्रित अर्थव्यवस्था से अधिक **बाज़ार-उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर इस स्थानांतरण ने वर्ग संरचनाओं और उपभोग प्रारूप को** नया रूप प्रदान किया है।

मुख्य भाग:

पारंपरिक सामाजिक स्तरीकरण पर प्रभाव:

- **जाति-आधारित व्यवसायों का शिथिलन:** आर्थिक उदारीकरण ने पारंपरिक जाति-आधारित व्यवसायों से परे अवसर प्रदान किये हैं।
- **परिवर्तित होती ग्रामीण सामाजिक गतिशीलता:** नौकरियों के लिये शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन ने ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं को परिवर्तित कर दिया है।
  - वर्ष 2001 और वर्ष 2011 की जनगणना के बीच भारत का शहरीकरण **27.8% से बढ़कर 31.1%** हो गया।
- **उपभोक्ता-आधारित अस्मिता:** ब्रांड चेतना और उपभोग प्रारूप उत्तरोत्तर सामाजिक स्थिति को परिभाषित करते हैं।
  - नये मध्यम वर्ग में **"विशिष्ट उपभोग"** का उदय

नोट :

नई वर्ग संरचनाओं का उदय:

- **मध्यम वर्ग का उदय:** आर्थिक उदारीकरण के कारण **मध्यम वर्ग का विस्तार और विविधीकरण हुआ है,** जो वर्ष 1995 एवं वर्ष 2021 के बीच प्रति वर्ष 6.3% की दर से बढ़ रहा है।
  - वर्तमान में यह **जनसंख्या का 31% है** और **वर्ष 2047 तक इसके 60%** हो जाने की उम्मीद है।
  - आईटी क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि ने **समृद्ध शहरी पेशेवरों का एक नया समूह निर्मित किया।**
- **"नए अमीर" वर्ग का उदय:** उद्यमियों और व्यापार मालिकों का एक वर्ग उभरा, जो **कम विनियमन तथा वर्द्धित विदेशी निवेश से लाभांवित हुआ।**
  - वर्ष 2021 में भारत में 7.96 लाख करोड़पति थे।
- **आय असमानता में वृद्धि:** उदारीकरण ने नए अवसर सृजित करने के साथ-साथ **अमीर और गरीब के बीच की खाई को भी चौड़ा कर दिया है।**
  - भारत के सबसे अमीर **1% लोगों के पास 40% संपत्ति है।** भारत के लिये गिनी गुणांक वर्ष **1993 में 0.32 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 0.4197 हो गया है,** जो वर्द्धित असमानता को प्रदर्शित करता है।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** आर्थिक सुधारों से शहरी क्षेत्रों को अनुपातहीन रूप से लाभ पहुँचा है, जिससे **ग्रामीण-शहरी विभाजन और अधिक स्पष्ट हो गया है।**
  - उदाहरण के लिये, डिजिटल आर्थिक विकास के संदर्भ में, NSSO के आँकड़ों के अनुसार, **केवल 24% ग्रामीण भारतीय परिवारों के पास इंटरनेट तक पहुँच है,** जबकि शहरों में यह 66% है।

परिवर्तित होते उपभोग प्रारूप:

- **उपभोक्ता व्यय में वृद्धि:** उदारीकरण के कारण विभिन्न वर्गों की प्रयोज्य आय में वृद्धि हुई है तथा उपभोक्ता व्यय में भी वृद्धि हुई है।
  - भारत का निजी उपभोग व्यय आँकड़ा वर्ष 1996 से वर्ष **2024 तक औसतन 220.318 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहेगा।**
- **विलासिता और ब्रांडेड वस्तुओं की ओर रुझान:** उभरता हुआ मध्यम और उच्च वर्ग विलासिता एवं ब्रांडेड उत्पादों के प्रति रूचि प्रदर्शित कर रहा है।
  - भारत का लक्ज़री बाज़ार वर्ष **2030 तक अपने वर्तमान आकार से 3.5 गुना बढ़कर 85-90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।**
- **पश्चिमी उपभोग मॉडल का अंगीकरण:** वैश्विक प्रवृत्तियों के प्रति बढ़ते रुझान के कारण पश्चिमी उपभोग प्रारूप को अंगीकृत किया गया है।
- **भारत के फास्ट फूड बाज़ार का आकार वर्ष 2024-2032 के दौरान 9.72%** की वृद्धि दर (CAGR) प्रदर्शित करने का अनुमान है।

निष्कर्ष:

आर्थिक उदारीकरण ने उर्ध्वगामी गतिशीलता के नए अवसर प्रदान किये हैं और मध्यम वर्ग का विकास किया है, लेकिन इसके साथ ही इसने असमानताओं को भी बढ़ाया है तथा नए सामाजिक विभाजन उत्पन्न किये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये कि **आर्थिक विकास के लाभ अधिक समान रूप से वितरित किये जाएँ,** देश के समक्ष मौजूद अंतर्निहित सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है।

भूगोल

प्रश्न : कार्स्ट भूदृश्यों के निर्माण एवं उनकी विशेषताओं की चर्चा कीजिये। इसके साथ ही जल संसाधनों तथा भूमि उपयोग पर इनके प्रभाव को बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- कार्स्ट भूदृश्यों को परिभाषित कर उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- कार्स्ट परिदृश्यों के निर्माण और उनकी विशेषताओं पर गहराई से विचार कीजिये।
- जल संसाधनों और भूमि उपयोग पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कार्स्ट भूदृश्यों विशिष्ट भू-भाग हैं जो घुलनशील चट्टानों (कैल्शियम कार्बोनेट से परिपूर्ण), मुख्य रूप से चूना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सम पर विकसित होते हैं। **पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और घुलनशील तलशिला** के बीच की परस्पर क्रिया सिंकहोल, केव्स, भूमिगत जल निकासी नेटवर्क और विशिष्ट सतह संरचनाओं की एक जटिल प्रणाली बनाती है।

नोट :

मुख्य भाग:

कार्स्ट भूदृश्यों निर्माण के लिये अनुकूल दशाएँ:

- **विलयशील चट्टान:** आसानी से घुलने वाली चट्टानों की उपस्थिति, मुख्य रूप से चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम या नमक आदि।
- **पर्याप्त वर्षा:** विघटन प्रक्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने के लिये पर्याप्त वर्षा या हिमपात।
- **खंडित या संयुक्त चट्टान:** पानी के प्रवेश की अनुमति देने के लिये चट्टान में दरारें, जोड़ या बिस्तर की सतह की उपस्थिति।
- **समय:** विकास के लिये लंबी भू-वैज्ञानिक अवधि।
- **जलवायु:** प्रक्रिया को तेज़ करने के लिये अधिमानत: गर्म और आर्द्र परिस्थितियाँ।
- **भूजल आंदोलन:** भूजल का सक्रिय परिसंचरण।

कार्स्ट भूदृश्यों की विशेषताएँ:

- **सिंकहोल (डोलिन):** सतह पर गोलाकार गड्ढे।
- **गुफाएँ और गुहाएँ:** विस्तृत भूमिगत खोखले स्थान और मार्ग।
- **लुप्त होती धाराएँ:** सतही धाराएँ जो अचानक भूमिगत रूप से लुप्त हो जाती हैं।
- **स्प्रिंग्स और पुनरुत्थान:** वे बिंदु जहाँ भूमिगत जल सतह पर आ जाता है।
- **कार्स्ट विंडोज:** वे जहाँ भूमिगत धाराएँ कुछ समय के लिये दिखाई देती हैं।
- **करेन:** रिल्स, ग्रिक्स और क्लिंट जैसी छोटी-छोटी सतही विशेषताएँ।
- **पोलजेस:** कार्स्ट क्षेत्रों में बड़े, सपाट तल वाले गड्ढे।
- **मिट्टी आवरण की अनुपस्थिति:** क्योंकि सतह पर पानी का जमाव कम और जल निकासी जल्दी होती है।

जल संसाधन और भूमि उपयोग पर प्रभाव:

- **भूजल संसाधन:** कार्स्ट क्षेत्रों में अक्सर भूमिगत गुफाओं और जलभृतों (जैसे- टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में एडवर्ड्स एक्वीफर) में प्रचुर मात्रा में भूजल संसाधन संग्रहित होते हैं।
  - हालाँकि ये **संसाधन प्रदूषण और अति-निष्कर्षण के प्रति संवेदनशील** हो सकते हैं, क्योंकि संदूषक आसानी से सिंकहोल्स तथा दरारों के माध्यम से भूजल में घुस सकते हैं।
- **कृषि गतिविधियाँ:** कार्स्ट भूदृश्य, विशेष रूप से अपक्षयित चूना पत्थर से विकसित उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में (उदाहरण के लिये, दक्षिणी चीन में कार्स्ट पठार), कृषि के लिये उपयुक्त हो सकते हैं।
  - हालाँकि मृदा क्षरण और भूजल प्रदूषण से बचने के लिये कृषि पद्धतियों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिये।
- **पर्यटन:** कार्स्ट भूदृश्य, अपनी अद्वितीय भू-वैज्ञानिक विशेषताओं और प्राकृतिक सुंदरता के कारण लोकप्रिय पर्यटन स्थल हो सकते हैं (उदाहरण के लिये, स्लोवेनिया में पोस्टोजिना गुफा)।
  - गुफा पर्यटन, पैदल यात्रा और अन्य बाहरी गतिविधियाँ स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकती हैं।

निष्कर्ष:

कार्स्ट भूदृश्य विलयशील चट्टानों के विघटन से आकार लेने वाली अद्वितीय भू-वैज्ञानिक संरचनाएँ हैं। कार्स्ट परिदृश्यों के निर्माण, विशेषताओं और प्रभावों को समझना इन मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों के सतत् विकास तथा प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न : पश्चिमी विक्षोभ क्या हैं? वे उत्तर भारत में मौसम के प्रारूप को कैसे प्रभावित करते हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- पश्चिमी विक्षोभ को परिभाषित करके उत्तर की भूमिका लिखिये
- यह कैसे निर्मित होता है और इसकी मुख्य विशेषताएँ बताइए
- उत्तर भारत के मौसम पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिये
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

पश्चिमी विक्षोभ (WD) शीतोष्ण चक्रवात प्रणाली हैं जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं **और पूर्व की ओर बढ़ती हैं तथा** भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भागों में अचानक शीत ऋतु में वृष्टि और हिमपात का कारण बनती हैं।

मुख्य भाग:

उत्पत्ति और विशेषताएँ:

- **उत्पत्ति: पश्चिमी विक्षोभ** प्राय: शीत ऋतु और वसंत ऋतु की शुरुआत के दौरान **भूमध्यसागर या अटलांटिक महासागर** में निर्मित होता हैं।
- **संचलन:** ये प्रणालियाँ **यूरोप और मध्य एशिया से होते हुए पूर्व की ओर बढ़ती हैं** और अंतत: भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुँचती हैं।
- **विशेषताएँ:** पश्चिमी विक्षोभ की विशेषताएँ उनके **निम्न-दाब केंद्रों,** संबद्ध **वाताग्रों (गर्म और ठंडे)** तथा वर्षा से होती हैं।
  - वे जिन क्षेत्रों से गुजरते हैं, वहाँ प्राय: भारी **वर्षा, हिमपात और तापमान में परिवर्तन लाते हैं।**

नोट :

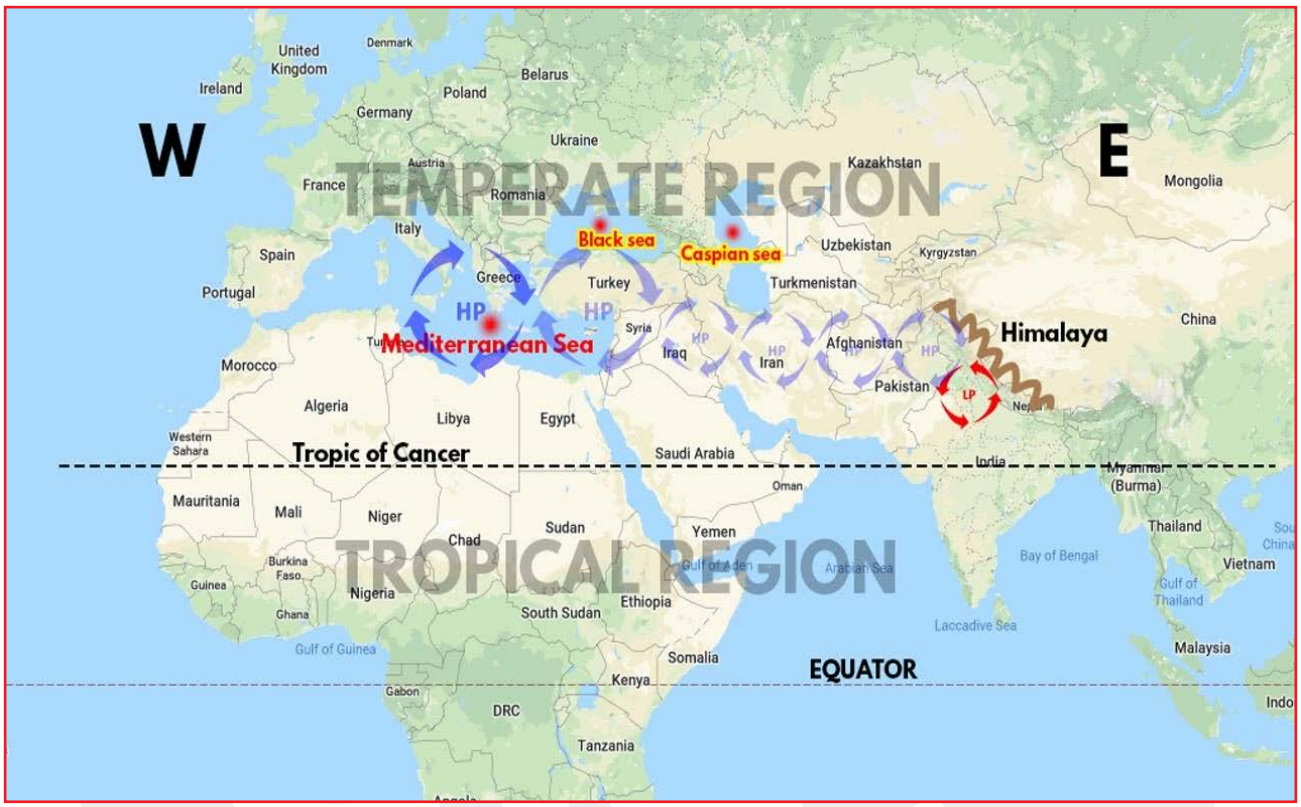

उत्तर भारत के मौसम पर प्रभाव:

- **शीतकालीन वर्षा: पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर** के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा का प्राथमिक स्रोत है।
  - पश्चिमी विक्षोभ द्वारा संवहित वर्षा **कृषि और भूजल स्तर की पुन:प्राप्ति के लिये आवश्यक है।**
- **तापमान उच्चावचन:** पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने से तापमान में महत्त्वपूर्ण उच्चावचन हो सकता है।
  - पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित वायु राशियों के कारण **तापमान में अचानक गिरावट आ सकती है,** जिससे शीत ऋतु के समान स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
    - इसके विपरीत, पश्चिमी विक्षोभ का गर्म क्षेत्र मृदु तापमान का कारण बन सकता है।
- **हिमपात: हिमालय** के उन्नतांश क्षेत्रों में, **पश्चिमी विक्षोभ हिमपात का कारण बन सकता है,** जो हिमनदों और नदियों में हिम आवरण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - यह हिम विगलन सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **कृषि प्रभाव:** पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में कृषि के लिये लाभदायक हैं, क्योंकि वे **फसलों के लिये आवश्यक आर्द्रता प्रदान करते हैं।**
  - यद्यपि, अत्यधिक वर्षा या असमय हिमपात से भी फसलों को नुकसान हो सकता है।
    - **वर्ष 2019** में **पश्चिमी विक्षोभ** के कारण हरियाणा में सरसों **की फसल प्रभावित हुई** और **पंजाब में आलू की फसल को नुकसान पहुँचा।**

निष्कर्ष:

पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के मौसम के प्रारूप को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर **शीत ऋतु के महीनों के दौरान।** इनका प्रभाव मौसम विज्ञान से परे होता है, जो **कृषि, जल संसाधनों और क्षेत्र की समग्र अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।**

नोट :

भारतीय विरासत एवं संस्कृति

प्रश्न : आधुनिक भारत में सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने में पारंपरिक भारतीय वास्तुकला सिद्धांतों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए परिचय दीजिये।
- प्रमुख पारंपरिक वास्तुकला सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग बताइये।
- कार्यान्वयन में चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सदियों के ज्ञान और अनुभव पर आधारित **पारंपरिक भारतीय वास्तुकला आधुनिक भारत में सतत् शहरी विकास के लिये मूल्यवान शिक्षा तथा सिद्धांत प्रस्तुत करती है। इन सिद्धांतों को वर्तमान में अपनाकर, हम अधिक लचीले, पर्यावरण के अनुकूल एवं सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शहर बना सकते हैं।**

मुख्य भाग:

प्रमुख पारंपरिक वास्तुकला सिद्धांत।

- **जलवायु-अनुकूल डिज़ाइन: राजस्थान में आँगन वाले घर (हवेलियाँ)** प्राकृतिक वायुसंचार और शीतलता प्रदान करते हैं।
  - **अनुप्रयोग:** आधुनिक अपार्टमेंट परिसरों में आँगन और खुले स्थानों को शामिल करना।
- **स्थानीय, पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग:** मिट्टी, चिकनी मिट्टी और भूसे का उपयोग करके गुजरात में कोब वास्तुकला।
  - **अनुप्रयोग** : समकालीन निर्माण में **संपीड़ित स्थिर मिट्टी ब्लॉक (सीएसईबी) को बढ़ावा देना।**
- **निष्क्रिय शीतलन तकनीक** : वायु परिसंचरण और तापमान नियंत्रण के लिये **मुगल वास्तुकला में जाली स्क्रीन।**
  - **अनुप्रयोग** : कार्यालय भवनों में छिद्रित अग्रभाग का उपयोग करके ऊष्मा लाभ को कम करना।
- **जल संरक्षण एवं प्रबंधन:** जल संचयन एवं भंडारण के लिये **बावड़ियाँ (बाओली)**
  - **अनुप्रयोग** : शहरी नियोजन में वर्षा जल संचयन प्रणालियों को एकीकृत करना।
- **प्रकृति के साथ एकीकरण:** महाराष्ट्र में **पवित्र उपवन (देवराई) जैवविविधता को संरक्षित कर रहे हैं।**
  - **अनुप्रयोग** : शहर के मास्टर प्लान में शहरी वन और हरित गलियारे बनाना

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- **आर्थिक बाधाएँ : उच्च प्रारंभिक लागत** प्राय: टिकाऊ प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बाधा डालती है, जैसे **सौर पैनल या वर्षा जल संचयन प्रणाली,** जिन्हें पारंपरिक तरीकों की तुलना में कम लागत प्रभावी माना जाता है।
- **विनियामक बाधाएँ : पुराने भवन कोड** और प्रोत्साहनों की कमी आधुनिक निर्माण में पारंपरिक टिकाऊ प्रक्रियाओं के अनुमोदन और एकीकरण में बाधा डालती है, जिससे मिट्टी से बने ढाँचों जैसे डिज़ाइनों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **कौशल अंतराल और ज्ञान हस्तांतरण : पारंपरिक तकनीकों में कुशल कारीगरों** की कमी है और पारंपरिक तथा आधुनिक वास्तुकला को मिलाने वाली औपचारिक शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण जटिल जाली कार्य जैसी प्रथाओं में गिरावट आ रही है।
- **मापनीयता संबंधी मुद्दे:** पारंपरिक डिज़ाइन, छोटे पैमाने पर तो प्रभावी होते हैं **, लेकिन बड़े शहरी परियोजनाओं के लिये अनुकूल होने में संघर्ष करते हैं** , जैसे कि आंगन की अवधारणा, जिसे ऊँची इमारतों वाले परिसरों में लागू करना कठिन है।
- **सांस्कृतिक बदलाव: आधुनिक सौंदर्यशास्त्र के प्रति** बदलते सामाजिक मानदंड और **प्राथमिकताएँ** पारंपरिक डिज़ाइनों, जैसे आंगन वाले घरों के आकर्षण को कम कर देती हैं, खासकर तब जब संयुक्त परिवार वाले घरों का चलन कम होता जा रहा है।
- **चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि: गर्म लहरों** जैसी चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती तीव्रता **पारंपरिक भारतीय वास्तुकला सिद्धांतों के अनुप्रयोग को चुनौती देती है,** जो पिछली जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किये गए थे।
  - आजकल की भीषण गर्मी में आँगन जैसे पारंपरिक डिज़ाइन शायद पर्याप्त नहीं रह गए हैं।

निष्कर्ष:

पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के सिद्धांत **आधुनिक भारत में टिकाऊ शहरी विकास के लिये बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं** । इन सिद्धांतों को समकालीन डिज़ाइन में शामिल करके, हम अधिक **लचीले, पर्यावरण के अनुकूल और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील शहर बना सकते हैं। पारंपरिक प्रथाओं को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाते हुए, विरासत को संरक्षित करने और नवाचार को अपनाने के** बीच संतुलन बनाना महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न : प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राज्यों के विकास ने विशिष्ट स्थापत्य एवं कलात्मक परंपराओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विस्तार से समझाइये। (250 शब्द)

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में विशिष्ट स्थापत्य और कलात्मक परंपराओं के उद्भव पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- प्रमुख स्थापत्य परंपराओं के विषय में बताइये।
- क्षेत्रीय कलात्मक परंपराओं पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राज्यों के विकास, **गुप्त साम्राज्य के पतन** और **विभिन्न राजवंशों के उदय के कारण** सांस्कृतिक विविधता का आधार तैयार हुआ।

- इस अवधि में विशिष्ट स्थापत्य और कलात्मक परंपराओं का उदय हुआ, जिनमें से प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र के अद्वितीय **सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक प्रभावों को प्रतिबिंबित करती थी।**

मुख्य भाग:

स्थापत्य परंपराएँ:

- **नागर शैली:**
  - **विशेषताएँ:**
    - **घुमावदार छतें:** प्राय: इसमें ***शिखर*** होते हैं जो आधार से ऊपर की ओर उठते हैं।
    - **अलंकृत नक्काशी:** इसकी जटिल मूर्तियाँ और सजावटी आकृतियाँ बाहरी दीवारों की शोभा बढ़ाती हैं।
    - मंडप: वर्गाकार या वृत्ताकार योजना वाले सभा कक्ष।

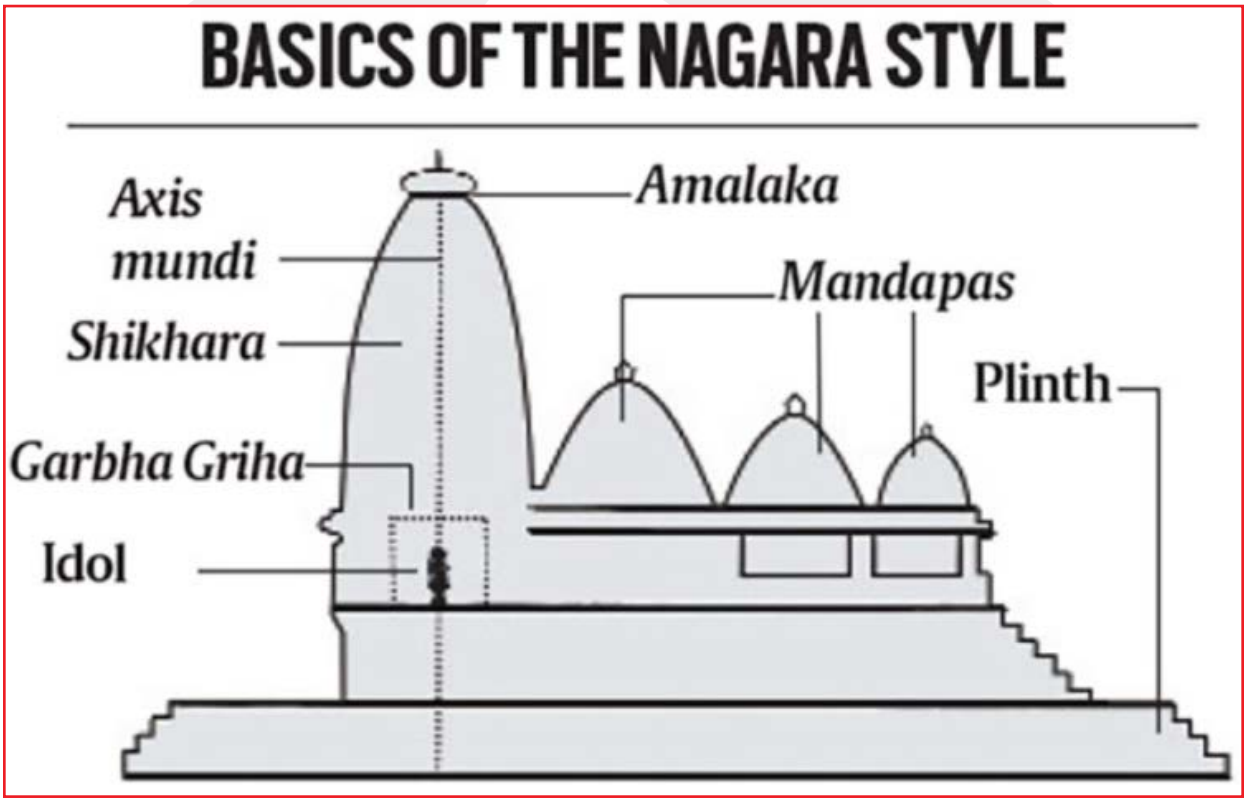

  - **उदाहरण:**
    - **खजुराहो मंदिर:** इनमें से अधिकांश का निर्माण **चंदेल राजवंश द्वारा किया गया था।**
    - **कोणार्क सूर्य मंदिर:** गंग राजवंश के शासक **राजा नरसिंह देव प्रथम** द्वारा निर्मित।
- **द्रविड़ शैली:**
  - **विशेषताएँ:**
    - **पिरामिडनुमा संरचनाएँ:** इन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है।
    - **विशाल हॉल:** जटिल नक्काशी और मूर्तियों वाला विशाल मंडप।
    - **रेखीय योजना:** मंदिर आमतौर पर रेखीय या आयताकार लेआउट पर आधारित हैं।

नोट :

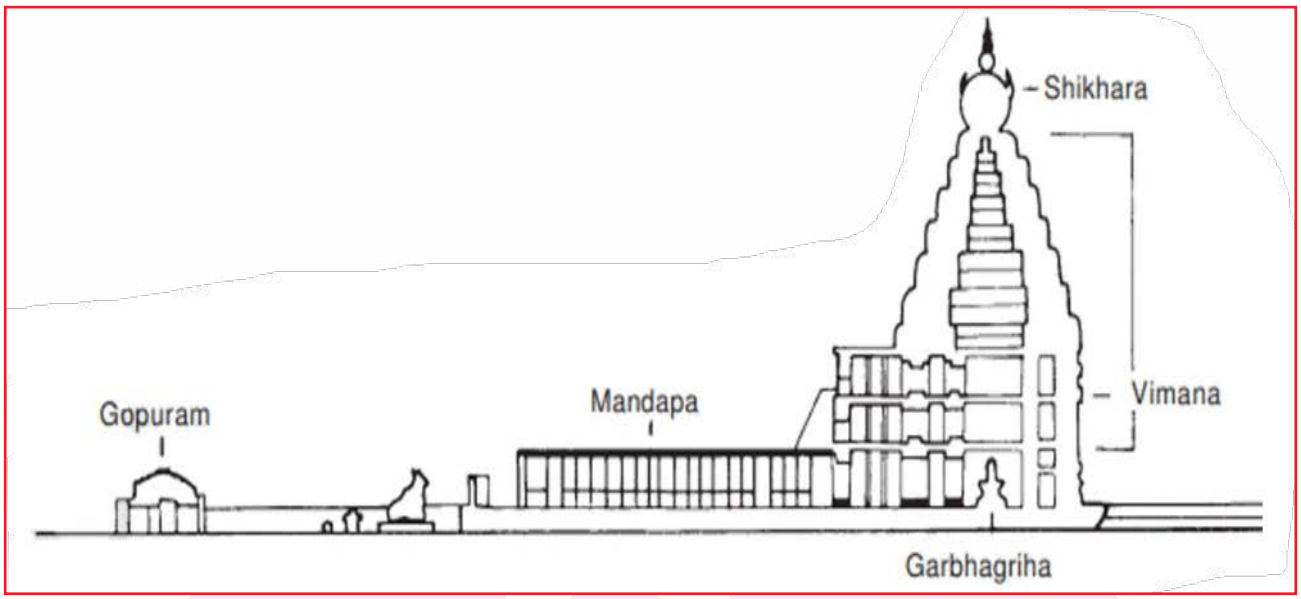

- **उदाहरण:**
  - **बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर: चोल सम्राट राजराज प्रथम** द्वारा 1010 ई. में निर्मित।
  - **मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरै**: पांड्य सम्राट **सदायवर्मन कुलशेखरन प्रथम द्वारा निर्मित।**

- **वेसर शैली:**
  - **विशेषताएँ:**
    - **मिश्रित शैली:** इसमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के तत्त्वों का मिश्रण मिलता है।
    - **घुमावदार छतें:** नागर शैली के समान, लेकिन अक्सर अधिक विस्तृत वक्रता वाली।

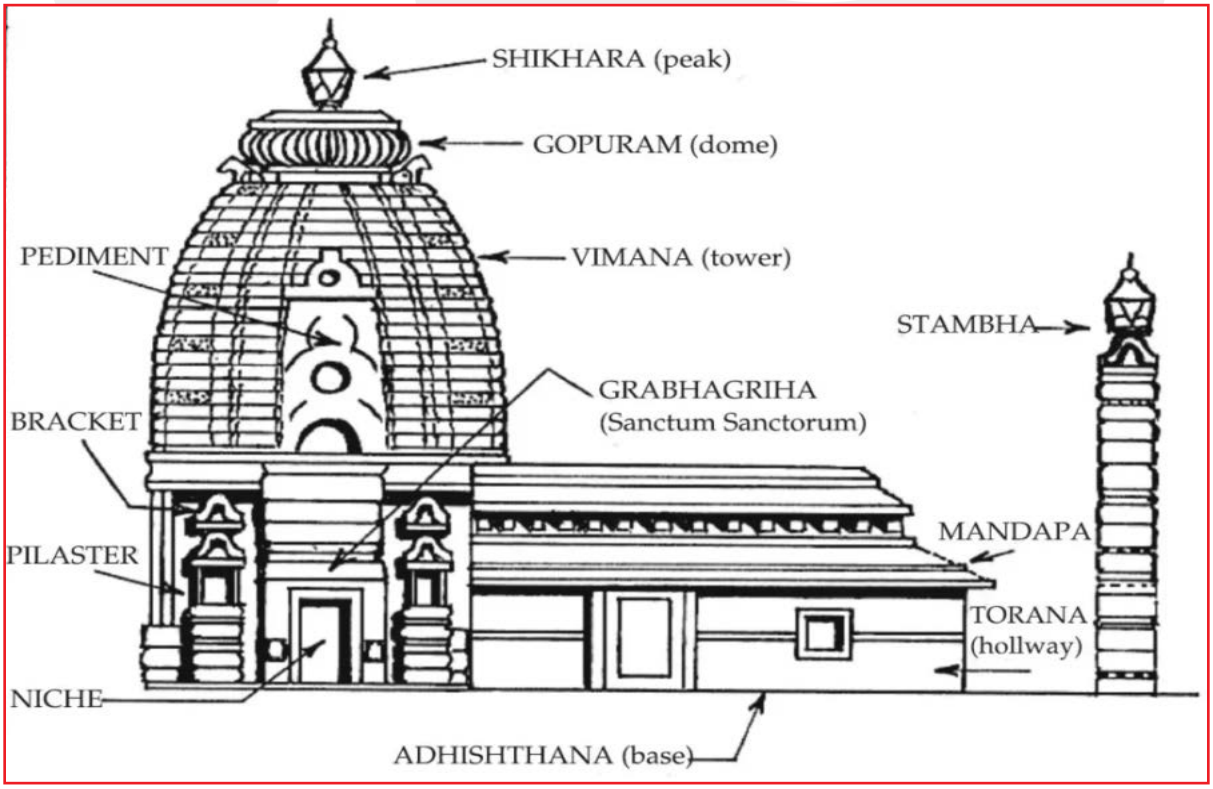

नोट :

- **अलंकृत नक्काशी:** जटिल मूर्तियाँ और सजावटी आकृतियाँ।

- **उदाहरण:**
  - **कैलाश मंदिर, एलोरा: राष्ट्रकूट वंश** के शासक **कृष्ण प्रथम** द्वारा निर्मित।

क्षेत्रीय कलात्मक परंपराएँ:

- **पाल शैली (पूर्वी भारत)**
  - **बौद्ध और हिंदू धर्म से संबंधित** पत्थर तथा कांस्य मूर्तियाँ
  - **ताड़ के पत्तों** पर जटिल लघु चित्रकारी (पाल पांडुलिपि चित्रकारी)
  - **उदाहरण: बिहार के कुर्किहार** से मिली कांस्य बुद्ध प्रतिमाएँ
- **चोल कला (दक्षिण भारत)**
  - कांस्य मूर्तियों की **मोम ढलाई तकनीक**
  - लयवद्ध आकृतियाँ और उत्कृष्ट विवरण
  - **उदाहरण:** नटराज (नृत्य करते शिव) की कांस्य प्रतिमाएँ
- **चालुक्य कला (दक्कन)**
  - अलंकृत मंदिर वास्तुकला
  - विस्तृत आकृतियों वाली मूर्तिकला की विशिष्ट शैली
  - **उदाहरण: बादामी गुफा मंदिर**, कर्नाटक की मूर्तियाँ

निष्कर्ष:

प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राज्यों के उदय से **वास्तुकला और कलात्मक अभिव्यक्तियों में समृद्ध विविधता को जन्म मिला।** इस अवधि में बाद की शताब्दियों में भारतीय कला और वास्तुकला के निरंतर विकास का आधार तैयार हुआ, जिससे एक **स्थायी विरासत का निर्माण हुआ जो आज भी प्रेरणा और विस्मय का कारण बनी हुई है।**

प्रश्न : भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध आदर्शों के प्रचार में मौर्य कला और स्थापत्य की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध का संदर्भ देते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये।
- बौद्ध आदर्शों के प्रचार में मौर्य कला और स्थापत्य की भूमिका बताइए।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

मौर्य साम्राज्य (322-185 ईसा पूर्व) ने भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य कला और स्थापत्य, विशेष रूप से **सम्राट अशोक के अधीन, बौद्ध आदर्शों एवं दर्शन के प्रचार** के लिये शक्तिशाली उपकरण बन गए।

मुख्य भाग:

बौद्ध आदर्शों के प्रचार में मौर्य कला और स्थापत्य की भूमिका:

- **स्तंभ और शासनादेश: राज्य सत्ता के प्रतीक** और बौद्ध शिक्षाओं के वाहक के रूप में कार्य करते थे।
  - अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ **सारनाथ में स्थित है, जो बुद्ध के प्रथम उपदेश** का स्थल है, जहाँ उन्होंने **चार आर्य सत्यों का उपदेश दिया था।**
- **शिलालेख और स्तंभलेख:** बौद्ध सिद्धांतों और अशोक के धम्म को व्यक्त करते हैं।
  - **गुजरात में गिरनार शिलालेख,** जो अहिंसा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करता है।
- **स्तूप और धार्मिक स्थापत्य:** स्तूप बौद्ध उपासना के अवशेष और केंद्र के रूप में कार्य करते थे।
  - **साँची का महान स्तूप,** जिसे मूल रूप से अशोक ने बनवाया था, भविष्य में बौद्ध स्थापत्य कला के विकास के लिये एक आदर्श बन गया।
- **गुहा स्थापत्य:** बौद्ध भिक्षुओं और उपासना केंद्रों के लिये शैलकर्तित गुफाओं का निर्माण करवाया गया था।
  - **बिहार में बराबर की गुफाएँ** बौद्ध धर्म के **आजीविक संप्रदाय** के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- **प्रतीकात्मक कल्पना:** बौद्ध अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिये **धर्म चक्र, बोधि वृक्ष और कमल** जैसे प्रतीकों का उपयोग।
- **कथात्मक उभार:** बौद्ध कथाओं और **जातक कथाओं का चित्रण**
  - जातक कथाओं में में प्राय: **छद्दंत जातक, विदुरपंडित जातक, रुरु जातक की कथाएँ उत्कीर्णित हैं।**

निष्कर्ष :

मौर्य कला और स्थापत्य ने **भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध आदर्शों के प्रचार-प्रसार के लिये एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य किया। मौर्य बौद्ध कला में शाही भव्यता, आध्यात्मिक प्रतीकवाद तथा तकनीकी नवाचार** के संश्लेषण ने उपमहाद्वीप के धार्मिक और सांस्कृतिक संविन्यास पर एक स्थायी प्रभाव डाला।

■■■

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

राजनीति और शासन

प्रश्न : भारतीय विधायी प्रक्रिया में संसदीय समितियों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिये। सरकारी नीतियों की जाँच में उन्हें और अधिक कुशल किस प्रकार बनाया जा सकता है, उपाए सुझाइये। (250 शब्द)

परिचय:

संसदीय समितियाँ जिन्हें " **लोकतंत्र के प्रहरी** " कहा जाता है, भारतीय विधायी प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे सरकार और विधायिका के बीच महत्त्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं तथा **पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावी शासन सुनिश्चित करती हैं।**

- हालाँकि 16वीं लोक सभा के दौरान **प्रस्तुत विधेयकों में से** मात्र 25% विधेयक ही समिति के पास भेजे गए, जबकि **15वीं और 14वीं लोक सभा** में यह दर क्रमश: **71%** तथा **60% थी** ।

मुख्य भाग:

संसदीय समितियों का महत्त्व:

- **विधेयकों की विस्तृत जाँच** : संसदीय समितियाँ संसद सत्रों की समय-सीमा के बाहर प्रस्तावित विधेयकों की **गहन जाँच करती हैं।**
  - **उदाहरण : लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011 की** कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा गहन जाँच की गई।
- **विशेषज्ञता:** समितियों में प्रासंगिक क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले सदस्य शामिल होते हैं, जिससे अधिक उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
  - **उदाहरण: वित्त संबंधी स्थायी समिति,** जिसका नेतृत्व अक्सर अनुभवी अर्थशास्त्री या पूर्व वित्त मंत्री करते हैं, जटिल वित्तीय मामलों पर विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान करती है।
    - वर्ष 2016 में इस समिति ने **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता** के अधिनियमन से पहले इसकी जाँच में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- **द्विदलीय सहयोग** : समितियाँ मुख्य कक्षों के प्रतिकूल माहौल से दूर एक अधिक सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देती हैं।
  - **उदाहरण: गृह मामलों की** संसदीय **स्थायी समिति,** जिसमें विभिन्न दलों के सदस्य शामिल हैं, **आंतरिक सुरक्षा और संघवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अक्सर आम सहमति पर पहुँचती रही है।**
- **सरकारी जवाबदेही** : समितियाँ सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों को पूछताछ के लिये बुलाती हैं, जिससे कार्यकारी जवाबदेही बढ़ती है।
  - **उदाहरण:** 2020 में सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति द्वारा डेटा गोपनीयता चिंताओं और सामग्री मॉडरेशन नीतियों पर चर्चा करने के लिये **फेसबुक के अधिकारियों को बुलाया गया।**
- **सार्वजनिक भागीदारी** : समितियाँ अक्सर विशेषज्ञों की गवाही और सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित करती हैं, जिससे परामर्श का आधार व्यापक हो जाता है।
  - **उदाहरण: व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति ने** जनता से टिप्पणियाँ आमंत्रित कीं और तकनीकी कंपनियों, नागरिक समाज संगठनों तथा कानूनी विशेषज्ञों से सुझाव मांगे।

संसदीय समितियों से संबंधित चुनौतियाँ :

- **सीमित शक्तियाँ :** भारत में संसदीय समितियों की भूमिका सलाहकारी होती है तथा उनकी सिफारिशें **सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं होती हैं।**
- इससे नीति और कानून को प्रभावित करने में उनकी प्रभावशीलता सीमित हो सकती है।
- **कम उपस्थिति और भागीदारी:** वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति **लगभग 50% थी, जो संसद की बैठकों के दौरान देखी गई 84% उपस्थिति** से कम है , जिससे विचार-विमर्श और जाँच की गुणवत्ता कम हो गई है।
- **विषय-वस्तु में विशेषज्ञता और अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव:** सदस्यों को हमेशा उन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है जिनकी वे देखरेख कर रहे हैं, जिससे जाँच की गहराई पर असर पड़ सकता है।
- इसके अलावा समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये अक्सर प्रभावी तंत्र का अभाव रहता है।

नोट :

- **राजनीतिक पक्षपात: कभी-कभी, राजनीतिक संबद्धता समिति की कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है, जिससे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर असर पड़ सकता है।**
  - **वर्ष 2023 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की जाँच करने वाली संयुक्त समिति से विपक्षी सदस्यों का** समिति की कार्यप्रणाली पर असहमति के कारण बहिर्गमन।
- **समितियों के गठन में देरी: लोकसभा चुनाव 2024 के** लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी स्थायी समितियों का गठन नहीं किया गया है।

संसदीय समितियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय:

- **समिति की रिपोर्टों पर अनिवार्य विचार:** संसद के लिये समिति की रिपोर्टों की प्रमुख सिफारिशों पर चर्चा और मतदान करना अनिवार्य बनाया जाए।
  - **उदाहरण** : ब्रिटेन में **कई समिति रिपोर्टों पर हाउस ऑफ कॉमन्स** में बहस की जाती है , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके निष्कर्षों पर उचित ध्यान दिया जाए।
- **सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाएँ:** समिति की कार्यवाही का प्रसारण करें और सार्वजनिक इनपुट के लिये उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच बनाएँ।
- **अनुसंधान सहायता को सुदृढ़ बनाना:** स्वतंत्र विश्लेषण करने के लिये समितियों को समर्पित अनुसंधान स्टाफ और संसाधन उपलब्ध कराना।
- **आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना:** संसद की संरचना को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिये समिति नियुक्ति प्रक्रियाओं को संशोधित तथा नेतृत्व की भूमिकाओं में विपक्षी सदस्यों को शामिल करना।
- **अधिक जाँच शक्तियाँ प्रदान करना** : सूचना तक पहुँचने और सुझाव देने के लिये समितियों को अतिरिक्त उपकरण प्रदान करना।
- **विषय-विशिष्ट समितियों की संख्या बढ़ाएँ** : उभरते नीति क्षेत्रों को कवर करने के लिये अधिक विशिष्ट समितियाँ बनाएँ।
  - **उदाहरण** : भारत समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिये **जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों पर समर्पित समितियों की स्थापना पर विचार कर सकता है।**

निष्कर्ष:

संसदीय समितियाँ भारतीय विधायी प्रक्रिया के लिये **अपरिहार्य हैं**। उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों को लागू करके, जैसे कि समिति की रिपोर्टों पर अनिवार्य विचार करना, भारत एक अधिक **सूचित, उत्तरदायी और सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकता है।**

प्रश्न : "विवादास्पद कानून पारित करने के लिये धन विधेयक का उपयोग भारत की संसदीय प्रणाली की द्विसदनीय प्रकृति को कमज़ोर करता है"। हाल की विधायी प्रथाओं और राज्यसभा की भूमिका पर उनके प्रभाव के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- धन विधेयक से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए परिचय दीजिये।
- धन विधेयकों से संबंधित हाल की विधायी परंपराओं पर तथ्यात्मक रूप से विचार कीजिये।
- राज्यसभा की भूमिका पर इसके प्रभाव को समझाइये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

धन विधेयक भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 110** के तहत परिभाषित विधान की एक विशेष श्रेणी है।

- **अनुच्छेद 109** के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। **राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा** केवल सिफारिश प्रस्तुत कर सकती है, जिन्हें लोकसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।
- यद्यपि इस तंत्र का उद्देश्य **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है**, आलोचकों का तर्क है कि विवादास्पद विधेयक की जाँच में **राज्यसभा की भूमिका को दरकिनार करने के लिये इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।**

मुख्य भाग:

हालिया विधायी संबंधी परंपराओं:

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित करने हेतु धन विधेयक का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है:

- **आधार अधिनियम, 2016 : यह अधिनियम, जिसने आधार पहचान प्रणाली** के लिये कानूनी ढाँचा स्थापित किया, को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया, जबकि इसमें वित्तीय मामलों से परे प्रावधान शामिल थे।
  - ***आधार संबंधी मामले (2018)*** में सर्वोच्च न्यायालय ने आधार अधिनियम को वैध रूप से धन विधेयक के रूप में बरकरार रखा। हालाँकि न्यायाधीशों की असहमतिपूर्ण राय ने इस मामले में धन विधेयक के उपयोग को **"संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग" बताया।**

नोट :

- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 में संशोधन:** प्रवर्तन एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करने वाले ये संशोधन **वित्त अधिनियम के माध्यम से प्रस्तुत किये गए थे।**
- **धन विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत PMLA संशोधन और चुनावी बॉण्ड योजना** को चुनौती देने वाले मामले वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।
- **विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010 में परिवर्तन:** इस अधिनियम में संशोधन, जो भारतीय संगठनों को विदेशी दान को विनियमित करता है, को भी वित्त विधेयक के भाग के रूप में पारित किया गया।
- **वित्त अधिनियम, 2017:** इस अधिनियम में विभिन्न कानूनों में संशोधन शामिल थे, जिनमें **न्यायाधिकरणों की संरचना और कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून भी शामिल थे,** जिनके बारे में अनेक लोगों का तर्क था कि वे धन विधेयक के दायरे से बाहर थे।

राज्यसभा की भूमिका पर प्रभाव:

- **जाँच में कमी:** जब किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में नामित किया जाता है, तो राज्यसभा की भूमिका **14 दिनों की अवधि के भीतर गैर-बाध्यकारी सिफारिशें करने तक सीमित हो जाती है।**
  - लोकसभा इन सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिये स्वतंत्र है, जिससे विधायी प्रक्रिया में उच्च सदन को प्रभावी रूप से दरकिनार कर दिया जाता है।
- **सीमित बहस:** 14 **दिन की समय-सीमा के कारण** राज्यसभा में जटिल मुद्दों पर गहन चर्चा नहीं हो पाती, जिससे महत्त्वपूर्ण विधेयकों की अपर्याप्त जाँच हो पाती है।
- **विपक्ष को दरकिनार करना:** यह सरकार को **ऊपरी सदन में संभावित विपक्ष को दरकिनार करने की अनुमति देती है,** जहाँ उसके पास बहुमत की कमी हो सकती है।
- **द्विसदनीय भावना का क्षरण: यह** भारत के संसदीय लोकतंत्र में **विधायी नियंत्रण और संतुलन** के आधारभूत सिद्धांत को संभावित रूप से कमज़ोर करता है।

इस परंपरा के पक्ष में तर्क:

- **दक्षता:** यह मार्ग सरकारी नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है तथा विधायी प्रक्रिया में संभावित गतिरोधों से बचाता है।
  - सत्तारूढ़ गठबंधन के पास अक्सर ऊपरी सदन में बहुमत नहीं होता, जिससे सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से विवादास्पद विधेयक पारित करना कठिन हो जाता है।
- **जनादेश का उपयोग:** यह सरकार को, जिसके पास लोकप्रिय रूप से निर्वाचित लोकसभा में बहुमत है, अपने एजेंडे को प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति प्रदान करता है।

संभावित समाधान और सुधार

- **धन विधेयक को पुन: परिभाषित करना:** धन विधेयक की अधिक सटीक और संकीर्ण परिभाषा प्रदान करने के लिये **संविधान के अनुच्छेद 110** में संशोधन आवश्यक है, जिससे उनका दायरा वित्त से सीधे संबंधित मामलों तक सीमित हो जाएगा।
  - इससे गैर-वित्तीय विधानों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत होने से रोका जा सकेगा।
- **संयुक्त बैठकें:** गैर-धन विधेयकों पर असहमति के समाधान हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के प्रावधान किये जाए।
  - इससे विधि निर्माण में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में महत्त्वपूर्ण भूमिका में वृद्धि होगी।
- **सरकार द्वारा आत्म-संयम:** सरकार को विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने में आत्म-संयम बरतने तथा वास्तविक वित्तीय मामलों को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

विवादास्पद कानून पारित करने के लिये धन विधेयक का उपयोग एक चिंताजनक प्रवृत्ति है जो भारत की संसदीय प्रणाली की द्विसदनीय प्रकृति को कमज़ोर करती है। जबकि संविधान में **धन विधेयक के प्रयोग का प्रावधान है,** जो यह सुनिश्चित करता है कि **इस तंत्र का दुरुपयोग राज्यसभा की निगरानी को दरकिनार करने** तथा अधिक **लोकतांत्रिक और समावेशी विधायी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिये न किया जाए।**

प्रश्न : भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को आकार देने में संविधान में निहित राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए मूल अधिकारों के साथ इनके संबंधों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- DPSP से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये।
- भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को आकार देने में DPSP की भूमिका लिखिये।
- मूल अधिकारों के साथ संबंध पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में निहित **राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (DPSP)** सामाजिक-आर्थिक नीतियों को निर्मित करने और कार्यान्वित करने में सरकार के लिये दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करते हैं।

- यद्यपि ये सिद्धांत **विधिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर** भी ये देश के शासन और विकास पथ को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मुख्य भाग:

भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को आकार देने में DPSP की भूमिका:

- **आर्थिक न्याय और समानता: अनुच्छेद 38** राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है।
  - **अनुच्छेद 39** संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और धन के संकेंद्रण के रोकथाम पर ज़ोर देता है।
  - **प्रभाव:** इन सिद्धांतों ने **भूमि सुधार, बैंकों के राष्ट्रीयकरण और विभिन्न निर्धनता उन्मूलन** कार्यक्रमों जैसी नीतियों को प्रभावित किया है।
- **श्रम कल्याण: अनुच्छेद 41** राज्य को **काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।**
  - **अनुच्छेद 43 में** जीवन निर्वाह योग्य वेतन और सभ्य कार्य स्थितियों के प्रावधान पर बल दिया गया है।
  - **प्रभाव:** इसके फलस्वरूप **चार श्रम संहिताएँ अधिनियमित की गईं।**
- **शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण:** अनुच्छेद 45 (जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था) में बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था।
  - **अनुच्छेद 48** राज्य को ऐतिहासिक महत्त्व के स्मारकों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।
  - **प्रभाव:** इन सिद्धांतों के फलस्वरूप **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण** द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक संरक्षण पहलों को बढ़ावा मिला।
- **पर्यावरण संरक्षण: अनुच्छेद 48A (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)** राज्य को पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा का निर्देश देता है।
  - **प्रभाव: इसने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** और **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986** जैसे पर्यावरण कानून तथा नीतियों को प्रभावित किया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध:** अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
  - **प्रभाव:** इसने भारत की विदेश नीति को आकार दिया है, जिसमें **शीत युद्ध के दौरान उसका गुटनिरपेक्ष रुख भी शामिल है।**

मूल अधिकारों के साथ संबंध:

DPSP और मूल अधिकारों के बीच संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में परिलक्षित होता है:

- **प्रारंभिक संघर्ष:** स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में, DPSP और मूल अधिकारों के बीच संघर्ष माना जाता था।
  - ***मद्रास राज्य बनाम चम्पकम दोराईराजन (वर्ष 1951)*** ***मामले*** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकार DPSP पर अभिभावी होंगे।
- **सामंजस्यपूर्ण विधान की मान्यता:** ***केरल शिक्षा विधेयक (वर्ष 1957) के संबंध*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने DPSP और मूल अधिकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण विधान की वकालत की, जिसमें कहा गया कि मूल अधिकारों के दायरे का निर्धारण करते समय DPSP को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिये, जो उनकी पूरकता की ओर परिवर्तन का संकेत देता है।
- **मूल संरचना सिद्धांत:** ***केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (वर्ष 1973)*** के, निर्णय में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि **DPSP और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं** और इनकी व्याख्या सामंजस्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिये।
- **सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों में संतुलन:** ***पथुम्मा बनाम केरल राज्य (वर्ष 1978)*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने DPSP पर आधारित कानून को बरकरार रखा तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि **सामाजिक-आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिये DPSP और मूल अधिकारों दोनों का संयोजन आवश्यक है,** जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान के व्यापक लक्ष्य पूरे हों।

नोट :

- **मूल अधिकारों की सर्वोच्चता की पुष्टि:** ***मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (वर्ष 1980) में,*** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यद्यपि DPSP महत्त्वपूर्ण हैं, वे मूल अधिकारों को प्रत्यादेशित नहीं कर सकते।
- **सामाजिक-आर्थिक अधिकारों पर विकसित न्यायशास्त्र:** ***ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (वर्ष 1985)*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार को बढ़ाकर इसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल कर दिया तथा **DPSP के सामाजिक-आर्थिक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के प्रवर्तनीय दायरे में एकीकृत कर दिया।**
- **संवैधानिक विवेक:** ***डालमिया सीमेंट बनाम भारत संघ (वर्ष 1996)*** में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुन: पुष्टि की कि DPSP और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि **वे मिलकर संविधान की चेतना का निर्माण करते हैं** तथा भारत की सामाजिक क्रांति को अग्रेषित करते हैं।

निष्कर्ष

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों ने भारत की सामाजिक-आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा समावेशी विकास के लिये दिशा-निर्देश उपलब्ध कराया है। आज, नीति-निर्देशक सिद्धांत न केवल नीति-निर्माण के लिये मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि **मूल अधिकारों की व्याख्या करने और उनके दायरे को विस्तारित करने के लिये आवश्यक उपकरण के रूप में भी कार्य करते हैं,** जिससे न्यायपूर्ण तथा समतामूलक समाज के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान मिलता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में भारत-सिंगापुर संबंधों के रणनीतिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। पिछले दशक में यह संबंध किस प्रकार विकसित हुए है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत-सिंगापुर संबंधों के रणनीतिक महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- भारत-सिंगापुर संबंधों के रणनीतिक महत्त्व को मान्य करने वाले प्रमुख तर्क दीजिये।
- पिछले दशक में संबंधों के विकास पर गहराई से विचार कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वर्ष 2015 में भारत-सिंगापुर संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित करना भारत की **'एक्ट ईस्ट'** नीति के अंतर्गत इस रिश्ते के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करता है। इस नीति का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करना है तथा **सिंगापुर इस रणनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**

मुख्य भाग:

भारत-सिंगापुर संबंधों का सामरिक महत्त्व:

- **आसियान संबंध:** आसियान के एक प्रमुख सदस्य के रूप में सिंगापुर भारत-आसियान संबंधों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
  - वर्ष 2021-2024 तक **सिंगापुर ने भारत के लिये आसियान देश समन्वयक के रूप में कार्य किया** , जिसके दौरान भारत-आसियान संबंधों को एक **व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया।**
  - यह भारत और आसियान के बीच एक सेतु के रूप में सिंगापुर की भूमिका को उजागर करता है, जो 'एक्ट ईस्ट' नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है।
- **आर्थिक सहयोग:** सिंगापुर इस क्षेत्र में भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक साझेदार के रूप में उभरा है:
  - **व्यापार :** सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
  - **निवेश: वित्त वर्ष 2023-24 में** सिंगापुर **भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत था,** जिसमें 11.774 बिलियन अमरीकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी प्रवाह था।
    - कुल मिलाकर, अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक **भारत में कुल एफडीआई प्रवाह में** सिंगापुर का योगदान 24% रहा।
- **संपर्क:** इस संबंध ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया है:
  - **डिजिटल कनेक्टिविटी : फरवरी 2023 में शुरू की गई UPI-PayNow लिंकेज** जैसी पहल , सीमा पार वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है।

नोट :

- **व्यापार संपर्क : ओएनडीसी-प्रॉक्सटेरा संपर्क** और **व्यापार ट्रस्ट** जैसी परियोजनाएँ व्यापार सुविधा को बढ़ाती हैं।

- **समुद्री सुरक्षा: सिंगापुर के साथ सहयोग से हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर** के **महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों** में भारत की समुद्री उपस्थिति तथा सुरक्षा बढ़ेगी।
  - दोनों देश वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, **सिम्बेक्स आयोजित करते हैं।**
  - **सिंगापुर के साथ मज़बूत संबंध भारत को दक्षिण चीन सागर** के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को संतुलित करने में मदद करते हैं।

पिछले दशक में संबंधों का विकास:

- **उच्च स्तरीय संपर्क:** उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
  - उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं: भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की 2015, 2018 में सिंगापुर यात्राएँ तथा **शांगरी ला डायलॉग** और **सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल जैसे विभिन्न मंचों में उनकी भागीदारी।**
  - वर्ष 2022 में **भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज़ सम्मेलन (आईएसएमआर)** की स्थापना , जिसमें दोनों पक्षों के कई मंत्री शामिल हुए।
- **आर्थिक संबंध** गहन एवं विविध हुए हैं:
  - वित्त वर्ष 2004-05 में व्यापार की मात्रा 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
  - लगभग **9000 भारतीय कंपनियाँ** अब सिंगापुर में पंजीकृत हैं, जबकि 440 से अधिक सिंगापुरी कंपनियाँ भारत में पंजीकृत हैं।
- **कौशल विकास:** इस संबंध का विस्तार कौशल विकास को शामिल करने के लिये किया गया है, जिसमें **छह कौशल केंद्र परियोजनाएँ** पूरी हो चुकी हैं और विभिन्न भारतीय राज्यों में दो परियोजनाएँ चल रही हैं।
- **सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध** : सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव पर अधिक ध्यान दिया गया, जैसा कि नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा सिंगापुर में भारतीय मूल के एक प्रमुख व्यापारिक नेता को **प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किये जाने से स्पष्ट होता है।**
- **बहुपक्षीय सहयोग:** बहुपक्षीय मंचों में संरेखण में वृद्धि:
  - **सिंगापुर जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** और **सितंबर 2023 में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में** शामिल हो गया ।

निष्कर्ष:

पिछले एक दशक में भारत-सिंगापुर संबंध बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए हैं, जो **भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के उद्देश्यों के साथ निकटता से जुड़े हैं। यह संबंध दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के जुड़ाव के लिये** एक मॉडल के रूप में कार्य करता है और भारत की व्यापक इंडो-पैसिफिक रणनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रश्न : हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय गतिशीलता और भारत के सामरिक हितों पर क्वाड गठबंधन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड को एक प्रमुख गठबंधन के रूप में प्रस्तुत कीजिये तथा भारत के सामरिक हितों को संवर्द्धित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिये।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभावों का उल्लेख कीजिये।
- भारत के सामरिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है, जो क्षेत्रीय गतिशीलता को आकार प्रदान कर रहा है और भारत के सामरिक हितों को अग्रेषित कर रहा है।

- **भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** वाले इस गठबंधन ने **सुरक्षा, प्रौद्योगिकी एवं आधारिक संरचना के विकास** जैसे क्षेत्रों में सहयोग को संवर्द्धित किया है।

नोट :

हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभाव

- **चीन के प्रभाव का प्रतिसंतुलन:** क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता के लिये एक सामरिक प्रतिकार के रूप में कार्य करता है।
  - **वर्ष 2025 के लिये निर्धारित क्वाड -एट-सी शिप ऑब्जर्वर मिशन** का उद्देश्य सदस्य देशों के तट रक्षकों के बीच अंतर-संचालन क्षमता में सुधार करना तथा समुद्री सुरक्षा को संवर्द्धित करना है।
  - यह पहल प्रत्यक्ष तौर पर स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संरक्षण में योगदान देती है तथा **दक्षिण चीन सागर में चीन के समुद्री दावों एवं गतिविधियों का विरोध करती है।**
- **नियम-आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहन:** क्वाड **नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, मुक्त नौवहन** और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के महत्त्व पर बल देता है।
  - यह अवस्थिति क्षेत्र में विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संस्थाओं को सुदृढ़ करता है।
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिये समुद्री पहल (MAITRI),** जिसकी प्रथम कार्यशाला वर्ष 2025 में भारत द्वारा आयोजित की जाएगी, क्षेत्रीय साझेदारों को **हिंद-प्रशांत समुद्री क्षेत्र** जागरूकता के माध्यम से उपलब्ध कराए गए उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।
- **आर्थिक और अवसंरचना विकास:** अवसंरचना विकास और आर्थिक सहयोग पर क्वाड का ध्यान **क्षेत्रीय देशों के लिये चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का विकल्प प्रदान करता है।**
  - **भविष्य के बंदरगाहों के लिये साझेदारी का** उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संवहनीय और समुत्थानशील पत्तन आधारिक संरचना का विकास करना है।
  - यह पहल न केवल क्षेत्रीय संपर्क को संवर्द्धित करती है बल्कि चीनी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिये सामरिक विकल्प भी प्रदान करती है।
- **तकनीकी सहयोग और नवाचार:** उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग पर क्वाड की शक्ति **हिंद-प्रशांत के तकनीकी परिदृश्य को नया आकार प्रदान कर रहा है।**
  - वर्ष 2024 **क्वाड शिखर सम्मेलन में जैव प्रौद्योगिकी और क्वांटम कंप्यूटिंग** में संयुक्त उद्यमों पर प्रकाश डाला गया।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत:** आपदा प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य सेवा में क्वाड की पहल **क्षेत्र की समुत्थानशीलता को संवर्द्धित कर रही है तथा हिंद-प्रशांत देशों के बीच सद्भावना को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।**
  - वर्ष 2024 शिखर सम्मेलन में घोषित **इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट** का उद्देश्य नागरिक आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों के लिये क्वाड राष्ट्रों के बीच साझा एयरलिफ्ट क्षमता स्थापित करना है।

भारत के सामरिक हितों पर प्रभाव:

- **आर्थिक और तकनीकी लाभ:** क्वाड भारत को उन्नत प्रौद्योगिकियों तक अभिगम्यता और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ आर्थिक साझेदारी प्रदान करता है।
  - **क्वाड कैंसर मूनशॉट** के हिस्से के रूप में, विश्व स्वास्थ्य संगठन की डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल के लिये भारत की **10 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता** को प्रदर्शित करता है कि कैसे क्वाड पहल **भारत की डिजिटल स्वास्थ्य महत्त्वाकांक्षाओं** और स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने की आकांक्षा के साथ संरेखित है।
- **सामरिक स्वायत्तता:** क्वाड के साथ जुड़ते हुए, भारत **अपनी प्रतिबद्धताओं को संतुलित करके और सुनम्य, मुद्दा-आधारित संरेखण को अंगीकृत करके अपनी सामरिक स्वायत्तता संधारित करता है।**
  - भारत का संतुलित दृष्टिकोण क्वाड के साथ-साथ **ब्रिक्स और SCO** जैसे **विविध मंचों में इसकी भागीदारी** और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद वर्ष 2023 में G-20 की सफल अध्यक्षता से स्पष्ट है।
- **अवसंरचना विकास:** क्वाड की अवसंरचना पहल भारत को क्षेत्रीय संपर्क और प्रभाव बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है।
  - क्वाड **अवसंरचना समन्वय समूह** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के प्रयासों को संरेखित करता है तथा **भारत की अपनी**

नोट :

परियोजनाएँ, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC), को समर्थन प्रदान करती हैं।

- **चीन का प्रतिसंतुलन:** क्वाड भारत को चीन की आक्रामकता से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक बहुपक्षीय ढाँचा प्रदान करता है, जो उसके द्विपक्षीय प्रयासों का पूरक है।
  - आपूर्ति शृंखला समुत्थानशीलता पर क्वाड का ध्यान संकेंद्रण, जैसा कि **आपूर्ति शृंखला समुत्थानशीलता पहल (SCRI) जैसी पहलों में देखा गया है,** चीन पर आर्थिक निर्भरता को कम करने और अपने विनिर्माण आधार में विविधता लाने के भारत के प्रयासों के अनुरूप है।

निष्कर्ष:

क्वाड गठबंधन ने **नियम-आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहित करके, चीन के प्रभाव के विकल्प की पेशकश करके** तथा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को संवर्द्धित करके हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय गतिशीलता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : "कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है, जो कानून और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच अंतर को उजागर करता है।" मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोज़गार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिये तथा इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिये उपाय सुझाइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- मैनुअल स्कैवेंजिंग की निरंतरता पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- वर्ष 2013 के अधिनियम के सकारात्मक पहलुओं और कार्यान्वयन सहित इसके व्यापक अवलोकन पर तथ्यात्मक रूप से विचार कीजिये।
- इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिये उपाय बताइये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भारत में हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) की प्रथा जारी रहना, विधायिक मंशा और सामाजिक वास्तविकता के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

- **मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013"** इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने और उसमे फँसे लोगों के पुनर्वास के लिये नवीनतम विधायी प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। हालाँकि इसका कार्यान्वयन एक चिंता का विषय बना हुआ है।

मुख्य भाग:

मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 का व्यापक अवलोकन:

सकारात्मक पहलू:

- **विस्तारित परिभाषा:** इसमें **मैनुअल स्कैवेंजिंग की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए** न केवल शुष्क शौचालयों की सफाई को शामिल किया गया है, बल्कि बिना सुरक्षात्मक उपकरणों के सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई को भी इसमें शामिल किया गया है।
- **प्रतिषेध और दंड:** अधिनियम में **मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन और अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण पर प्रतिषेध किया गया है।**
- **पुनर्वास प्रावधान:** यह नकद सहायता, उनके बच्चों के लिये छात्रवृत्ति, आवास, वैकल्पिक रोज़गार और अन्य कानूनी तथा कार्यक्रम संबंधी उपायों के माध्यम से **पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास को अनिवार्य बनाता है।**
- **सतर्कता एवं निगरानी समितियाँ:** अधिनियम में इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर **सतर्कता एवं निगरानी समितियों की स्थापना का प्रावधान है।**
- **राज्य के दायित्त्व:** यह **राज्य सरकारों पर** अपने अधिकार क्षेत्र में मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान करने और उनका पुनर्वास करने का दायित्व डालता है।
- **सर्वेक्षण और पहचान:** अधिनियम में मैनुअल स्कैवेंजर्स और अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करने के लिये **समयबद्ध सर्वेक्षण का प्रावधान किया गया है।**

नोट :

सीमाएँ और चुनौतियाँ:

- **कार्यान्वयन में कमी:** अपने व्यापक प्रावधानों के बावजूद, अधिनियम का कार्यान्वयन अत्यंत अपर्याप्त है।
  - उदाहरण के लिये, **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NSKA) ने कर्नाटक के 30 ज़िलों में से 6 में 1,720 मैनुअल स्कैवेंजर्स की** पहचान की तथा अनुमान लगाया कि यदि पूरे राज्य में सर्वेक्षण किया जाए तो यह संख्या 10,000 से अधिक हो सकती है।
- **रिपोर्टिंग में कमी:** बहुत सी राज्य और स्थानीय सरकारें हाथ से मैला ढोने के उपयोग का खुलासा करने या उसे कम महत्त्व देने में विफल रहती हैं, जिससे इसे व्यवहार में लाना मुश्किल हो जाता है।
  - वर्ष 2018 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **18 राज्यों के 170 ज़िलों में केवल 54,130 मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान की**, एक आँकड़ा जिसे कार्यकर्त्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा व्यापक रूप से कम आंका गया है।
- **सीवर में मृत्यु:** यह अधिनियम सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मृत्यु को रोकने में काफी हद तक अप्रभावी रहा है।
  - राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार, वर्ष **2010 से 2020 के बीच सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 631 लोगों की मौत हुई।**

बेहतर कार्यान्वयन के उपाय:

- **पहचान और रिपोर्टिंग को सुदृढ़ बनाना:** मैनुअल स्कैवेंजर्स और अस्वच्छ शौचालयों की पहचान करने के लिये **व्यापक, प्रौद्योगिकी-सहायता प्राप्त सर्वेक्षण** आयोजित करना।
  - सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिये, संभवत: मोबाइल ऐप का उपयोग करके, एक मज़बूत, वास्तविक समय रिपोर्टिंग तंत्र को लागू करना।
  - **स्वच्छ सर्वेक्षण पहल का** विस्तार करके इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग की पहचान और रिपोर्टिंग के लिये विशिष्ट मापदंड शामिल किये जाना चाहिये।
- **पुनर्वास प्रयासों को बढ़ाना: स्थानीय नौकरी बाज़ार और व्यक्तिगत योग्यता के अनुरूप** कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - **पुनर्वास निधि का समय पर वितरण** सुनिश्चित करना तथा पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके उपयोग की निगरानी करना।
  - **महाराष्ट्र में हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज** जैसे सफल मॉडलों को आगे बढ़ाना और उनका अनुकरण करना, जिसने 6,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को मशीनीकृत सफाई का प्रशिक्षण दिया है।
- **तकनीकी हस्तक्षेप:** सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना तथा सब्सिडी प्रदान करना।
  - **लागत प्रभावी, स्थानीय रूप से अनुकूलनीय स्वच्छता प्रौद्योगिकियों** के अनुसंधान और विकास में निवेश करना।
    - स्वच्छता प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिये एक समर्पित कोष की स्थापना करना।
  - **केरल में बैंडिकूट रोबोट की** सफलता की जाँच करना और शायद इसका राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना फायदेमंद होगा, जहाँ यह मानव संपर्क की आवश्यकता के बिना मैनहोल को साफ करता है।
- **जागरूकता और शिक्षा: स्वच्छ भारत मिशन** के समान एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करना, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग की अवैधता और अमानवीयता पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
  - मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये **सिनेमा और टेलीविज़न सहित लोकप्रिय मीडिया को** शामिल करना।

निष्कर्ष:

भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा के जारी रहने से संबंधित कानून और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच के अंतर को कम करने हेतु बहुआयामी, सतत् तथा गहन दृष्टिकोण की आवश्यकता है। **नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना इस दिशा में** एक महत्त्वपूर्ण **कदम है**, जो यह सुनिश्चित करके सरकार के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है कि किसी भी सफाई कर्मचारी को हाथ से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे खतरनाक कार्य करने के लिये मजबूर नहीं किया जाएगा।

नोट :

प्रश्न : "विकास अभिप्रेत विस्थापन की अवधारणा से राष्ट्रीय प्रगति एवं सामाजिक न्याय के बीच संतुलन के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठता है।" विस्थापित समुदायों के लिये भारत की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीतियों का विश्लेषण करते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधार संबंधी सुझाव प्रदान कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- विकास अभिप्रेत विस्थापन की अवधारणा को परिभाषित करके उत्तर की भूमिका लिखिये।
- भारत की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियों का गहन विश्लेषण कीजिये।
- वर्तमान नीति (LARR अधिनियम, 2013) की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिये।
- कार्यान्वयन चुनौतियाँ को प्रस्तुत कीजिये।
- सुधार संबंधी सुझावों पर प्रकाश डालिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

'विकास अभिप्रेत विस्थापन' की अवधारणा का तात्पर्य बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं जैसे **बाँध, खदान, औद्योगिक संयंत्र और शहरी नवीकरण पहल** के कारण समुदायों के प्रणोदित स्थानांतरण से है।

- यद्यपि ये परियोजनाएँ राष्ट्रीय प्रगति के लिये प्राय: महत्त्वपूर्ण होती हैं, परंतु वे सामाजिक न्याय के विषय में महत्त्वपूर्ण चिंताओं को भी प्रकट करती हैं, विशेष रूप से हाशिये पर स्थित समुदायों के लिये, जो असमान रूप से प्रभावित होते हैं।

मुख्य भाग:

भारत की पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीतियाँ:

पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (R&R) के प्रति भारत का दृष्टिकोण विगत कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ है:

- **वर्ष 1990 के पूर्व:** कोई व्यापक राष्ट्रीय नीति नहीं थी; परियोजना-विशिष्ट दृष्टिकोण थे।
- **वर्ष 2004:** पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय नीति।
- **वर्ष 2007:** राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति।
- **वर्ष 2013:** भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम (LARR अधिनियम)।

उदाहरण: नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना ने प्रारंभिक पुनर्वास नीतियों की अपर्याप्तता को प्रकट किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक विरोध हुआ और अंतत: नीतिगत सुधार किये गए।

वर्तमान नीति की मुख्य विशेषताएँ (LARR अधिनियम, 2013):

- **व्यापक दृष्टिकोण:** इसमें भूमि अर्जन को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के साथ जोड़ा गया है।
- **सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन:** सभी परियोजनाओं के लिये अनिवार्य।
- **सहमति की आवश्यकता:** निजी परियोजनाओं के लिये प्रभावित परिवारों से 70-80% सहमति।
- **प्रतिकर:** ग्रामीण क्षेत्रों में बाज़ार मूल्य का 4 गुना; शहरी क्षेत्रों में 2 गुना।
- **पुनर्वासन प्रावधान:** आवास, रोज़गार और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपाय।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ:

- **अपर्याप्त कार्यान्वयन:** नीति प्रावधानों और वास्तविकता के बीच अंतर।
- **प्रतिकर में विलंब:** इससे प्राय: विस्थापन की अवधि दीर्घ हो जाती है।
- **सीमित आजीविका पुन:स्थापन:** दीर्घकालिक आर्थिक पुनर्वास पर अपर्याप्त ध्यान।
- **पारदर्शिता का अभाव:** मूल्यांकन और संवितरण प्रक्रियाओं में।

उदाहरण: आंध्र प्रदेश में पोलावरम बाँध परियोजना को जनजातीय समुदायों के अपर्याप्त पुनर्वासन के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे कार्यान्वयन में कमियाँ उत्पन्न हुईं।

सुधार संबंधी सुझाव:

- **सहभागी योजना:** प्रभावित समुदायों को शुरू से ही योजना प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
- **कौशल विकास और आजीविका सहायता:** कौशल प्रशिक्षण और नौकरी के माध्यम से दीर्घकालिक आर्थिक पुनर्वासन पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

नोट :

- **समयबद्ध कार्यान्वयन:** प्रतिकर वितरण और पुनर्वासन के लिये सख्त समय-सीमा निर्धारित की जा सकती है।
- **सांस्कृतिक और सामुदायिक संरक्षण:** सुनिश्चित किया जा सकता है कि पुनर्वासन योजनाओं में सांस्कृतिक और सामुदायिक संबंधों पर विचार किया जाए।
- **स्वतंत्र निगरानी प्रणाली:** पुनर्वासन और पुनर्स्थापन नीतियों के कार्यान्वयन की तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी की जा सकती है।
- **जेंडर संवेदी उपागम:** सुनिश्चित किया जा सकता है कि महिलाओं के अधिकारों और आवश्यकताओं को पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन नीतियों में विशेष रूप से संबोधित किया जाए।
- **वैकल्पिक विकास मॉडल:** ऐसे विकास विकल्पों का पता लगाया जा सकता है जो विस्थापन को न्यूनतम करें।
- **व्यापक डेटाबेस:** दीर्घकालिक परिणामों पर नज़र रखने के लिये विस्थापित व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

विकास अभिप्रेत विस्थापन के संदर्भ में सामाजिक न्याय के साथ राष्ट्रीय प्रगति को संतुलित करना भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। **पुनर्वासन और पुनर्स्थापन के लिये अधिक सहभागी, पारदर्शी तथा समग्र दृष्टिकोण अपनाकर,** भारत अधिक न्यायसंगत विकास की ओर बढ़ सकता है।

प्रश्न : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिये व्यापक विधायी उपायों के बावजूद, भारत में इन समुदायों के विरुद्ध अत्याचार जारी हैं। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उत्तर की भूमिका लिखिये।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिये विधायी उपायों का उल्लेख कीजिये।
- समुदायों के विरुद्ध अत्याचार जारी रहने के कारणों पर प्रकाश डालिये।
- इस समस्या के समाधान के लिये उपाय प्रस्तुत कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिये समानता, न्याय और सम्मान सुनिश्चित करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिये विशिष्ट प्रावधान हैं, जैसे उनकी उन्नति के लिये **अनुच्छेद 15(4)**, रोज़गार में आरक्षण के लिये **अनुच्छेद 16(4)** और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये **अनुच्छेद 17** शामिल हैं।

- इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, इन समुदायों के विरुद्ध अत्याचार जारी हैं, जो समाज में व्याप्त गहरे भेदभाव और विधि प्रवर्तन में चुनौतियों को प्रदर्शित करता हैं।

मुख्य भाग:

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिये विधायी उपाय:

- **नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:** अस्पृश्यता के उन्मूलन को कार्यान्वित करने और इससे उत्पन्न अपराधों को दंडित करने के लिये अधिनियमित किया गया।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** इसका उद्देश्य अत्याचारों को रोकना, पीड़ितों को राहत प्रदान करना और पुनर्वास करना है।
  - वर्ष 2022 में इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों (SC) के विरुद्ध अत्याचार के 52,866 मामले और अनुसूचित जनजातियों (ST) के 9,725 मामले दर्ज किये जाएंगे।
- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 :** अपराधों के दायरे का विस्तार किया गया और त्वरित सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
- **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देता है।
  - **ओडिशा 4.56 लाख व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) अधिकारों** के वितरण के साथ FRA के कार्यान्वयन में अग्रणी राज्यों में से एक है।

समुदायों के विरुद्ध अत्याचार के सातत्य का कारण

- **समाज गहन सामाजिक पूर्वाग्रह:** सदियों पुराना जाति-आधारित भेदभाव सामाजिक अंत:क्रियाओं को प्रभावित करता रहता है।
  - **उत्तर प्रदेश में वर्ष 2020 के हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले** ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जातिगत पूर्वाग्रह किस प्रकार आपराधिक जाँच और न्याय वितरण को भी प्रभावित कर सकते हैं।

नोट :

- **आर्थिक असमानताएँ:** सातत्य निर्धनता और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  - **वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) के अनुमान** के अनुसार, भारत में बहुआयामी रूप से निर्धन हर छह में से पाँच लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) परिवारों से हैं।
    - ST में बहुआयामी रूप से 50% से अधिक निर्धन, उसके बाद SC में 33.3% लोग निर्धन हैं।
- **शिक्षा तक सीमित अभिगम्यता:** आरक्षण के बावजूद, शैक्षिक उपलब्धि कम बनी हुई है, जिससे वंचितता का चक्र जारी है।
  - उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजातियों के लिये सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में केवल 21.2% था।
- **विधि का अप्रभावी कार्यान्वयन :** विधि प्रवर्तन एजेंसियों में जागरूकता, संसाधनों और कभी-कभी इच्छा की कमी सुरक्षात्मक विधि की प्रभावशीलता में बाधा डालती है।
  - **वर्ष 2018 में भीमा कोरेगाँव हिंसा** में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में विलंब हुआ, जिससे कार्यान्वयन संबंधी दोष प्रकट हुए।

समस्या के समाधान के उपाय:

- **शिक्षा और जागरूकता का सुदृढ़ीकरण:** एकलव्य मॉडल स्कूलों जैसे संवैधानिक मूल्यों और भेदभाव-विरोधी पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सकता है।
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** कौशल विकास कार्यक्रमों को संवर्द्धित तथा ऋण एवं उद्यमिता के अवसरों तक बेहतर अभिगम्यता प्रदान किया जा सकता है।
  - **स्टैंड -अप इंडिया योजना** को और अधिक विस्तारित एवं सुदृढ़ किया जा सकता है।
- **बेहतर विधि प्रवर्तन :** पुलिस बलों को संवेदनशील बनया जा सकता है तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिये समर्पित विशेष इकाईयाँ स्थापित की जा सकती है।
- **आधार स्तर पर शासन का सुदृढ़ीकरण:** अत्याचारों को रोकने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिये ग्राम सभाओं और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया जा सकता है।
  - **केरल के कुदुम्बश्री मिशन** ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को स्थानीय शासन संरचनाओं में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है।
- **प्रौद्योगिकी का उद्यामन:** अत्याचार के मामलों की त्वरित रिपोर्टिंग, पदांकन और समाधान के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा सकता है।
  - **अत्याचार ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली (ATM)** ने मामले की निगरानी और पीड़ित मुआवज़ा वितरण में सुधार किया है और इसे AI तथा ML का उपयोग करके और भी संवर्द्धित किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए विधायी सुरक्षा में महत्वपूर्ण उन्नति की है। अत्याचारों का सातत्य एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इस दृष्टिकोण में सख्त **विधि प्रवर्तन, सामाजिक जागरूकता और आर्थिक सशक्तीकरण** को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

■■■

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) की शुरुआत भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। वित्तीय समावेशन पर डिजिटल रुपए के संभावित प्रभावों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में CBDC की शुरुआत का उल्लेख करते हुए उत्तर लिखिये।
- वित्तीय समावेशन पर CBDC के प्रभाव बताइये।
- संभावित चुनौतियों और सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- उन्नत वित्तीय समावेशन के लिये कार्यान्वयन रणनीतियों पर तथ्यात्मक विचार कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 2022 **में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC)** की शुरुआत, जिसे डिजिटल रुपया भी कहा जाता है, भारत की मौद्रिक प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करता है।

- यह पहल **मुद्राओं के डिजिटलीकरण की दिशा में वैश्विक रुझानों के अनुरूप है** और इसमें देश में वित्तीय समावेशन को नया रूप देने की क्षमता है।

मुख्य भाग:

वित्तीय समावेशन पर CBDC का प्रभाव:

- **वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में वृद्धि:** डिजिटल रुपया संभावित रूप से बैंकिंग सेवाओं **से वंचित और अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं वाले व्यक्तियों** (विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में) **तक पहुँच सकता है।**
  - वर्ष 2021 तक लगभग **22% भारतीय वयस्क बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे** (विश्व बैंक ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस)।
  - डिजिटल रुपया वित्तीय भागीदारी का एक सरल, डिजिटल माध्यम प्रदान करके इस अंतर को कम करने में मदद कर सकता है।
- **लेन-देन लागत में कमी:** पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं की तुलना में डिजिटल लेन-देन में आमतौर पर **कम लागत आती है।**
  - डिजिटल रुपया इस लागत को काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से **भौतिक मुद्रा की छपाई और परिवहन की लागत में भी कमी आ सकती है।**
- **उन्नत सरकारी लाभ वितरण:** इससे सरकारी लाभों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण अधिक कुशल और पारदर्शी हो जाता है।
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना की सफलता, जिसने वर्ष **2013 से लाभार्थियों को 24.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित किये हैं**, डिजिटल रुपए के साथ और भी अधिक बढ़ सकती है।
- **कर अनुपालन में वृद्धि तथा कालेधन और जालसाजी में कमी:** इससे वित्तीय लेन-देन की बेहतर निगरानी संभव हो पाती है।
  - उदाहरण के लिये, इससे यह ज्ञात करना सरल हो जाएगा कि व्यावसायी ने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया तथा उसने उचित मात्रा में कर का भुगतान किया या नहीं।
  - **इससे जालसाजी की संभावना** भी कम हो जाएगी।

संभावित चुनौतियाँ और सीमाएँ:

- **डिजिटल डिवाइड:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सीमित पहुँच के कारण इसे अपनाने में बाधा हो सकती है। भारत में 56% से अधिक उपयोगकर्त्ताओं को कनेक्शन संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जो दर्शाता है कि **आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से तक इंटरनेट संबंधी सुविधा उचित मायने में उपलब्ध नहीं है।**
- **साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** CBDC अभूतपूर्व पैमाने पर संवेदनशील भुगतान और उपयोगकर्त्ता डेटा एकत्र करने में सक्षम होंगे।
  - कुछ लोगों द्वारा इंटरनेट का दुरुपयोग **नागरिकों के निजी लेन-देन पर जासूसी करने,** व्यक्तियों और संगठनों के बारे में सुरक्षा-संवेदनशील विवरण प्राप्त करने तथा यहाँ तक कि धन चोरी करने के लिये भी किया जा सकता है।

नोट :

- **नकदी लचीलेपन का क्षरण:** इससे **नकदी और जमा के मध्य का अंतर समाप्त हो सकता है।**
  - भौतिक नकदी के विपरीत, जिस पर **ब्याज नहीं मिलता है और जिसका उपयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है,** बैंक खाते में डिजिटल मुद्रा पर ब्याज अर्जित होने से यह लचीलापन सीमित हो सकता है लेकिन **इससे तत्काल ब्याज मुक्त तरलता में कमी आ सकती है।**
  - इस बदलाव का व्यापक प्रभाव हो यह सकता है कि व्यक्ति अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करते हैं और नियमित व्यय के लिये नकदी कैसे प्राप्त करते हैं।

उन्नत वित्तीय समावेशन के लिये कार्यान्वयन रणनीतियाँ:

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** सरकार डिजिटल विभाजन को कम करने के लिये (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) **इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विस्तार में निवेश कर सकती है।**
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम:** RBI और अन्य वित्तीय संस्थान डिजिटल मुद्रा के लाभों और जोखिमों के बारे में व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिये **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को विकसित करने एवं कार्यान्वित करने में सहयोग कर सकते हैं।**
- **नियामक ढाँचा:** डिजिटल रुपए के उपयोग को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये एक स्पष्ट एवं व्यापक नियामक ढाँचा आवश्यक है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** सरकार, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों के बीच साझेदारी, डिजिटल रुपए को तीव्रता से अपनाने में सहयोग कर सकती है।

निष्कर्ष:

RBI द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत **भारत में वित्तीय समावेशन के लिये एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करती है।** वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में इस पहल की सफलता काफी हद तक विचारपूर्वक कार्यान्वयन रणनीतियों, मज़बूत बुनियादी ढाँचे के विकास और व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों पर निर्भर करेगी, जो **भारत को नकदी आधारित से कम नकदी वाली और फिर नकदी रहित अर्थव्यवस्था में बदल देगी।**

प्रश्न : कृषि 4.0 की अवधारणा की व्याख्या कीजिये तथा भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी संभावित भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- कृषि 4.0 को परिभाषित करके उत्तर की भूमिका लिखिये
- भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसकी संभावित भूमिका पर प्रकाश डालिये
- चुनौतियाँ और आगे की राह बताइए
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

कृषि 4.0 कृषि पद्धतियों में चौथी बड़ी क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है। यह **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा एनालिटिक्स और परिशुद्ध खेती की तकनीकों** जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को पारंपरिक कृषि पद्धतियों में समेकित करता है।

मुख्य भाग:

भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में संभावित भूमिका:

- **फसल उत्पादन में वृद्धि : राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के** एक अध्ययन से पता चलता है कि परिशुद्ध खेती की तकनीकों को व्यापक रूप से अंगीकृत करने से भारत के खाद्यान्न उत्पादन में 10-15% की वृद्धि हो सकती है।
  - **भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने पूसा-कृषि नामक एक एंड्रॉइड ऐप** विकसित किया है, जो मौसम पूर्वानुमान और मृदा स्वास्थ्य डेटा के आधार पर खेत-स्तरीय परामर्श प्रदान करता है।
- **फसलोपरांत होने वाली हानि का न्यूनीकरण:** IoT-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी फसलोपरांत होने वाली हानि को न्यूनीकृत कर सकती है, जो वर्तमान में भारत की कृषि उपज का 40% है।
  - **ई- नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाज़ार) मंच**, जो देश भर में किसानों को खरीदारों से जोड़ने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है।
- **जलवायु समुत्थानशीलता:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित पूर्वानुमान मॉडल किसानों को परिवर्तित होते जलवायु प्रारूप के अनुकूल होने में सहायता कर सकते हैं, जिससे पर्यावरणीय चुनौतियों के बावजूद खाद्य उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
  - **CRIDA का 'मेघदूत' ऐप** स्थान, फसल और पशुधन-विशिष्ट मौसम-आधारित कृषि-परामर्श प्रदान करता है।

नोट :

- **संसाधन दक्षता:** स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और निविष्टि के सटीक अनुप्रयोग से जल संरक्षण और रासायनिक उपयोग में कमी लाई जा सकती है, जिससे सतत् खाद्य उत्पादन सुनिश्चित हो सकता है।
  - तमिलनाडु परिशुद्ध कृषि परियोजना से **40-50% जल की बचत हुई।**
  - **भारत के कृषि रोबोट बाज़ार में 20.99%** की CAGR का अनुमान है और वर्ष **2028 तक 555.22 मिलियन अमरीकी डालर** का राजस्व दर्ज़ करने का अनुमान है।
- **पोषण सुरक्षा में सुधार:** परंपरागत कृषि पद्धतियों की तुलना में ऊर्ध्वाधर खेती से **प्रति इकाई क्षेत्र में 10 गुना अधिक फसल उपज प्राप्त की जा सकती है।**
  - मुंबई में, **खेती की "ग्रीनहाउस-इन-ए-बॉक्स" तकनीक ने छोटे किसानों को 80-90% कम जल का उपयोग करते हुए** उपज में 50-60% वृद्धि करने में सहायता की है।

चुनौतियाँ और आगे की राह:

अपनी क्षमता के बावजूद, भारत में कृषि 4.0 के कार्यान्वयन में सीमित डिजिटल बुनियादी ढाँचे, छोटी जोत और किसानों के बीच कम डिजिटल साक्षरता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिये निम्न की आवश्यकता है:

- ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिये **सार्वजनिक-निजी भागीदारी**
- प्रौद्योगिकियों को सामूहिक रूप से अंगीकृत करने के लिये **कृषक उत्पादक संगठनों (FPO) को** प्रोत्साहन
- किसानों के लिये अनुकूलित **वित्तीय उत्पाद और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम**
- कृषि डेटा का मानकीकरण और खुले डेटा प्लेटफॉर्म का निर्माण
- **कृषि 4.0 अवधारणाओं का कृषि शिक्षा** और विस्तार सेवाओं में समेकन

निष्कर्ष:

कृषि 4.0 भारत के लिये खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु एक परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है। यद्यपि, इस क्षमता को साकार करने के लिये **सरकार, निजी क्षेत्र और कृषक समुदायों को** विद्यमान बाधाओं को दूर करने और स्मार्ट खेती प्रथाओं को व्यापक रूप से अंगीकृत करने के लिये एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने हेतु एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल मार्गों के विशेष संदर्भ में भारत की आंतरिक सुरक्षा पर मादक पदार्थों की तस्करी के प्रभाव का आकलन कीजिये। इस खतरे से निपटने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नशीली दवाओं की तस्करी के खतरे पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- भारत की आंतरिक सुरक्षा पर मादक पदार्थों की तस्करी के प्रभाव पर गहन अध्ययन कीजिये।
- गोल्डन क्रिसेंट रूट का भारत पर प्रभाव बताइये।
- भारत पर गोल्डन ट्राइंगल मार्ग के प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

नशीली दवाओं की तस्करी अपने दूरगामी परिणामों के कारण भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक गंभीर खतरा बन गई है। भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर स्थित **गोल्डन क्रिसेंट तथा गोल्डन ट्राइंगल क्षेत्र** अवैध दवाओं के उत्पादन एवं तस्करी के प्रमुख केंद्रों के रूप में काम करते हैं।

मुख्य भाग:

भारत की आंतरिक सुरक्षा पर मादक पदार्थों की तस्करी का प्रभाव:

- **आतंकवाद और उग्रवाद का वित्तपोषण: वर्ष 2023** में, एनआईए ने अमृतसर में एक **नार्को-आतंकवाद मामले से जुड़ी संपत्ति ज़ब्त की**, जिसमें सेंधा नमक निर्यात की आड़ में पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक समूह का समावेश था।
  - **संगठित अपराध में वृद्धि : मुंबई और दिल्ली** जैसे प्रमुख शहरों में शक्तिशाली ड्रग माफियाओं का उदय होना, जिनके प्राय: अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं।
  - **कानून प्रवर्तन में भ्रष्टाचार: वर्ष 2013** का **पंजाब ड्रग घोटाला** , जिसमें कई राजनेता और पुलिस अधिकारी करोड़ों रुपये के ड्रग तस्करी नेटवर्क में संलिप्त पाए गए।

नोट :

- **मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आर्थिक प्रभाव:** हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने **चेन्नई के पास चेंगलपेट में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया।**

गोल्डन क्रिसेंट रूट:

यह अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को शामिल करते हुए अफीम उत्पादक क्षेत्र को संदर्भित करता है।

भारत पर प्रभाव:

- **प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों से निकटता** : अफगानिस्तान **विश्व की 80% से अधिक अफीम का उत्पादन करता है,** जिसमें से अधिकांश पाकिस्तान से होकर भारत पहुँचता है।
- **सुभेद्य सीमाओं द्वारा आवागमन : हाल ही में उड़ता राजस्थान ने पंजाब की जगह ले ली है, जो पाकिस्तानी गिरोहों** द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले मादक पदार्थों के लिये मुख्य प्रवेश बिंदु है , जो **सीमा पार खेप भेजने के लिये ड्रोन का उपयोग करते हैं।**

गोल्डन ट्राइंगल रूट

गोल्डन ट्राइंगल में **म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं** , जो अफीम और मेथाम्फेटामाइन उत्पादन के लिये जाने जाते हैं।

भारत पर प्रभाव:

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र की संवेदनशीलता** : हाल ही में असम राइफल्स, मणिपुर पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने भारत-म्यांमार सीमावर्ती शहर **मोरेह में दो स्थानों पर छापेमारी के दौरान 165 करोड़ रुपये मूल्य की ड्रग्स ज़ब्त की।**
- **नई सिंथेटिक दवाओं का उदय:** मिज़ोरम और मणिपुर जैसे राज्यों में **मेथाम्फेटामाइन (' याबा' गोलियाँ)** की ज़ब्ती में वृद्धि।

इससे निपटने के उपाय

खतरा:

- **सीमा सुरक्षा को मज़बूत करना: भारत-पाकिस्तान और भारत-म्यांमार सीमाओं** पर ग्राउंड सेंसर और ड्रोन जैसी उन्नत निगरानी प्रणालियों की तैनाती।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** साझेदार देशों के साथ खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को **साझा करने के लिये ब्रिक्स औषधि कार्य समूह** में भारत की भागीदारी एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **मांग में कमी लाना:** रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए **नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना (2018-2025)** का कार्यान्वयन एक अच्छा कदम है।
- **धन शोधन से निपटना** : मादक पदार्थों से संबंधित धन शोधन मामलों की जाँच और मुकदमा चलाने के लिये **प्रवर्तन निदेशालय की क्षमताओं को प्रभावी बनाना।**
- **असुरक्षित क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम** : अफीम की खेती के विकल्प के रूप में बड़ी **इलायची की खेती को बढ़ावा देने के लिये मणिपुर सरकार की पहल।**
- **जन जागरूकता अभियान:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में **272 संवेदनशील जिलों** में शुरू किये गए **"नशा मुक्त भारत अभियान "** को और बढ़ाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

मादक पदार्थों की तस्करी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक गंभीर खतरा है । सीमा सुरक्षा उपायों, प्रभावी कानून प्रवर्तन, समुदाय-आधारित पहल, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने वाले व्यापक दृष्टिकोण को लागू करके , भारत इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपट सकता है और **अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकता है।**

प्रश्न : चरमपंथी समूहों द्वारा भर्ती और प्रचार हेतु सोशल मीडिया का एक उपकरण के रूप में उपयोग से आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा है। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता किये बिना डिजिटल चरमपंथ से निपटने के लिये एक मज़बूत रणनीति किस प्रकार विकसित कर सकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- डिजिटल अतिवाद के प्रसार का उल्लेख करते हुए उत्तर लिखिये।
- डिजिटल अतिवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर विचार कीजिये।
- डिजिटल अतिवाद से निपटने के लिये रणनीतियाँ बताइये।
- डिजिटल अतिवाद से निपटने और लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने के मध्य संतुलन बनाने के तरीकों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

डिजिटल युग में **अभूतपूर्व कनेक्टिविटी और सूचना तक पहुँच मिली है, लेकिन इसने चरमपंथी समूहों के लिये दुष्प्रचार फैलाने** तथा **अनुयायियों की भर्ती करने के नए रास्ते** भी खोल दिये हैं।

नोट :

- विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेज़ी से डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर राष्ट्र के रूप में भारत को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखते हुए **डिजिटल अतिवाद से निपटने में एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।**

मुख्य भाग:

डिजिटल अतिवाद द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ:

- **घृणास्पद भाषण का तीव्र प्रसार:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चरमपंथी समूहों को घृणास्पद सामग्री तीव्रता से प्रसारित करने की अनुमति देते हैं, जो व्यापक दर्शकों तक पहुँचती है जिससे समाज में विभाजन को बढ़ावा मिलता है।
  - **उदाहरण: वर्ष 2019 में क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हमला,** जहाँ अपराधी ने फेसबुक पर अपने जघन्य कृत्यों का लाइव-स्ट्रीम किया, जो ऑनलाइन चरमपंथी सामग्री के तेज़ी से प्रसार को दर्शाता है।
- **भर्ती और कट्टरपंथ:** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म **चरमपंथी समूहों के लिये कमज़ोर व्यक्तियों की भर्ती करने** और उन्हें कट्टरपंथी अनुयायी बनाने के लिये अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं।
  - **उदाहरण:** आईएसआईएस ने भर्ती करने और दुष्प्रचार फैलाने के लिये टेलीग्राम तथा अन्य मैसेजिंग ऐप का प्रयोग किया।
- **डीपफेक और फेक न्यूज़: डीपफेक और फेक न्यूज़ के अन्य रूपों के प्रसार** का उपयोग लोगों के विचारों में हेरफेर करने तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास को कम करने के लिये किया जा सकता है।
  - **वर्ष 2024 के भारतीय आम चुनाव में** एआई-आधारित प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से डीपफेक और फेक न्यूज़ अभियानों के उपयोग में वृद्धि देखी गई।
- **हनी ट्रैपिंग:** चरमपंथी समूह रक्षा या सरकारी एजेंसियों जैसे संवेदनशील पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को खतरे में डालने के लिये सोशल मीडिया के माध्यम से हनी ट्रैपिंग की रणनीति अपना सकते हैं।
  - वर्ष 2023 में एक **DRDO वैज्ञानिक को** एक पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसने उसे रोमांटिक रिश्ते में फँसाया था।

डिजिटल अतिवाद के समाधान हेतु रणनीतियाँ:

- **बहु-हितधारक सहयोग:** डिजिटल अतिवाद के समाधान हेतु सरकारी एजेंसियों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नागरिक समाज संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को शामिल करने वाला एक सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक है।
- **सामग्री मॉडरेशन और तथ्य-जाँच:** प्रौद्योगिकी कंपनियों को **मज़बूत सामग्री मॉडरेशन नीतियों को लागू करना चाहिये और** हानिकारक सामग्री के प्रसार को कम करने के लिये तथ्य-जाँच पहल में निवेश करना चाहिये।
  - **भारत सरकार** द्वारा सोशल मीडिया मध्यस्थों को फेक न्यूज़ और डीपफेक की पहचान करने तथा रिपोर्ट किये जाने के 36 घंटे के भीतर ऐसी किसी भी सामग्री को हटाने के लिये जारी किया गया परामर्श इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **प्रति-आख्यान और सकारात्मक संदेश:** सरकार और नागरिक समाज संगठनों को चरमपंथी विचारधारा को चुनौती देने के लिये प्रति-आख्यान विकसित करना चाहिये तथा सकारात्मक संदेश को बढ़ावा देना चाहिये।
- **साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता: साइबर सुरक्षा उपायों को** मज़बूत करने **और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने से** ऑनलाइन चरमपंथी समूहों की गतिविधियों को बाधित करने में सहायता मिल सकती है।
  - इसके अलावा लोगों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से लोगों को चरमपंथी दुष्प्रचार की पहचान करने और उसका सामना करने में मदद मिल सकती है।

डिजिटल अतिवाद का सामना करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के मध्य संतुलन बनाना:

डिजिटल अतिवाद से निपटना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। इस संदर्भ में कुछ मुख्य बिंदु:

- **आनुपातिकता:** ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिये अपनाए गए उपाय उत्पन्न खतरे के अनुपात में होने चाहिये।
- **स्पष्टता और पारदर्शिता:** ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने वाले कानून और नियम स्पष्ट और पारदर्शी होने चाहिये जिससे निराधार सेंसरशिप को रोका जा सके।
- **स्वतंत्र निरीक्षण:** ऑनलाइन सामग्री मॉडरेशन से संबंधित सरकारी कार्यों की निगरानी और समीक्षा के लिये एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना की जानी चाहिये।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए डिजिटल चरमपंथ की वैश्विक प्रकृति से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत में डिजिटल चरमपंथ से निपटने के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो **राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की आवश्यकता को लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के साथ संतुलित** करे। सहयोग को बढ़ावा देने, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने, साइबर सुरक्षा उपायों को मज़बूत करने और प्रभावी प्रतिक्रिया को विकसित करने के माध्यम से भारत, ऑनलाइन कार्य करने वाले चरमपंथी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे को कम कर सकता है।

नोट :

जैवविविधता और पर्यावरण

प्रश्न : भारतीय शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिये। प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये कौन-से अतिरिक्त उपाय कार्यान्वित किये जा सकते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- NCAP के सकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डालिये।
- इसकी चुनौतियों और सीमाओं पर गहन विचार कीजिये।
- सुधार के लिये अतिरिक्त उपाय बताइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा वर्ष **2019** में शुरू किया गया राष्ट्रीय **स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का ढाँचा है।**

- भारत **विश्व स्तर पर तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित देश है** तथा **विश्व के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 42 शहर** इसकी सीमा के भीतर स्थित हैं **(आईक्यूएयर रिपोर्ट 2023)**, NCAP का लक्ष्य इस महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे का समाधान करना है।

मुख्य भाग:

NCAP की प्रभावशीलता:

सकारात्मक प्रभाव:

- वर्ष 2023 तक, **131 शहरों में से 90 ने वर्ष** 2017-18 आधार रेखा की तुलना में वार्षिक PM10 सांद्रता के संदर्भ में वायु गुणवत्ता में सुधार प्रदर्शित किया है।
- राजधानी दिल्ली में **वार्षिक PM2.5** सांद्रता में वर्ष 2018 में 128 $\mu g/m^3$ से वर्ष 2023 में 106 $\mu g/m^3$ तक 17% की कमी देखी गई है और PM10 के स्तर में 22% की कमी आई है।
- वर्ष 2022 में PM2.5 सांद्रता (26.33 $\mu g/m^3$) के मामले में **श्रीनगर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जबकि कोहिमा PM10 सांद्रता** (26.77 $\mu g/m^3$) के साथ सबसे स्वच्छ शहर था।
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिये वर्ष 2020 में **देश भर में BS-VI ईंधन मानकों** का कार्यान्वयन।
- पेट्रोल स्टेशनों पर **वाष्प पुनर्प्राप्ति प्रणाली (VRS)** की स्थापना।
- वायु प्रदूषण की आपात स्थितियों के लिये आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों का विकास।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

- **असमान प्रगति:**
  - **46 शहरों में से** केवल 8 शहर **ही PM स्तर में 20-30% कमी लाने** का प्रारंभिक लक्ष्य पूरा कर पाए हैं।
  - विगत् 5 वर्षों में 22 शहरों में PM10 के स्तर में गिरावट देखी गई है।
- **निधियों का कम उपयोग:**
  - **शहरों द्वारा आवंटित धनराशि का** केवल 60% ही उपयोग किया गया है।
  - 27% शहरों ने अपने निर्धारित बजट का 30% से भी कम व्यय किया है, जबकि **विशाखापत्तनम और बेंगलूरू ने** अपनी NCAP निधि का **1% से भी कम** उपयोग किया है।
- **कार्यान्वयन अंतराल:**
  - यद्यपि अधिकांश शहरों ने **स्वच्छ वायु कार्य योजनाएँ (CAAP) प्रस्तुत कर दी हैं, फिर भी** प्रभावी कार्यान्वयन एक चुनौती बनी हुई है।
  - नौकरशाही बाधाओं और लालफीताशाही ने संसाधनों के कुशल उपयोग में बाधा उत्पन्न की है।

सुधार के लिये अतिरिक्त उपाय:

- **उन्नत निगरानी और प्रवर्तन:** व्यापक और विश्वसनीय डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिये वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।
  - औद्योगिक उत्सर्जन और वाहन प्रदूषण पर **मौजूदा नियमों का सख्ती से** कार्यान्वयन।
- **संवहनीय शहरी नियोजन:** महानगरीय क्षेत्रों में पारगमन-उन्मुख विकास और हरित बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना।
  - हरित क्षेत्र में वृद्धि तथा प्राकृतिक वायु शोधक के रूप में कार्य करने के लिये अधिक शहरी वन का निर्माण।

नोट :

- **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:** विद्युत उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थित्यंतरण को तीव्र करना।
  - प्रोत्साहन और बुनियादी ढाँचे के विकास के माध्यम से प्रमुख शहरों में **इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र का** विस्तार।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** अपशिष्टों को खुले में दहन को कम करने के लिये उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकों का कार्यान्वयन।
  - अपशिष्ट भराव क्षेत्र उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिये **पृथक्करण और पुनर्चक्रण को** प्रोत्साहन।
- **जन जागरूकता और भागीदारी:** वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों पर व्यापक जन जागरूकता अभियान का संचालन।
  - स्थानीय वायु गुणवत्ता सुधार पहलों में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन।

निष्कर्ष:

यद्यपि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने भारत में शहरी वायु प्रदूषण को संबोधित करने में कुछ प्रगति की है, फिर भी महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। प्रमुख महानगरीय क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये, एक बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें बेहतर निगरानी, **स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (SDG 7), संवहनीय शहरी नियोजन (SDG 11) और बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। यह भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य (SDG 3)** तथा **जलवायु कार्रवाई (SDG 13)** के लक्ष्यों के अनुरूप है, ताकि स्वच्छ वायु और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्रश्न : पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यानों का विकास भारत की अंतरिक्ष नीति, 2023 के उद्देश्यों के साथ किस प्रकार संरेखित है? भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण हेतु इसके निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की अंतरिक्ष नीति, 2023 का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरूआत कीजिये।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 के साथ पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों के संरेखण पर गहन विचार कीजिये।
- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण पर इसके प्रभाव बताइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत की अंतरिक्ष नीति, 2023 देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिये महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यों को रेखांकित करती है, जिसमें **अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और स्थायी अंतरिक्ष गतिविधियों को सुनिश्चित करना शामिल है।**

- **पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों (RLV)** का विकास इन उद्देश्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।

मुख्य भाग:

भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 के साथ पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों का संरेखण:

- **तकनीकी उन्नति:** भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये भारत की प्रतिबद्धता पर ज़ोर देती है। आरएलवी कार्यक्रम इस उद्देश्य का उदाहरण है:
  - **इसरो की पुष्पक- पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (आरएलवी-टीडी) परियोजना** जटिल एयरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करती है।
  - LEX **-03 मिशन ने** अंतरिक्ष से लौटने वाले वाहन के लिये लैंडिंग की स्थितियों का अनुकरण किया, जिसमें **लैंडिंग वेग 320 किमी/घंटा से अधिक था** - जो वाणिज्यिक विमान या सामान्य लड़ाकू जेट से भी अधिक तेज़ था।
- **लागत-प्रभावशीलता:** भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 का एक प्रमुख लक्ष्य **अंतरिक्ष तक पहुँच की लागत को कम करना है।** आरएलवी इस उद्देश्य में सीधे योगदान देते हैं:
  - पुन: प्रयोज्यता प्रत्येक मिशन के लिये नए वाहन बनाने की आवश्यकता को समाप्त करके **प्रक्षेपण लागत को** काफी कम कर देती है।
    - आरएलवी-टीडी कार्यक्रम का उद्देश्य **पूर्णत: पुन: प्रयोज्य दो-चरणीय कक्षीय प्रक्षेपण यान के लिये प्रौद्योगिकियों का विकास करना है,** जो प्रक्षेपण अर्थशास्त्र में क्रांति ला सकता है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र का व्यावसायीकरण:** भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 का उद्देश्य अंतरिक्ष गतिविधियों में **निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है** । आरएलवी प्रौद्योगिकी के महत्त्वपूर्ण वाणिज्यिक निहितार्थ हैं:
  - आरएलवी प्रौद्योगिकियों के विकास से **निजी क्षेत्र के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्पिन-ऑफ के अवसर पैदा होते हैं।**

नोट :

- **इस नीति से नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम** जैसी साझेदारियाँ हो सकती हैं , जहाँ **स्पेसएक्स और बोइंग** जैसी निजी कंपनियां सरकारी तथा वाणिज्यिक उपयोग के लिये अंतरिक्ष यान विकसित और संचालित करती हैं।

- **प्रक्षेपण क्षमताओं में वृद्धि:** नीति का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष अवसंरचना और प्रक्षेपण क्षमता का विस्तार करना है:
  - आर.एल.वी. संभावित रूप से प्रक्षेपण आवृत्ति और पेलोड क्षमता को बढ़ा सकते हैं।
  - वाहनों को शीघ्रता से नवीनीकृत करने और पुन: लॉन्च करने की क्षमता समग्र स्थान तक पहुँच को बढ़ाती है।
  - **इसरो के आरएलवी-टीडी कार्यक्रम** में हाइपरसोनिक उड़ान, स्वचालित लैंडिंग और संचालित क्रूज़ उड़ान का परीक्षण शामिल है - जो सभी **कुशल, पुन: प्रयोज्य अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।**

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण के निहितार्थ:

- **नए व्यवसाय मॉडल:** आरएलवी अधिक लचीली और प्रतिक्रियाशील प्रक्षेपण सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिससे कंपनियां **"अंतरिक्ष-पर-मांग" समाधान प्रदान कर सकती हैं।**
- **प्रवेश संबंधी बाधाओं में कमी : कम प्रक्षेपण लागत के कारण स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों के लिये नवीन उपग्रह तथा पेलोड अवधारणाओं** के साथ अंतरिक्ष बाज़ार में प्रवेश करना आसान हो जाता है।
- **प्रक्षेपण आवृत्ति में वृद्धि** : आरएलवी के लिये त्वरित समयावधि संचार, पृथ्वी अवलोकन और अन्य अनुप्रयोगों के लिये बड़े उपग्रह समूहों की तैनाती तथा रखरखाव में सहायक हो सकती है।
- **घरेलू विनिर्माण:** आरएलवी के विकास से **विशिष्ट घटकों और सामग्रियों की मांग बढ़ेगी** , जिससे भारत के एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
- **अंतरिक्ष पर्यटन:** यद्यपि इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आरएलवी प्रौद्योगिकी में निपुणता प्राप्त करना **भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन के संभावित** अवसरों के लिये आधार तैयार करेगा।

निष्कर्ष:

पुन: प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों का विकास **भारत की अंतरिक्ष नीति, 2023 के साथ मज़बूती से जुड़ा हुआ है, जो तकनीकी उन्नति, लागत-प्रभावशीलता और क्षेत्र के व्यावसायीकरण के लक्ष्यों का समर्थन करता है। यह संरेखण** अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए **वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को** सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

प्रश्न : भारत के औद्योगिक क्षेत्र में अपशिष्ट और संसाधन उपभोग को न्यून करने हेतु 3D प्रिंटिंग तकनीक का लाभ कैसे उठाया जा सकता है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- 3D प्रिंटिंग को परिभाषित करके उत्तर की भूमिका लिखिये।
- भारत के औद्योगिक क्षेत्र में अपशिष्ट को न्यूनतम करने और संसाधन उपयोग को अनुकूलतम बनाने में 3D प्रिंटिंग की क्षमता का अन्वेषण कीजिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

3D प्रिंटिंग, जिसे एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, एक नवीन तकनीक है जो विभिन्न उद्योगों में उत्पादन प्रक्रियाओं में क्रांति लाने की क्षमता रखती है।

- भारत के औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में जो अपशिष्ट उत्पादन और संसाधन अकुशलता से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है, 3D प्रिंटिंग, **उत्पादकता तथा प्रतिस्पर्द्धात्मकता को** बढ़ाते हुए **पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये आशाजनक समाधान प्रदान करती है।**

मुख्य भाग:

भारत के औद्योगिक क्षेत्र में अपशिष्ट को न्यूनतम करने और संसाधन उपयोग को अनुकूलतम बनाने में 3D प्रिंटिंग की क्षमता:

- **मांग अनुरूप विनिर्माण:** 3D प्रिंटिंग मांग अनुरूप उत्पादन को सक्षम बनाती है, जिससे **अति-उत्पादन और संबंधित अपशिष्ट में काफी कमी आती है।**
  - यह दृष्टिकोण विशेष रूप से अस्थिर मांग वाले उद्योगों या अनुकूलित उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के लिये लाभदायक है।
  - कभी-कभार उपयोग में आने वाले घटकों का बड़ा भंडार संधारित करने के बजाय, **वे आवश्यकतानुसार विशिष्ट भागों का मुद्रण कर सकते हैं, जिससे** भंडारण लागत कम होगी और अप्रचलन अपशिष्ट न्यूनतम होगा।
- **संसाधन दक्षता के लिये अनुकूलित अभिकल्पना:** 3D मुद्रण से **जटिल, अनुकूलित अभिकल्पना संभव हो जाता है**, जो कम सामग्री का उपयोग करते हुए कार्यक्षमता को संधारित करता है।
  - इससे विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल की खपत में महत्त्वपूर्ण कमी आ सकती है।

नोट :

- भारत में एयरोस्पेस उद्योग, जिसका प्रतिनिधित्व हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जैसी कंपनियाँ करती हैं, **हल्के विमान घटकों के निर्माण के लिये 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर सकती हैं।**
- **बेंगलूरू में भारत का पहला 3D-मुद्रित डाकघर** एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।

- **विनिर्माण अपशिष्ट में कमी:** विनिर्माण विधियों के **परिणामस्वरूप प्रायः महत्त्वपूर्ण सामग्री अपशिष्ट उत्पन्न होता है।**
  - 3D मुद्रण एक योगात्मक प्रक्रिया होने के कारण, **केवल अंतिम उत्पाद के लिये आवश्यक सामग्री का उपयोग करता है, जिससे अपशिष्ट में भारी कमी आती है।**
  - आभूषण विनिर्माण क्षेत्र में जो भारत में महत्त्वपूर्ण है, कंपनियाँ जटिल अभिकल्पना निर्माण के लिये 3D प्रिंटिंग का कार्यान्वयन कर सकती हैं।
  - इससे पारंपरिक ढलाई विधियों की तुलना में **सोने और चाँदी के अपशिष्ट को 50% तक कम किया जा सकता है,** क्योंकि अतिरिक्त सामग्री को आसानी से पुनर्चक्रित तथा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है।
- **स्थानीयकृत उत्पादन:** 3D मुद्रण **विकेंद्रीकृत, स्थानीयकृत उत्पादन को सक्षम बनाता है,** जिससे लंबी दूरी के परिवहन और संबंधित पैकेजिंग अपशिष्ट की आवश्यकता कम हो जाती है।
  - चिकित्सा उपकरण उद्योग में कंपनियाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर 3D प्रिंटिंग सुविधाएँ स्थापित कर सकती हैं।
    - इससे अनुकूलित कृत्रिम अंगों **या चिकित्सा प्रत्यारोपणों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन संभव हो सकेगा,** जिससे परिवहन लागत और पैकेजिंग अपशिष्ट में कमी आएगी तथा मरीज़ों के लिये अभिगम्यता में सुधार होगा।
- **पुनःस्थापन और नवीनीकरण: 3D प्रिंटिंग आसान पुनःस्थापन और नवीनीकरण की सुविधा प्रदान** करके उत्पादों की निधानी आयु (शेल्फ लाइफ) को बढ़ा सकती है, जिससे पूर्ण प्रतिस्थापन की आवश्यकता कम हो जाती है।
  - उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कंपनियाँ **उत्पादन से बाहर के मॉडलों के लिये स्पेयर पार्ट्स बनाने हेतु 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर सकती हैं।**
- **संवहनीय सामग्री उपयोग:** 3D मुद्रण प्रौद्योगिकी **पुनर्नवीनीकृत और जैवनिम्नीकरणीय विकल्पों सहित सामग्रियों की एक विस्तृत शृंखला के साथ संगत है,** जो विनिर्माण में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।
  - निर्माण उद्योग में कंपनियाँ **पुनर्चक्रित कंक्रीट या कृषि अपशिष्ट से प्राप्त बायोप्लास्टिक जैसी संवहनीय सामग्रियों के साथ 3D प्रिंटिंग की संभावनाएँ तलाश सकती हैं।**

निष्कर्ष:

भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग तकनीक का एकीकरण **अपशिष्ट में कमी और संसाधन दक्षता चुनौतियों का समाधान करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। यद्यपि, सफल कार्यान्वयन के लिये** प्रारंभिक बाधाओं को दूर करने और विभिन्न उद्योगों में संभावित लाभों को अधिकतम करने के लिये **प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं सहायक नीतियों में भारी निवेश की** आवश्यकता होगी।

प्रश्न : अंतरिक्ष मलबा क्या है? पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या, अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह संचालन पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- अंतरिक्ष मलबे को परिभाषित करके उत्तर की भूमिका लिखिये
- अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या और इसके संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालिये
- वर्तमान शमन प्रयासों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिये
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

अंतरिक्ष मलबे का अर्थ अंतरिक्ष में विद्यमान निष्क्रिय कृत्रिम वस्तुओं से है, विशेष तौर पर पृथ्वी की कक्षा में। इन वस्तुओं में **निष्क्रिय रॉकेट, निष्क्रिय उपग्रह, संघट्ट या विस्फोट से बचे हुए टुकड़े** और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष में सैर के दौरान अदृष्ट उपकरण भी शामिल हैं।

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के अनुसार, वर्ष 2024 तक, **पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए 10 सेमी से बड़े अंतरिक्ष मलबे के लगभग 36,500 टुकड़े होंगे।**

नोट :

मुख्य भाग:

अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या और इसके संभावित प्रभाव:

- **परिचालन उपग्रहों के लिये खतरा:** अंतरिक्ष मलबा सक्रिय उपग्रहों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर सकता है, जिससे संचार, मौसम पूर्वानुमान और पारगमन प्रणाली जैसी महत्त्वपूर्ण सेवाएँ बाधित हो सकती हैं।
  - **वर्ष 2022 में, रूसी उपग्रह-रोधी मिसाइल परीक्षण** से निकला अंतरिक्ष मलबा **चीन के सिंघुआ विज्ञान उपग्रह को** क्षति पहुँचाने के 47 फीट की सीमा में प्रवेश कर गया था।
- **मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिये जोखिम: मलबा चालक दल मिशनों** के लिये एक बड़ा खतरा उत्पन्न करता है, जिससे अंतरिक्ष यान को क्षति पहुँच सकता है या अंतरिक्षयान से बाहर की गतिविधियों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
  - नासा का अनुमान है कि **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने वर्ष 1999 से अब तक 30 से अधिक मलबा परिवर्जन अभियानों का संचालन किया हैं।**
- **आर्थिक प्रभाव:** निरंतर निगरानी की आवश्यकता, मलबे से बचने के उपाय तथा उपग्रहों की संभावित हानि के कारण महत्त्वपूर्ण आर्थिक लागत हो सकती है।
  - वर्ष 2023 में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 546 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी, जिसमें उपग्रह सेवाओं का बड़ा हिस्सा होगा। मलबे की बढ़ती समस्या इस तेज़ी से बढ़ते क्षेत्र के लिये खतरा बन गई है।
- **पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के लिये खतरा:** अंतरिक्ष मलबे के बड़े टुकड़े जो पुन: प्रवेश के बाद बच जाते हैं, वे आबादी वाले क्षेत्रों, विमानों और समुद्री जहाजों के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
  - वर्ष 2021 में, एक **चीनी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चरण ने** पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से पुन: प्रवेश किया और मालदीव के ठीक पश्चिम में हिंद महासागर में गिर गया।

वर्तमान शमन प्रयास:

- **अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (SSA):** संभावित संघट्टों की भविष्यवाणी करने के लिये अंतरिक्ष वस्तुओं की निरंतर निगरानी और उनका पदांकन आवश्यक हैं।
  - अमेरिकी **अंतरिक्ष निगरानी नेटवर्क** 27,000 से अधिक कक्षीय मलबे की निगरानी करता है।
- **मलबा परिवर्जन की प्रौद्योगिकियाँ:** कक्षा से मलबों के सक्रिय परिवर्जन हेतु विभिन्न तरीकों का विकास किया जा रहा है।
  - वर्ष 2023 में, **ESA ने क्लियरस्पेस-1 मिशन को मंजूरी दी, जिसे वर्ष 2025 में विमोचित किया जाना है,** जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को अधिग्रहित और उसकी कक्षा से बाहर निकालने की प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश: बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS) ने** मलबे के शमन के लिये दिशानिर्देश स्थापित किये हैं।
- **इसरो की पहल: सुरक्षित एवं सतत् परिचालन प्रबंधन के लिये इसरो प्रणाली तथा प्रोजेक्ट नेत्र,** SSA और अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई प्रमुख पहल हैं।

निष्कर्ष:

अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती चुनौती अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह संचालन की स्थिरता को खतरे में डालती है, जिससे **केसलर सिंड्रोम जैसे जोखिम उत्पन्न होते हैं। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नवाचार और ज़िम्मेदार प्रथाओं की आवश्यकता है, जिसमें "डिजाइन फॉर डेमिनेशन" सिद्धांत** शामिल हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उपग्रह पुन: प्रवेश करने पर पूरी तरह से नष्ट हो जाएँ।

■■■

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता को अक्सर कल्याणकारी शासन के स्तंभों के रूप में संदर्भित किया जाता है। बताइये कि व्यावहारिक स्तर पर इन सिद्धांतों के बीच कभी-कभी किस प्रकार संघर्ष देखा जा सकता है। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में जहां सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता में टकराव होता है, वहां प्रमुख तर्क दीजिए।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सत्यनिष्ठा **नैतिकता और नैतिक सिद्धांतों का पालन है,** जबकि पारदर्शिता संचार और निर्णय लेने में खुलापन तथा ईमानदारी है।इन्हें प्राय: अच्छे शासन की आधारशिला के रूप में बताया जाता है। ये **जवाबदेही, सार्वजनिक विश्वास और प्रभावी निर्णय लेने को सुनिश्चित करती हैं।**

- हालाँकि जटिल वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में, ये सिद्धांत कभी-कभी टकरा सकते हैं, जिससे **नैतिक दुविधाएँ और चुनौतीपूर्ण समझौते उत्पन्न हो सकते हैं।**

मुख्य भाग:

वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता में टकराव:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम सूचना का सार्वजनिक अधिकार:** राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, **पूर्ण पारदर्शिता संवेदनशील संचालन या खुफिया जानकारी को जोखिम में डाल सकती है।** हालांकि पारदर्शिता की कमी भ्रष्टाचार या अधिकारों के उल्लंघन को भी बढ़ावा दे सकती है।
  - **उदाहरण: भारत में** राफेल **लड़ाकू विमान सौदे का विवाद** इस तनाव को उजागर करता है। जबकि सरकार ने कुछ विवरणों को रोकने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया, विपक्षी दलों और कार्यकर्त्ताओंओं ने तर्क दिया कि सार्वजनिक जवाबदेही के लिये पूर्ण प्रकटीकरण आवश्यक था।
- **व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा बनाम सार्वजनिक कार्यालय में पारदर्शिता सुनिश्चित करना:** सार्वजनिक अधिकारियों को व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार है, लेकिन अत्यधिक गोपनीयता सुरक्षा पारदर्शिता और जवाबदेही में बाधा डाल सकती है।
  - **उदाहरण: भारत में राजनेताओं की संपत्ति की घोषणा को सार्वजनिक करने** पर बहस।
    - यद्यपि परिसंपत्ति प्रकटीकरण से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, लेकिन कुछ लोग तर्क देते हैं कि इससे निजता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। इससे अधिकारियों को सुरक्षा जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
- **व्हिसलब्लोअर संरक्षण बनाम संगठनात्मक गोपनीयता: भ्रष्टाचार को उजागर करने में** व्हिसलब्लोअर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं , लेकिन उनके कार्यों से गोपनीयता समझौतों या प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो सकता है।
  - **उदाहरण:** भारतीय **व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम का** उद्देश्य भ्रष्टाचार को उजागर करने वालों की रक्षा करना है।
    - हालाँकि इसका कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहा है तथा कानून के बावजूद कुछ मुखबिरों को प्रतिशोध का सामना करना पड़ा है।
- **त्वरित निर्णय लेना बनाम गहन परामर्श प्रक्रियाएँ:** आपातकालीन स्थितियों में **नेताओं को** संभवत: मान्य पारदर्शिता प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए, जल्दी से कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि इससे सत्यनिष्ठा और जवाबदेही पर सवाल उठ सकते हैं।
  - **उदाहरण: वर्ष 2016 में अचानक लिया गया विमुद्रीकरण का निर्णय,** मुद्रा जमाखोरी को रोकने के लिये न्यूनतम सार्वजनिक परामर्श के साथ लिया गया था।
    - यद्यपि इससे ऑपरेशन की अखंडता बनी रही, लेकिन पारदर्शिता और तैयारी की कमी के कारण इसकी आलोचना भी हुई।
- **कूटनीतिक वार्ता बनाम सार्वजनिक प्रकटीकरण:** कूटनीतिक प्रक्रियाओं में अक्सर **विश्वास बनाने और समझौता करने के लिये गोपनीयता की आवश्यकता होती है।**
- हालाँकि इससे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानने के जनता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

नोट :

- **उदाहरण:** भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता **प्राय: गुप्त रूप** से होती है। इस प्रक्रिया में खुली चर्चा होती है, किंतु इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक अटकलें भी उत्पन्न होती हैं और सीमा से संबंधित मुद्दों की स्थिति के बारे में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता महसूस की जाती है।

- **कमज़ोर समूहों की सुरक्षा बनाम सामाजिक कार्यक्रमों में पारदर्शिता : कमज़ोर लाभार्थियों की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा करना कभी-कभी** सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में पारदर्शिता की आवश्यकताओं के साथ टकराव उत्पन्न कर सकता है।
  - **उदाहरण: भारत में आधार प्रणाली का** उद्देश्य लाभ वितरण को सुव्यवस्थित करना है, लेकिन गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण इसकी आलोचना भी हुई है।
    - सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना पड़ा है।

निष्कर्ष:

जबकि सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता दोनों ही अच्छे शासन के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, इन सिद्धांतों को संतुलित करने के लिये **संदर्भ, कानूनी रूपरेखा तथा संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है।** कुंजी सूक्ष्म दृष्टिकोण विकसित करने में निहित है, जो सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता दोनों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक अधिकतम करती है।

प्रश्न : लोक सेवा में 'सहानुभूति शिथिलता' की अवधारणा को समझाइये। सामाजिक समस्याओं के निरंतर संपर्क में रहते हुए प्रशासक, सहानुभूति को किस प्रकार बनाए रख सकते हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- सहानुभूति शिथिलता को परिभाषित करते हुए परिचय दीजिये।
- सामाजिक समस्याओं के निरंतर संपर्क के बीच सहानुभूति बनाए रखने के तरीके सुझाइये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सहानुभूति शिथिलता तब होती है जब लोक सेवक दूसरों की समस्याओं के निरंतर संपर्क में रहने से **भावनात्मक रूप से अभिभूत हो जाते हैं** , जिसके परिणामस्वरूप उनकी सहानुभूति करने की क्षमता कम हो जाती है।

- यह अवधारणा विशेष रूप से उन लोक प्रशासकों के लिये प्रासंगिक है, जो लगातार सामाजिक समस्याओं और मानवीय पीड़ा से जूझते रहते हैं।

मुख्य भाग:

सामाजिक समस्याओं के निरंतर संपर्क के बीच सहानुभूति बनाए रखना:

- **संकेतों को पहचानना: प्रशासकों को सहानुभूति शिथिलता के संकेतों** के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिसमें भावनात्मक थकावट, नौकरी से संतुष्टि में कमी और निराशा की भावना शामिल हो सकती है।
- **सहानुभूति और व्यावसायिक दूरी के बीच संतुलन बनाए रखना:** सार्वजनिक सेवा में दीर्घकालिक प्रभावशीलता के लिये सहानुभूति और व्यावसायिक दूरी के बीच संतुलन बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।
- **स्व-देखभाल अभ्यास:** नियमित स्व-देखभाल अभ्यासों को लागू करने से प्रशासकों को अपनी सहानुभूति भंडार को पुन: भरने में मदद मिल सकती है।
  - **मध्य प्रदेश सरकार का प्रसन्नता विभाग** अपने कर्मचारियों को तनाव प्रबंधन और भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करने के लिये नियमित रूप से ध्यान तथा योग सत्र आयोजित करता है।
- **कर्तव्यों का चक्रण:** कर्तव्यों का आवधिक चक्रण, प्रशासकों को सार्वजनिक सेवा के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराकर, शिथिलता को रोक सकता है तथा सहानुभूति को नवीनीकृत कर सकता है।
- **सहकर्मी सहायता प्रणालियां:** सहकर्मी सहायता नेटवर्क बनाने से अनुभवों और सामना करने की रणनीतियों को साझा करने के लिये एक मंच उपलब्ध हो सकता है।
  - भारतीय **सेना ने मित्र प्रणाली लागू की है,** जिसमें सैनिकों को एक-दूसरे को भावनात्मक रूप से सहयोग देने के लिये जोड़ा जाता है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसे सिविल प्रशासकों के लिये भी अपनाया जा सकता है।
- **लाभार्थियों के साथ संपर्क बनाए रखना:** सार्वजनिक सेवाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संपर्क उद्देश्य और सहानुभूति की भावना को मज़बूत कर सकता है।
  - **कई भारतीय राज्यों में 'जन संवाद' पहल** , जिसके तहत प्रशासक सीधे नागरिकों के साथ बातचीत करते हैं, उन लोगों के साथ संपर्क बनाए रखने में मदद करती है जिनकी वे सेवा करते हैं।

नोट :

- **मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाएँ:** पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहायता तक पहुंच प्रदान करने से प्रशासकों को सहानुभूति शिथिलता का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।
  - भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने अपने कर्मियों के लिये मनोवैज्ञानिक सहायता हेल्पलाइन शुरू की है, एक ऐसा मॉडल जिसे अन्य सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जासकता है।
- **सामुदायिक सहभागिता:** प्रशासकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सामुदायिक सेवा में संलग्न होने के लिये प्रोत्साहित करने से उनमें उद्देश्य और सहानुभूति की भावना का नवीनीकरण हो सकता है।
  - **'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम** सिविल सेवकों को राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित करता है, जिससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है।

निष्कर्ष:

सामाजिक समस्याओं के निरंतर संपर्क में रहते हुए सहानुभूति बनाए रखना भारत में लोक प्रशासकों के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। हालाँकि व्यक्तिगत, संस्थागत और नीति-स्तरीय रणनीतियों के संयोजन को लागू करके , सहानुभूति शिथिलता को कम करना संभव है।

प्रश्न : संगठनात्मक संदर्भों में "नैतिकता का पतन होने" की अवधारणा का विश्लेषण कीजिये। सार्वजनिक संस्थाएँ इस घटना से किस प्रकार बच सकती हैं तथा समय के साथ उच्च नैतिक मानकों को किस प्रकार बनाए रख सकती हैं? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- 'नैतिकता का पतन' को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- नैतिकता के पतन में योगदान देने वाले कारक पर चर्चा कीजिये।
- सार्वजनिक संस्थानों के लिये प्रमुख सुरक्षा उपायों पर तथ्यात्मक रूप से विचार कीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

नैतिकता का पतन एक मनोवैज्ञानिक घटना है, जिसमें व्यक्ति समय के साथ अपने निर्णयों के नैतिक निहितार्थों के प्रति धीरे-धीरे कम संवेदनशील हो जाता है।

- इससे भिन्न-भिन्न अनैतिक व्यवहारों को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- यह संगठनात्मक संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय है, **जहाँ व्यक्तियों को अक्सर जटिल निर्णयों का सामना करना पड़ता है,** जिसमें प्रतिस्पर्द्धी हितों के मध्य संतुलन स्थापित करना शामिल है।

मुख्य भाग:

नैतिक पतन में योगदान देने वाले कारक:

- **प्रदर्शन का दबाव:** जब व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने या समय-सीमा को पूरा करने के लिये अत्यधिक दबाव में होते हैं, तो उसके द्वारा नैतिक विचारों की अनदेखी करने की संभावना अधिक होती है।
  - **उदाहरण के लिये सत्यम कंप्यूटर घोटाले** में, उच्च विकास दर बनाए रखने के दबाव के कारण धोखाधड़ीपूर्ण लेखांकन प्रथाओं को बढ़ावा मिला।
- **सामूहिक विचार:** जब किसी संगठन के व्यक्ति अपने साथियों की राय से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, **तो उनके द्वारा अनैतिक व्यवहार पर सवाल उठाने की संभावना कम होती है।**
  - मुंबई में आदर्श **सहकारी आवास सोसायटी घोटाला** भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को बढ़ावा देने वाली सामूहिक सोच का एक उदाहरण है।
- **असंवेदीकरण:** समय के साथ अनैतिक व्यवहार के संपर्क में आने से असंवेदीकरण उत्पन्न हो सकता है, जिससे ऐसे कार्यों को उचित ठहराना या अनदेखा करना आसान हो जाता है।
  - **मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला इसका एक उदाहरण है,** जिसमें मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु रिश्वत ली गई थी।
- **संगठनात्मक संस्कृति:** एक विषाक्त संगठनात्मक संस्कृति जो दीर्घकालिक स्थिरता की तुलना में अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देती है, वह ऐसा वातावरण विकसित कर सकती है जहाँ अनैतिक व्यवहार का सामना किया जाता है या यहाँ तक कि पुरस्कृत भी किया जाता है।
- **प्रोत्साहन का अभाव:** व्यावसायिक परिवेश में मान्यता का अभाव नैतिक पतन का कारण बन सकता है।
  - जब मेहनती कर्मचारियों को पुरस्कृत या प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो वे निराश हो सकते हैं और **नैतिक विचारों को प्राथमिकता देने की संभावना कम हो जाती है।**

सार्वजनिक संस्थानों के लिये सुरक्षा उपाय:

- **नैतिक नेतृत्व:** किसी संगठन की दिशा तय करने के लिये मज़बूत नैतिक नेतृत्व आवश्यक है।

नोट :

- नेताओं को लगातार **ईमानदारी और नैतिक व्यवहार के साथ कार्य करना चाहिये** तथा दूसरों को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह ठहराना चाहिये।

- **नैतिक प्रशिक्षण:** नियमित नैतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को नैतिक दुविधाओं को पहचानने, आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने और अनैतिक व्यवहार के परिणामों को समझने में मदद कर सकते हैं।
- **नैतिक रिपोर्टिंग तंत्र:** संगठनों में कर्मचारियों के लिये प्रतिशोध के भय के बिना अनैतिक व्यवहार की रिपोर्ट करने हेतु स्पष्ट और सुलभ तंत्र होना चाहिये।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सार्वजनिक संस्थाओं को अपने कार्यों में पारदर्शी और जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिये।
  - इसमें **नियमित लेखा परीक्षा, वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण और सार्वजनिक जाँच के लिये तंत्र शामिल हैं।**
  - **भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम** ने नागरिकों को सरकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और अधिकारियों को जवाबदेह बनाने का अधिकार दिया है।
- **नैतिक संहिताएँ और नीतियाँ:** संगठनों को नैतिक संहिताओं और नीतियों का विकास तथा कार्यान्वयन करना चाहिये, जो व्यवहार के अपेक्षित मानकों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हों।
  - इन संहिताओं की **नियमित रूप से समीक्षा तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप इन्हें अद्यतन किया जाना चाहिये।**

निष्कर्ष:

संगठनों में नैतिकता का ह्रास एक **व्यापक चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है।** एक मज़बूत नैतिक संस्कृति को बढ़ावा देने, व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने और मज़बूत सुरक्षा उपायों को लागू करने से, सार्वजनिक संस्थाएँ इस घटना से जुड़े जोखिमों को कम कर सकती हैं।

प्रश्न : "दृष्टिकोण से व्यवहार को आकार मिलता है जबकि योग्यता से क्षमता का निर्धारण होता है।" नैतिक शासन के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- दृष्टिकोण और योग्यता को परिभाषित करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- व्यवहार को आकार देने वाले दृष्टिकोण के लिये तर्क दीजिये।
- योग्यता निर्धारण क्षमता हेतु तर्क दीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

यह कथन "दृष्टिकोण से व्यवहार को आकार मिलता है जबकि योग्यता से क्षमता का निर्धारण होता है", **व्यक्तिगत गुणों और व्यावसायिक प्रदर्शन के मध्य अंतर्संबंध क्षमताओं को दर्शाता है।**

- जबकि **योग्यता उन अंतर्निहित क्षमताओं या प्रतिभाओं को** संदर्भित करती है जो व्यक्तियों को कुछ कार्यों के लिये तैयार करती हैं, **दृष्टिकोण उनकी मानसिकता, मूल्यों और विश्वासों को** समाहित करता है।

मुख्य भाग:

व्यवहार को आकार देने वाला दृष्टिकोण:

- **नैतिक आचरण हेतु दृष्टिकोण:** सार्वजनिक सेवा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अधिक नैतिक व्यवहार को जन्म दे सकता है।
  - **उदाहरण:** आईएएस अधिकारी **आर्मस्ट्रांग पाम**, जिन्हें **"चमत्कारी पुरुष" के नाम से भी जाना जाता है,** ने मणिपुर में दूर-दराज़ के गाँवों को जोड़ने वाली 100 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण हेतु व्यक्तिगत रूप से वित्तपोषण और देखरेख करके असाधारण समर्पण का परिचय दिया।
- **नवाचार को बढ़ावा देने में दृष्टिकोण की भूमिका:** सकारात्मक दृष्टिकोण शासन में नैतिक चुनौतियों के लिये रचनात्मक समाधानों को प्रेरित कर सकता है।
  - आईएएस अधिकारी **हरि चंदना दासरी ने हैदराबाद में "फीड द नीड"** कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें सामुदायिक रेफ्रिज़रेटर स्थापित किये गए, जिसके कारण लोगों द्वारा ज़रूरतमंदों के लिये अतिरिक्त भोजन दान किया जा सकता था।
  - उनके नवोन्मेषी रवैये ने एक ऐसे व्यवहार को आकार दिया, जो भोजन की बर्बादी और भूख दोनों मुद्दों को संबोधित करता है।

नोट :

- **टीम के मनोबल पर व्यवहार का प्रभाव:** एक नेता का सकारात्मक व्यवहार पूरे संगठन में कई लोगों को प्रेरित कर सकता है। **आईएएस अधिकारी सुहास एल.वाई.** ने **पेरिस 2024 पैरालिंपिक** में बैडमिंटन में रजत पदक जीता।
- **सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्तियों को अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर जाकर उत्कृष्टता के लिये प्रयास करने हेतु प्रेरित कर सकता है।**
  - उदाहरण के लिये, **आईएएस अधिकारी हिमांशु नागपाल की खोए हुए बच्चों की मदद करने की प्रतिबद्धता** करुणा और सहानुभूति की गहरी भावना से प्रेरित थी, जिसने उन्हें **मिशन 'मुस्कान' का नेतृत्व करने के लिये प्रेरित किया।**
- **पारदर्शिता पर दृष्टिकोण का प्रभाव:** पारदर्शिता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अधिक पारदर्शी शासन पद्धतियों को जन्म दे सकता है।
  - आईएएस अधिकारी **स्मिता सभरवाल**, जिन्हें **"जनता की अधिकारी"** के रूप में जाना जाता है, ने **खुले दरवाज़ें की नीति शुरू की।**
  - सुलभता के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उनके व्यवहार को आकार दिया, जिससे पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास में वृद्धि हुई।

योग्यता निर्धारण क्षमता:

- **सक्षम शासन हेतु आधार के रूप में योग्यता:** दृष्टिकोण व्यवहार को संचालित करता है, योग्यता नैतिक निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करती है।
  - उदाहरण: आईएएस अधिकारी **राजेंद्र भट्ट ने कोविड-19 महामारी** के दौरान **"भीलवाड़ा मॉडल"** विकसित करने के लिये प्रौद्योगिकी और शासन में अपनी योग्यता का उपयोग किया।
    - संकट प्रबंधन और डेटा विश्लेषण में उनकी क्षमता ने ज़िले में वायरस के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोकने में मदद की।
- **नैतिक निर्णय लेने में योग्यता की भूमिका:** जटिल नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिये मज़बूत संज्ञानात्मक क्षमताएँ आवश्यक हैं।
  - **आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने** जम्मू-कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों के विरोध में अपने पद से त्याग-पत्र देकर नैतिक निर्णय लेने की अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया।
- **संसाधन प्रबंधन में योग्यता का महत्त्व:** सार्वजनिक संसाधनों को नैतिक और कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिये मज़बूत तकनीकी कौशल महत्त्वपूर्ण हैं।
  - **आईएएस अधिकारी सी. श्रीधर** ने वित्तीय प्रबंधन में अपनी योग्यता का उपयोग तमिलनाडु में पारदर्शी ई-टेंडरिंग प्रणाली को लागू करने के लिये किया, जिससे सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार में काफी कमी आई।

निष्कर्ष:

नैतिक शासन के लिये आदर्श परिदृश्य तब होता है जब अधिकारियों के पास **सकारात्मक, सेवा-उन्मुख दृष्टिकोण और अपने नैतिक दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये अपेक्षित योग्यता** हों। यह संयोजन अभिनव, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन की ओर ले जा सकता है **जो वास्तव में सार्वजनिक हित में कार्य करता है।**

प्रश्न : "समुत्थानशीलता किसी कठिन परिस्थिति को सहन करने के बारे में नहीं है, बल्कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के रचनात्मक अनुकूलन से संबंधित है।" चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

परिचय:

समुत्थानशीलता को प्राय: **केवल कठिन परिस्थितियों को सहन करने के रूप में गलत समझा जाता है।** यद्यपि, वास्तविक समुत्थानशीलता में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के प्रति रचनात्मक रूप से अनुकूलन करने की क्षमता शामिल है, जो बाधाओं को विकास और नवाचार के अवसरों में परिवर्तित कर देती है।

- यह दृष्टिकोण प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए निष्क्रिय सहनशीलता से ध्यान हटाकर **सक्रिय समस्या समाधान और व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित करता है।**

मुख्य भाग:

समुत्थानशीलता- चुनौतियों के प्रति रचनात्मक अनुकूलन

- **समस्या-समाधानकर्त्ता के रूप में समुत्थानशीलता:** समुत्थानशीलता में समस्या-समाधानकर्त्ता मानसिकता के साथ चुनौतियों का सामना करना, कठिनाइयों को सहन करने के बजाय नवीन समाधान खोजना शामिल है।
  - **दो बार ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने** डायमंड लीग सीज़न 2024 के दौरान समुत्थानशीलता के इस पहलू का प्रदर्शन किया।
    - प्रशिक्षण के दौरान हाथ में चोट लगने के बावजूद चोपड़ा ने पीड़ा को अपने खेल के मध्य में आने नहीं दिया।
    - इसके बजाय, उन्होंने अपनी तकनीक और रणनीति में परिवर्तन किया तथा **उपविजेता स्थान प्राप्त किया।**

नोट :

- **अनुकूलनशीलता और समुत्थानशीलता:** समुत्थानशील व्यक्ति अनुकूलनशील होते हैं, बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और अपेक्षाओं को समायोजित करने में सक्षम होते हैं।
  - **पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता नवदीप सिंह** इस अनुकूलनशीलता का उदाहरण हैं।
    - एक दुर्घटना में अपना पाँव खोने के बाद, सिंह ने न केवल अपनी नई वास्तविकता का सामना किया, बल्कि उन्होंने पैरा-स्पोर्ट्स को अपने अनुकूल बना लिया।
  - यह प्रदर्शित करता है कि **समुत्थानशीलता** के अंतर्गत जीवन-परिवर्तनकारी घटनाओं के प्रतिउत्तर में अपने लक्ष्यों और तरीकों को समुत्थानशील ढंग से समायोजित करना शामिल है।
- **अधिगम और विकास की मानसिकता:** समुत्थानशीलता विकास की मानसिकता से निकटता से जुड़ा हुआ है, जहाँ चुनौतियों को अधिगम और व्यक्तिगत विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है।
  - **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने वर्ष 2019 में चंद्रयान-2 के चंद्रमा पर उतरने** की प्रारंभिक विफलता के बाद समुत्थानशीलता के इस पहलू का प्रदर्शन किया।
    - निराश होने के बजाय, इसरो के वैज्ञानिकों ने इस असफलता को अधिगम के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने असफलता का विश्लेषण किया, अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित किया और वर्ष **2023 में चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया।**
- **रचनात्मक संसाधन उपयोग:** समुत्थानशील व्यक्ति और संगठन उपलब्ध संसाधनों का रचनात्मक उपयोग करते हैं तथा सीमाओं पर विजय पाने के लिये नवीन तरीके खोजते हैं।
  - **कोविड-19 महामारी** के दौरान, कई भारतीय स्टार्टअप्स ने समुत्थानशीलता के इस पहलू का प्रदर्शन किया।
  - उदाहरण के लिये, वाउ! मोमो, एक खाद्य शृंखला, ने **वाउ! मोमो एसेंशियल्स को शुरू करके, किराने का सामान और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करके, लॉकडाउन प्रतिबंधों के अनुरूप रचनात्मक रूप से कार्य किया।**
    - इससे पता चलता है कि समुत्थानशीलता में नई चुनौतियों का सामना करने के लिये मौजूदा संसाधनों और क्षमताओं का रचनात्मक ढंग से पुन: उपयोग करना शामिल है।
- **सहायता नेटवर्क का निर्माण:** समुत्थानशीलता केवल एक व्यक्तिगत विशेषता नहीं है, बल्कि इसमें सामूहिक रूप से चुनौतियों पर काबू पाने के लिये **सहायता नेटवर्क का निर्माण और उसका लाभ उठाना भी शामिल है।**
  - भारत के **स्वयं सहायता समूह (SHG)** आंदोलन की सफलता, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के बीच, समुत्थानशीलता के इस पहलू को प्रदर्शित करते है।
- **असफलताओं को अवसर के रूप में देखना: समुत्थानशीलता में असफलताओं** को दुर्गम बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें **विकास और सुधार के अवसर** के रूप में देखने की क्षमता शामिल है।
  - **वर्ष 2011 विश्व कप में टीम से बाहर किये जाने से लेकर वर्ष 2024 में भारत की कप्तानी करने** तक **रोहित शर्मा का** सफर समुत्थानशीलता का उदाहरण है।
    - **मध्यक्रम** से सलामी बल्लेबाज़ के रूप में उनकी पारी, बेहतर तकनीक और मानसिक दृढ़ता के साथ मिलकर, उन्हें सबसे सफल एकदिवसीय सलामी बल्लेबाज़ों में से एक बना दिया, **जिसमें तीन दोहरे शतक भी शामिल हैं।**

निष्कर्ष:

समुत्थानशीलता केवल सहिष्णुता से कहीं बढ़कर है, यह चुनौतियों के प्रति रचनात्मक अनुकूलन को प्रदर्शित करता है जो विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है। **समस्या-समाधान, समुत्थानशीलता तथा सहयोगी नेटवर्क को अपनाकर, समुत्थानशील व्यक्ति** एवं संगठन असफलताओं को अवसरों में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार, वास्तविक समुत्थानशीलता हमें चतुराई और क्षमता के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की शक्ति देता है।

प्रश्न : 'नीतिपरक उपभोक्तावाद' की अवधारणा व्यक्तियों पर उनके उपभोग विकल्पों के लिये नैतिक ज़िम्मेदारी को प्रकट करती है। वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में इस उपागम की क्षमता और सीमाओं पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नीतिपरक उपभोक्तावाद को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- स्थिरता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने में नीतिपरक उपभोक्तावाद के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- व्यक्तियों, व्यवसायों और समाज पर इसके प्रभाव का सारांश देकर निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

नीतिपरक उपभोक्तावाद, एक अवधारणा जो व्यक्तियों को **नैतिक और पर्यावरणीय विचारों के आधार पर सचेत उपभोग विकल्प चुनने के लिये प्रोत्साहित करती है**, ने हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण गति प्राप्त की है।

- यद्यपि यह वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में संभावित लाभ प्रदान करता है, फिर भी इसकी सीमाओं और पूरक दृष्टिकोणों की आवश्यकता को समझना महत्त्वपूर्ण है।

नीतिपरक उपभोक्तावाद की संभावना:

- **बाज़ार पर प्रभाव:** नीतिपरक उपभोक्ता **उन कंपनियों का समर्थन करके बाज़ार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं जो स्थिरता और सामाजिक ज़िम्मेदारी को प्राथमिकता देती हैं।**
  - नैतिक ब्रांडों से उत्पाद और सेवाएँ चुनकर, उपभोक्ता व्यवसायों को एक प्रभावशाली संदेश भेज सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक संवहनीय प्रथाओं को अंगीकृत करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। (**उदाहरण:** भारत में जैविक खाद्य बाज़ारों का उदय, **24 मंत्र ऑर्गेनिक जैसी कंपनियों की** मांग में वृद्धि देखी जा रही है)।
- **जागरूकता में वृद्धि: नीतिपरक उपभोक्तावाद पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकता है तथा उन्हें संबोधित करने के लिये व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी** की भावना को प्रोत्साहित कर सकता है।
  - सूचित विकल्प बनाकर, उपभोक्ता **पर्यावरणीय मुद्दों में अधिक संलग्न हो सकते हैं और परिवर्तन के पक्षधर बन सकते हैं।** (**उदाहरण** : भारत में **#प्लास्टिकफ्रीजुलाई** अभियान, उपभोक्ताओं को एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करने के लिये प्रोत्साहित करना)
- **नवप्रवर्तन और स्थायित्व:** नीतिपरक उपभोक्तावाद नवप्रवर्तन और संवहनीय उत्पादों एवं सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।
  - यद्यपि उपभोक्ता अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की मांग करते हैं, इसलिये व्यवसायों को इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

नीतिपरक उपभोक्तावाद की सीमाएँ:

- **व्यक्तिगत कार्रवाई:** यद्यपि व्यक्तिगत निर्णय से प्रभाव पड़ सकता है, परंतु वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये प्राय: **सामूहिक कार्रवाई और प्रणालीगत परिवर्तन की आवश्यकता होती है।**
  - जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता हानि जैसे जटिल मुद्दों को हल करने के लिये केवल नीतिपरक उपभोक्तावाद पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं हो सकता है।
- **अभिगम्यता और सामर्थ्य:** नीतिपरक उत्पाद और सेवाएँ सभी उपभोक्ताओं के लिये हमेशा सुलभ या सस्ती नहीं हो सकती हैं, **विशेष रूप से विकासशील देशों में।**
  - इससे नीतिपरक उपभोक्तावाद का प्रभाव सीमित हो सकता है और सामाजिक असमानताओं में वृद्धि हो सकती हैं।
- **ग्रीनवाशिंग:** कुछ कंपनियाँ **ग्रीनवाशिंग में संलग्न हो सकती हैं,** अपने उत्पादों या सेवाओं की स्थिरता के बारे में भ्रामक दावे कर सकती हैं।
  - इससे **उपभोक्ता भ्रमित हो सकते हैं** और नीतिपरक उपभोक्तावाद की प्रभावशीलता कम हो सकती है। (**उदाहरण: बॉर्नविटा का ऊर्जा पेय के रूप में भ्रामक लेबल**, जिसे बाद में FSSAI द्वारा संबोधित किया गया था)
- **व्यवहारगत कारक:** आदतन उपभोग प्रारूप और सीमित जानकारी के कारण व्यक्तियों के लिये लगातार नैतिक विकल्प चुनना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - **सुविधा और सामाजिक दबाव** जैसे कारक उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

नीतिपरक उपभोक्तावाद वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये एक **मूल्यवान उपकरण प्रदान करता है**, जो व्यक्तियों को सचेत विकल्प निर्मित करने और बाज़ार की गतिशीलता को प्रभावित करने के लिये सशक्त बनाता है। यद्यपि, इसकी सीमाओं को पहचानना और व्यापक प्रणालीगत परिवर्तनों तथा नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ इसे पूरक बनाना आवश्यक है। **नीतिपरक उपभोक्तावाद को सामूहिक कार्रवाई, नवाचार और नीति समर्थन के साथ जोड़कर,** हम अधिक संवहनीय तथा न्यायसंगत भविष्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं।

प्रश्न : जलवायु परिवर्तन वैश्विक असमानताओं को बढ़ाने और संसाधन आवंटन के इर्द-गिर्द नई नीतिपरक संशय की आशंका उत्पन्न करता है। इस संकट से निपटने में राष्ट्रों को अपने हितों को वैश्विक ज़िम्मेदारियों के साथ कैसे संतुलित करना चाहिये? उन नैतिक सिद्धांतों का परीक्षण कीजिये, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई का मार्गदर्शन करना चाहिये। (150 शब्द) दृष्टिकोण:

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये
- बताइये कि राष्ट्र अपने हितों को वैश्विक ज़िम्मेदारियों के साथ कैसे संतुलित करते हैं।
- उन नैतिक सिद्धांतों बताइये, जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई का मार्गदर्शन करते हैं।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

जलवायु परिवर्तन एक गंभीर वैश्विक चुनौती है जिसके दूरगामी प्रभावों, जैसे **बढ़ते तापमान और चरम मौसम की घटनाओं के कारण समन्वित अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई आवश्यक है।**

- यह संकट न केवल मौजूदा असमानताओं को बढ़ाता है बल्कि **संसाधन आवंटन और उत्तरदायित्व के बारे में नैतिक प्रश्न भी उठाता है।**
- इस समस्या से निपटने के लिये राष्ट्रों को अपने स्वार्थों को वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता के साथ संतुलित करना होगा।

मुख्य भाग:

राष्ट्रीय हितों और वैश्विक ज़िम्मेदारियों में संतुलन:

- **राष्ट्रीय हितों को पुन: परिभाषित करना: राष्ट्रों को दीर्घकालिक वैश्विक स्थिरता** के साथ तालमेल बिठाने के लिये अपने हितों को पुन: परिभाषित करना होगा तथा यह स्वीकार करना होगा कि जलवायु कार्रवाई आर्थिक अवसरों, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय हितों की भी पूर्ति कर सकती है।
  - **उदाहरण: भारत की पंचामृत प्रतिज्ञा** इस संरेखण को प्रदर्शित करती है।
- **सह-लाभ दृष्टिकोण अपनाना:** देशों को ऐसे जलवायु कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिये जो राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों तरह के लाभ प्रदान करें तथा तत्काल स्थानीय लाभों के माध्यम से घरेलू निवेश को उचित ठहराएँ।
- **बहुपक्षीय समझौतों में भागीदारी:** अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों में भागीदारी राष्ट्रों को अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक प्रयासों में योगदान करने में सक्षम बनाती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्त तंत्र का लाभ उठाना:** राष्ट्र जलवायु पहलों को वित्तपोषित करने के लिये वैश्विक वित्त तंत्र का लाभ उठा सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय बजट पर बोझ कम होगा और वैश्विक प्रयासों को सहायता मिलेगी।
  - हरित **जलवायु कोष** विकासशील देशों को उनके विकास लक्ष्यों के अनुरूप शमन और अनुकूलन परियोजनाओं में सहायता प्रदान करता है।
- **सीमा समायोजन के साथ कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करना:** राष्ट्र प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और आर्थिक हितों को जलवायु कार्रवाई के साथ संरेखित करने के लिये घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण तथा सीमा समायोजन को अपना सकते हैं।
  - यूरोपीय **संघ के प्रस्तावित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का** उद्देश्य वैश्विक स्तर पर मज़बूत जलवायु नीतियों को प्रोत्साहित करते हुए कार्बन रिसाव को रोकना है।

नैतिक सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई का मार्गदर्शन करेंगे:

- **साझा किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों का सिद्धांत:** यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये सभी **राष्ट्रों की साझा ज़िम्मेदारी है**, लेकिन उस ज़िम्मेदारी की सीमा **उत्सर्जन में ऐतिहासिक योगदान और वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भिन्न होती है।**
  - पेरिस **समझौता (2015)** देशों को अपने स्वयं के **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) निर्धारित करने की अनुमति देकर इस सिद्धांत को मूर्त रूप देता है।**
- **अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत:** राष्ट्रों को आज जलवायु कार्रवाई और संसाधन उपयोग के बारे में निर्णय लेते समय भावी पीढ़ियों के अधिकारों पर विचार करना चाहिये।
  - **भविष्य के शिखर सम्मेलन 2024** में जीवाश्म ईंधन से तात्कालिक आर्थिक लाभ के बावजूद दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया जाएगा।
- **वैश्विक न्याय और निष्पक्षता का सिद्धांत:** जलवायु कार्रवाई का उद्देश्य असमानताओं को कम करना और सभी राष्ट्रों तथा समुदायों के लिये न्यायोचित परिवर्तन सुनिश्चित करना होना चाहिये।

नोट :

- "**जलवायु क्षतिपूर्ति**" की अवधारणा, जिसके तहत ऐतिहासिक रूप से उच्च उत्सर्जन वाले देश गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना करने वाले कमज़ोर देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कि **2022 में COP27** में सहमति से बनाया गया **हानि और क्षति कोष।**

- **निवारक कार्रवाई का सिद्धांत:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में अनिश्चितता की स्थिति में, राष्ट्रों को पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता की प्रतीक्षा करने के बजाय निवारक कार्रवाई करनी चाहिये।
  - **यूरोपीय संघ द्वारा** अपने पर्यावरण कानून में निवारक सिद्धांत को अपनाने से संभावित रूप से हानिकारक पदार्थों और प्रक्रियाओं पर सख्त नियम लागू हो गए हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सिद्धांत:** जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये राष्ट्रीय सीमाओं से परे सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।
  - **भारत और फ्राँस** द्वारा शुरू किये गए अंतर्राष्ट्रीय **सौर गठबंधन** का उद्देश्य सूर्यतप समृद्ध देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है तथा यह दर्शाता है कि किस प्रकार देश जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिये मिलकर काम कर सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण का सिद्धांत:** विकसित देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सुगम बनाना चाहिये तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये विकासशील देशों में क्षमता निर्माण में सहायता करनी चाहिये।
  - जलवायु **प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क (सीटीसीएन),** जो जलवायु शमन और अनुकूलन में विकासशील देशों को तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

जलवायु संकट से निपटने के लिये राष्ट्रीय हितों और वैश्विक ज़िम्मेदारियों के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के नैतिक सिद्धांत वैश्विक सहयोग, समानता तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करते हैं। **साझा ज़िम्मेदारी के माध्यम से ही दुनिया जलवायु संकट तथा भविष्य की पीढ़ियों पर इसके प्रभाव से निपट सकती है।**

प्रश्न : नीतिशास्त्र में "नेगेटिव रिस्पांसिबिलिटी" की अवधारणा की व्याख्या कीजिये। यह नैतिक ज़िम्मेदारी के पारंपरिक विचारों को कैसे चुनौती देता है? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नकारात्मक ज़िम्मेदारी को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करके नकारात्मक उत्तरदायित्व की अवधारणा को समझाइये।
- नैतिक उत्तरदायित्व के पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ इसका विरोधाभास बताइये।
- इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- तदनुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

नकारात्मक उत्तरदायित्व से तात्पर्य उस **नैतिक धारणा से है** जिसके अनुसार व्यक्ति न केवल अपने प्रत्यक्ष कार्यों के लिये नैतिक रूप से ज़िम्मेदार है, बल्कि **अपनी निष्क्रियता** या कार्य करने में विफलता के परिणामों के लिये भी ज़िम्मेदार है, जबकि उसके पास नुकसान को रोकने या अच्छा करने की क्षमता थी।

- उदाहरण के लिये, यदि कोई व्यक्ति उथले तालाब के किनारे से किसी बच्चे को डूबते हुए देखता है और आसानी से मदद करने में सक्षम होने के बावजूद मदद नहीं करता, तो नकारात्मक ज़िम्मेदारी के अनुसार वह बच्चे की मृत्यु के लिये कुछ नैतिक ज़िम्मेदार है।

मुख्य भाग:

नकारात्मक उत्तरदायित्व की अवधारणा:

- **दार्शनिक आधार:** नकारात्मक ज़िम्मेदारी अक्सर परिणामवादी नैतिक ढाँचे, विशेष रूप से **उपयोगितावाद से जुड़ी होती है।** यह हमारे विकल्पों के परिणामों पर ज़ोर देता है, जिसमें कार्य न करने का विकल्प भी शामिल है।
  - **पीटर सिंगर का** तर्क है कि संपन्न व्यक्तियों का प्रभावी दान-संस्थाओं को दान देना नैतिक दायित्व है, जोकि नकारात्मक उत्तरदायित्व पर आधारित है।
- **व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई के लिये निहितार्थ: इस अवधारणा के हमारे नैतिक दायित्वों के प्रति दृष्टिकोण** पर दूरगामी निहितार्थ हैं, जिसके लिये वैश्विक मुद्दों पर अधिक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होगी।
  - **जलवायु परिवर्तन सक्रियता** अक्सर नकारात्मक ज़िम्मेदारी का आह्वान करती है तथा तर्क देती है कि विकसित देशों में यदि लोग अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये सक्रिय रूप से काम नहीं करते हैं या जलवायु नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं, तो वे **पर्यावरणीय क्षति के लिये ज़िम्मेदार होंगे।**

नोट :

- **अधिकारों और स्वतंत्रताओं के साथ अंतर्संबंध:** नकारात्मक उत्तरदायित्व **व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक दायित्व के बीच संतुलन के बारे में प्रश्न उठाता है।**
  - **अनिवार्य टीकाकरण पर** बहस में अक्सर नकारात्मक ज़िम्मेदारी का आह्वान किया जाता है, जिसमें तर्क दिया जाता है कि टीकाकरण न कराने का निर्णय लेने से **प्रतिरक्षाविहीन व्यक्तियों को होने वाले संभावित नुकसान के लिये व्यक्ति ज़िम्मेदार बन जाता है।**

नैतिक ज़िम्मेदारी के पारंपरिक दृष्टिकोण से तुलना

नैतिक ज़िम्मेदारी के पारंपरिक दृष्टिकोण आमतौर पर किसी के कार्यों के प्रत्यक्ष परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। **नकारात्मक ज़िम्मेदारी इस दायरे को काफी हद तक बढ़ा देती है।**

- **उदाहरण:** पारंपरिक नैतिकता में **अगर कोई चोरी करता है** तो वह चोरी के लिये ज़िम्मेदार होता है। नकारात्मक ज़िम्मेदारी का तर्क यह होगा कि **जो लोग आसानी से चोरी को रोक सकते थे,** लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वे भी आंशिक रूप से ज़िम्मेदार हैं।

सीमाएँ:

आलोचकों का तर्क है कि नकारात्मक ज़िम्मेदारी व्यक्तियों पर अनुचित बोझ डालती है और वास्तविक दुनिया की स्थितियों की जटिलता को ध्यान में रखने में विफल रहती है।

- **उदाहरण:** यदि नकारात्मक ज़िम्मेदारी को उसके **तार्किक चरम पर ले जाया जाए,** तो यह तर्क दिया जा सकता है कि **अवकाश गतिविधियों पर बिताया गया समय नैतिक रूप से गलत है,** क्योंकि उस समय को जरूरतमंदों की मदद करने में बिताया जा सकता था।

निष्कर्ष:

नकारात्मक उत्तरदायित्व हमारे नैतिक दायित्वों के दायरे का विस्तार करके नैतिक उत्तरदायित्व के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है, **हमें निष्क्रियता के नैतिक भार पर पुनर्विचार करने के लिये मजबूर करता है** और सामाजिक तथा वैश्विक मुद्दों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिये व्यक्तियों पर अधिक मांग रखता है।

केस स्टडी

प्रश्न : आप राज्य सरकार में प्रमुख सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों की देख-रेख के लिये ज़िम्मेदार एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। हाल ही में सरकार ने शिक्षा विभाग में एक उच्च पद के लिये भर्ती प्रक्रिया शुरू की है, जो राज्य के शिक्षा सुधारों को लागू करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। इस क्रम में चयन समिति ने दो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। इसमें एक उम्मीदवार उच्च योग्यता वाला है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग (साफ) है लेकिन वह कुछ सरकारी नीतियों की आलोचना करने में सक्रिय रहा है। इसमें दूसरा उम्मीदवार कम अनुभवी है लेकिन उसे मज़बूत राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने के साथ सत्तारूढ़ दल के प्रति वफादार माना जाता है।

आप जानते हैं कि पहला उम्मीदवार अपनी विशेषज्ञता के कारण शिक्षा क्षेत्र के विकास में प्रमुख योगदान दे सकता है लेकिन उसका स्वतंत्र रुख राजनेताओं के साथ टकराव का कारण बन सकता है। दूसरी ओर, दूसरे उम्मीदवार के चयन से राजनेताओं के साथ सहज संबंध सुनिश्चित हो सकता है लेकिन इससे शासन की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। आपके निर्णय का राज्य की शिक्षा नीति एवं उसके भविष्य के परिणामों पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. इस मामले से संबंधित नैतिक दुविधाएँ क्या हैं और इस परिदृश्य में कौन-से सिद्धांत आपके निर्णय के मार्गदर्शक होंगे?
3. निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय लेने में आप पेशेवर क्षमता तथा राजनीतिक दृष्टिकोणों के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करेंगे?

परिचय:

एक वरिष्ठ राज्य अधिकारी को शिक्षा विभाग में महत्त्वपूर्ण पद के लिये एक उम्मीदवार की नियुक्ति का काम सौंपा गया है। एक उम्मीदवार उच्च योग्यता वाला है, लेकिन सरकारी नीतियों की आलोचना करने में मुखर है, जबकि दूसरे के पास कम अनुभव है, लेकिन मज़बूत राजनीतिक समर्थन है। अधिकारी का निर्णय राज्य के शिक्षा सुधारों को आकार देगा, योग्यता और राजनीतिक विचारों के बीच संतुलन बनाएगा।

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	रुचियाँ/चिंताएँ
राज्य सरकार	नीतियों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना।
वरिष्ठ अधिकारी	नेतृत्व के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने के साथ योग्यता-आधारित भर्ती में संतुलन बनाए रखना।

नोट :

प्रथम उम्मीदवार	शैक्षिक सुधारों में योगदान देने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके विचार स्वतंत्र रहे हैं।
दूसरा उम्मीदवार	वह राजनीतिक समर्थन से इस पद के लिये प्रयासरत हैं, लेकिन उनका अनुभव सीमित है।
राजनीतिक नेतृत्व	ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी जो जाना-माना हो और सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति वफादार हो।
शिक्षा विभाग	सुधारों को लागू करने और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिये सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है।
छात्र एवं शिक्षक	शिक्षा नीतियों और सुधारों की प्रभावशीलता से प्रभावित।
जनता/नागरिक	राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शासन की अपेक्षा करें।
नागरिक समाज/ मीडिया	सार्वजनिक नियुक्तियों और शासन की गुणवत्ता में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता में रुचि।

2. इस मामले में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं और कौन-से सिद्धांत इस परिदृश्य में आपके निर्णय का मार्गदर्शन करेंगे ?

- **योग्यता बनाम अनुरूपता** : क्षेत्र में व्यावसायिक उत्कृष्टता और सिद्ध क्षमता को प्राथमिकता देना। बनाम सत्तारूढ़ पार्टी के साथ **राजनीतिक संरेखण तथा वैचारिक अनुरूपता का पक्ष लेना।**
- **निष्पक्षता बनाम निष्ठा:** निर्णय लेने में **निष्पक्ष विशेषज्ञता और आलोचनात्मक सोच को** महत्त्व देना । बनाम शासन में **निष्ठा तथा** पार्टी लाइन के प्रति पालन को प्राथमिकता देना।
- **दीर्घकालिक उत्तरदायित्व बनाम सुविधा:** शिक्षा प्रणाली के लिये स्थायी, दीर्घकालिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करना। बनाम **अल्पकालिक राजनीतिक सद्भाव** और **संघर्ष से बचने का विकल्प चुनना।**
- **सार्वजनिक हित बनाम पक्षपातपूर्ण हित:** सभी नागरिकों के व्यापक सामाजिक हित और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बनाम **विशिष्ट राजनीतिक दल के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना तथा** सत्ता की गतिशीलता को बनाए रखना।
- **स्वायत्तता बनाम राजनीतिक प्रभाव: संस्थागत स्वतंत्रता** और व्यावसायिक विवेक को कायम रखना बनाम शैक्षिक नीतियों पर बढ़ते राजनीतिक नियंत्रण को स्वीकार करना।
- **नैतिक साहस बनाम व्यावहारिकता:** अनुचित राजनीतिक दबाव का **विरोध करने में नैतिक दृढ़ता का प्रदर्शन करना। बनाम** राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिये **व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना।**
- **योग्यता बनाम भाई-भतीजावाद:** सार्वजनिक नियुक्तियों के लिये निष्पक्ष, योग्यता-आधारित प्रणाली की वकालत करना। बनाम ऐसी प्रणाली को कायम रखना जो **योग्यता के बजाय राजनीतिक संबंधों को महत्त्व देती है।**

3. आप निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय लेने में व्यावसायिक क्षमता तथा राजनीतिक विचारों के बीच किस प्रकार संतुलन बनाए रखेंगे ?

- **योग्यता को प्राथमिकता दें:** दोनों उम्मीदवारों की विशेषज्ञता, अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड का निष्पक्ष मूल्यांकन करें।
  - **व्यावसायिक क्षमता** और प्रासंगिक कौशल को अधिक महत्त्व दें।
  - शिक्षा सुधारों पर प्रत्येक उम्मीदवार के संभावित प्रभाव पर विचार करें।
- **दीर्घकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें** : उस उम्मीदवार को प्राथमिकता दें जो शिक्षा में स्थायी सुधार लाने में सबसे अधिक सक्षम हो।
  - अल्पकालिक राजनीतिक लाभ की अपेक्षा राज्य की शिक्षा प्रणाली के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करें
- **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना:** निर्णय लेने की प्रक्रिया का पूर्ण दस्तावेज़ीकरण करें।
  - वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर चयन को उचित ठहराने के लिये तैयार रहें।
  - नियुक्त व्यक्ति की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिये प्रदर्शन मीट्रिक्स को लागू करना।
- **नैतिक मानकों को बनाए रखना** : सुनिश्चित करना कि निर्णय **सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप हो**
  - भ्रष्टाचार या अनुचित प्रभाव की किसी भी धारणा से बचें।

उपर्युक्त कारकों पर विचार करते हुए, मैं पहले उम्मीदवार को चुनूंगा- वह उच्च योग्यता वाला व्यक्ति जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग हो , भले ही वह कुछ सरकारी नीतियों की मुखर आलोचना करता हो।

औचित्य:

- **विशेषज्ञता और योग्यता:** प्रभावी शिक्षा सुधारों को लागू करने के लिये पहले उम्मीदवार की उच्च योग्यता और त्रुटिहीन ट्रैक रिकॉर्ड महत्त्वपूर्ण है। उनकी विशेषज्ञता से **बेहतर नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन की संभावना है।**

नोट :

- **दीर्घकालिक प्रभाव:** अधिक योग्य उम्मीदवार का चयन अल्पकालिक राजनीतिक सुविधा की तुलना में **शिक्षा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देता है । यह गुणवत्तापूर्ण शासन सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी के साथ संरेखित है।**
- **रचनात्मक आलोचना:** उम्मीदवार की सरकारी नीतियों की आलोचना करने की इच्छा को **दायित्व के बजाय परिसंपत्ति के रूप में देखा जा सकता है।**
  - यह एक स्वतंत्र विचारक का सुझाव देता है जो मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और नीति परिणामों में संभावित रूप से सुधार कर सकता है।
- **नैतिक विचार:** राजनीतिक निष्ठा के बजाय योग्यता के आधार पर चयन करने से **सुशासन और योग्यता के सिद्धांतों को बढ़ावा मिलता है,** जो जनता के विश्वास के लिये आवश्यक हैं।
- **सार्वजनिक हित:** प्राथमिक कर्त्तव्य सार्वजनिक हित की सेवा करना है।
  - एक उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षा विशेषज्ञ **द्वारा छात्रों के शैक्षिक परिणामों में सुधार की अधिक संभावना होती है,** जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

संभावित चुनौतियों से निपटने के लिये:

- **स्पष्ट संचार:** संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये **नियुक्त व्यक्ति और राजनीतिक नेतृत्व** के बीच संचार की खुली लाइनें स्थापित करें ।
- **प्रदर्शन मीट्रिक्स: यह सुनिश्चित करने के लिये स्पष्ट प्रदर्शन संकेतक** लागू करें कि नियुक्त व्यक्ति की गतिविधियाँ समग्र सरकारी उद्देश्यों के अनुरूप हों, साथ ही रचनात्मक इनपुट की भी अनुमति हो।
- **मध्यस्थता प्रक्रियाएँ:** नियुक्त व्यक्ति और राजनीतिक नेतृत्व के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी महत्त्वपूर्ण मतभेद के लिये मध्यस्थता प्रक्रियाएँ स्थापित करना।
- **सार्वजनिक पारदर्शिता:** नियुक्ति के औचित्य को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें तथा **शिक्षा परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दें।**

निष्कर्ष:

यह निर्णय पेशेवर क्षमता और शिक्षा क्षेत्र पर महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव की संभावना को प्राथमिकता देता है, साथ ही **सक्रिय उपायों के माध्यम से राजनीतिक विचारों को प्रबंधित करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है।** इस निर्णय को राजनीतिक नेतृत्व और जनता को स्पष्ट तथा पारदर्शी तरीके से बताना आवश्यक है, ताकि इस विकल्प के पीछे के तर्क को स्पष्ट किया जा सके।

प्रश्न : गंगा नदी बेसिन के पास के ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था रेत खनन पर तेज़ी से निर्भर हो गई है। स्थानीय सरकार द्वारा सख्त नियमों के तहत सीमित क्षेत्रों में रेत खनन के लिये परमिट जारी किये है। हालाँकि इस क्षेत्र में अवैध रेत खनन वृहद् पैमाने पर हो रहा है, जिसमें उच्च दर्जे के ठेकेदार स्थानीय संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कई ठेकेदार अनुमत सीमा से अधिक और गैर-निर्दिष्ट क्षेत्रों से रेत खनन करते हैं, जिससे नदी का प्रवाह, स्थानीय जैवविविधता और आस-पास की कृषि भूमि पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।

ज़िला अधिकारी के रूप में निरिक्षण करते समय आप देखते हैं कि नियामक निकायों की मौजूदगी के बावजूद बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन गतिविधियाँ चल रही हैं। पूछताछ करने पर, मज़दूरों का दावा है कि वे सीमा के भीतर कार्य करने वाले एक पंजीकृत ठेकेदार द्वारा नियोजित हैं। हालाँकि आप देखते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है। ग्राम निवासियों की शिकायत है कि अवैध खनन उनके खेतों को नुकसान पहुँचा रहा है, कटाव कर रहा है और पानी की उपलब्धता को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा, आपको ज्ञात होता है कि स्थानीय प्रशासन कथित तौर पर प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों की भागीदारी के कारण इस मुद्दे को नज़रअंदाज़ कर रहा है।

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. उपर्युक्त मामले में शामिल नैतिक मुद्दों को उजागर कर उन पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
3. एक ज़िला अधिकारी के रूप में आप इस स्थिति के समाधान हेतु क्या कदम उठाएंगे?

परिचय:

गंगा नदी बेसिन के पास के ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था **रेत खनन पर बहुत अधिक निर्भर हो गई है।** स्थानीय सरकार ने सख्त नियमों के तहत रेत निकासी के लिये परमिट जारी की हैं लेकिन अवैध खनन अभी भी बना हुआ है जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है।

- यहाँ ठेकेदार **स्वीकृत सीमा से अधिक रेत निकाल रहे हैं,** जिससे नदी के प्रवाह, जैवविविधता और आस-पास की कृषि भूमि पर प्रभाव पड़ रहा है।
- निरीक्षण के दौरान ज़िला अधिकारी को पता चलता है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी मशीनरी का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है।

नोट :

- ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनकी ज़मीनें नष्ट हो रही हैं, जल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है और **स्थानीय प्रशासन कथित तौर पर राजनीतिक प्रभाव के कारण इस मुद्दे की अनदेखी कर रहा है।**

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	संबंधित मामले में भूमिका/रुचि
स्थानीय सरकार	रेत खनन परमिट जारी करना और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करना।
ठेकेदार	लाभ के लिये वैध और अवैध दोनों प्रकार के रेत खनन में लगे हुए हैं, जो प्राय: अनुमत सीमा से अधिक बना हुआ है।
श्रमिक	रेत खनन में कार्यरत, पंजीकृत ठेकेदारों के लिये कार्य करने का दावा, लेकिन अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं।
ग्रामीण/किसान	अवैध खनन के कारण पर्यावरणीय क्षति, भूमि कटाव और जल उपलब्धता में कमी से प्रभावित।
ज़िला अधिकारी	रेत खनन गतिविधियों की देखरेख और विनियमन तथा कानून प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार।
स्थानीय प्रशासन	संभवत: राजनीतिक दबाव के कारण अवैध गतिविधियों में शामिल होना।
पर्यावरण कार्यकर्त्ता	नदी के प्रवाह और जैवविविधता पर अवैध रेत खनन के कारण पड़ने वाले पारिस्थितिकी प्रभाव के बारे में चिंता।
प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियाँ	व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिये अवैध गतिविधियों के समर्थन की संभावना।
न्यायिक निकाय	यदि मामला कानूनी स्तर पर पहुँच जाता है तो पर्यावरण और कानूनी सुरक्षा को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी।
स्थानीय समुदाय	रेत खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित।

2. संबंधित मामले में शामिल नैतिक मुद्दों को बताते हुए उन पर चर्चा कीजिये।

- **पर्यावरणीय नैतिकता:** यहाँ प्राथमिक नैतिक चिंता **अवैध रेत खनन** के कारण होने वाला **पर्यावरणीय क्षरण है।**
  - इससे **गंगा नदी बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँच रहा है,** जैवविविधता प्रभावित हो रही है, नदी के प्रवाह में परिवर्तनआ रहा है जो कटाव का कारण बन रहा है।
  - प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना नैतिक अनिवार्यता है, जिसका **उल्लंघन अल्पकालिक आर्थिक लाभ हेतु किया जा रहा है।**
- **सतत् विकास:** यद्यपि रेत खनन आर्थिक अवसर प्रदान करता है लेकिन वर्तमान पद्धतियाँ धारणीय नहीं हैं।
  - नैतिक **चुनौती आर्थिक आवश्यकताओं** और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में निहित है।
  - स्थानीय अर्थव्यवस्था की इस विनाशकारी प्रथा पर निर्भरता से ज़िम्मेदार संसाधन प्रबंधन और धारणीय आर्थिक विकल्पों की आवश्यकता पर प्रश्न उठते हैं।
- **विधि का शासन और भ्रष्टाचार: खनन नियमों का उल्लंघन** और प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों की कथित संलिप्तता भ्रष्टाचार के साथ **कानून के शासन की अप्रभावशीलता पर प्रकाश डालती है।**
  - इससे **सार्वजनिक संस्थाओं की सत्यनिष्ठा** और राजनीतिक दबावों की परवाह किये बिना कानून को बनाए रखने **के अधिकारियों के उत्तरदायित्व के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं।**
- **सामाजिक न्याय और समानता:** यह मामला सामाजिक न्याय के मुद्दे पर प्रकाश डालता है क्योंकि **अवैध खनन के नकारात्मक प्रभाव स्थानीय ग्रामीणों** (विशेषकर किसानों) पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
  - इससे उनकी आजीविका और जल तक पहुँच से समझौता हो रहा है जिससे संसाधनों के न्यायसंगत वितरण एवं कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा के बारे में नैतिक चिंताएँ पैदा हो रही हैं।
- **व्यावसायिक नैतिकता और कर्त्तव्य:** इसमें व्यावसायिक ज़िम्मेदारियों को संभावित व्यक्तिगत जोखिमों के साथ संतुलित (विशेष रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों की संलिप्तता को देखते हुए) करना शामिल है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** अवैध गतिविधियों की अनदेखी करने में स्थानीय प्रशासन की कथित सहभागिता से **सुशासन के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।**

नोट :

- **आर्थिक नैतिकता:** अवैध खनन में लगे ठेकेदार कानूनी और नैतिक विचारों की अपेक्षा लाभ को प्राथमिकता दे रहे हैं।
  - इससे **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** और प्राकृतिक संसाधनों तथा स्थानीय समुदायों के शोषण से संबंधित **व्यावसायिक प्रथाओं की नैतिकता पर प्रश्न उठते हैं।**
- **श्रम नैतिकता:** अवैध खनन कार्यों में श्रमिकों का उपयोग **श्रम अधिकारों, सुरक्षा मानकों और संभावित शोषण के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।**
  - ऐसे में निष्पक्ष और सुरक्षित कार्य स्थितियाँ सुनिश्चित करना एक नैतिक ज़िम्मेदारी है।

3. एक ज़िला अधिकारी के रूप में आप इस स्थिति से निपटने के लिये कौन-से मार्ग अपनाएंगे?

- **साक्ष्य का दस्तावेज़ीकरण:** सबसे पहले मैं सभी उल्लंघनों का विस्तृत दस्तावेज़ीकरण करूँगा, जिसमें **फोटोग्राफिक साक्ष्य, जीपीएस निर्देशांक तथा** अवैध गतिविधियों, पर्यावरणीय क्षति तथा सामुदायिक प्रभावों पर विस्तृत नोट्स शामिल होंगे।
  - यह दस्तावेज़ीकरण भविष्य में किसी भी कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।
- **कथित अवैध खनन गतिविधियों पर अस्थायी रोक:** मैं संभावित उल्लंघनों की व्यापक जाँच की आवश्यकता का हवाला देते हुए, इस **क्षेत्र में कथित अवैध खनन गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दूँगा।**
  - इसमें स्थलों को सुरक्षित करने तथा अवैध खनन को रोकने के लिये स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना शामिल होगा।
- **औपचारिक जाँच शुरू करना:** मैं अवैध खनन गतिविधियों की औपचारिक, निष्पक्ष जाँच शुरू करूँगा, जिसमें संबंधित विभागों (जैसे- **भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कानून प्रवर्तन**) के विशेषज्ञों की एक टीम शामिल होगी। **इस जाँच के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:**
  - अवैध खनन की सीमा का निर्धारण
  - पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का आकलन
  - ठेकेदारों और किसी भी दोषी अधिकारी सहित सभी शामिल पक्षों की पहचान
  - **विनियामक विफलताओं का** मूल्यांकन, जिनके कारण ये गतिविधियाँ जारी हैं
- **अवैध गतिविधियों से निपटना:** नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी ऑपरेटरों को औपचारिक चेतावनी जारी करूँगा।
  - इन ऑपरेटरों को अपनी गतिविधियों को अनुपालन में लाने के लिये **30 दिन की छूट अवधि** प्रदान करूँगा।
  - **इस अवधि के बाद गैर-अनुपालन करने वाले ऑपरेटरों के विरुद्ध जुर्माना और परमिट निरस्तीकरण सहित** सख्त कार्रवाई करूँगा।
- **राजनीतिक संलिप्तता पर टिप्पणी:** प्रत्यक्ष आरोप के बिना मैं जाँच के पूर्ण निष्कर्षों की औपचारिक रूप से रिपोर्ट **राज्य स्तरीय प्राधिकारियों को दूँगा।**
  - खनन विनियमों के संबंध में **स्थानीय प्रशासन के कार्य की स्वतंत्र ऑडिट का** अनुरोध करूँगा।
- **आर्थिक परिवर्तन:** अल्प से मध्यम अवधि में विनियमित रेत खनन को बनाए रखते हुए मैं इसके साथ ही **आर्थिक विविधीकरण और सतत् विकास के लिये कार्यक्रम शुरू करूँगा।**
- **पर्यावरणीय पुनर्स्थापना:** क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को बहाल करने के लिये तत्काल प्रयास शुरू करूँगा, **जिसका वित्तपोषण आंशिक रूप से रेत खनन कार्यों पर नए शुल्क से किया जाएगा।**
- **पारदर्शिता और जवाबदेहिता:** खनन गतिविधियों, परमिट की स्थिति और पर्यावरण संकेतकों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने वाला एक सार्वजनिक डैशबोर्ड स्थापित करूँगा।

निष्कर्ष:

गंगा नदी बेसिन में अवैध रेत खनन के समाधान हेतु प्रस्तावित दृष्टिकोण का उद्देश्य आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन के बीच संतुलन हासिल करना है। इस संदर्भ में **चरणबद्ध दृष्टिकोण को** लागू करके हम क्रमिक रूप से अधिक टिकाऊ प्रथाओं की ओर बढ़ते हुए आर्थिक व्यवधान को कम कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण इस क्षेत्र की वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को महत्त्व देने के साथ ही अधिक न्यायसंगत एवं धारणीय भविष्य हेतु एक स्पष्ट मार्ग निर्धारित करता है।

प्रश्न : आप एक घाटे में जा रही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नवनियुक्त कार्यकारी अधिकारी हैं, जिसे उद्यम के कायाकल्प की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। कंपनी की अक्षमता अत्यधिक कर्मचारियों और पुरानी कार्यपद्धतियों के कारण उपजी है। आपका विश्लेषण प्रदर्शित करता है कि 30% कर्मचारियों की छंटनी और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को कार्यान्वित करने से कंपनी को दो वर्ष के भीतर लाभदायक बनाया जा सकता है। यद्यपि, इससे पहले से ही उच्च बेरोज़गारी का सामना कर रहे क्षेत्र में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये काफी कठिनाई होगी।

नोट :

सरकार ने आधिकारिक तौर पर सुधारों का समर्थन करते हुए निजी तौर पर संकेत दिया है कि वे आगामी चुनावों से पहले छंटनी से बचना चाहते हैं। आपको यह पता है कि छंटनी की प्रक्रिया अल्पकालिक सामाजिक और राजनीतिक परिणामों के मूल्य पर कंपनी की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिये सबसे उपयुक्त मार्ग है। इस तथ्य से भलीभांति अवगत हुए आपको यह तय करना है कि कंपनी को छंटनी और सुधारों के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। यह मामला एक ऐसे नौकरशाही प्रारूप में पेशेवर नीतिपरकता, राजनीतिक दबाव और व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों के बीच तनाव को प्रकट करता है जहाँ पारंपरिक पदानुक्रम और नियम कम मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

1. इस मामले में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?
2. यह निर्णय लेते समय आपको किन नीतिपरक दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा?
3. प्रतिस्पर्द्धी हितों में संतुलन बनाते हुए आप इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाएंगे?

परिचय:

एक घाटे में जा रही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नवनियुक्त कार्यकारी अधिकारी के रूप में , आपके सामने आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों को कार्यान्वित करते हुए, 30% कार्यबल की **संभावित छंटनी के माध्यम से** दक्षता में सुधार लाने की चुनौती है।

- यद्यपि यह योजना **दीर्घकालिक लाभप्रदता के लिये आवश्यक है**, परंतु इससे पहले से ही उच्च बेरोज़गारी वाले क्षेत्र में कर्मचारियों के लिये भारी कठिनाई उत्पन्न होने का खतरा है।
- सरकार सुधारों का समर्थन करती है, परंतु आगामी चुनावों से पहले **छंटनी से बचना चाहती है**, जिससे पेशेवर नीतिपरकता, राजनीतिक दबाव और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है।
  - सफल कायाकल्प के लिये इन प्रतिस्पर्द्धी हितों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

1. इस मामले में कौन-कौन से हितधारक शामिल हैं?

हितधारक	भूमिका/रुचि
कार्यकारी अधिकारी	कंपनी के कायाकल्प के लिये कार्यनीतिक निर्णयन और नीतिपरकता तथा व्यवहार्यता के बीच संतुलन बनाने के लिये ज़िम्मेदार।
कर्मचारी	संभावित छंटनी से वे सीधे प्रभावित होंगे; उनकी नौकरी की सुरक्षा और आजीविका दांव पर होगी।
कर्मचारियों के परिवार	छंटनी से प्रभावित; क्षेत्र में आर्थिक कठिनाइयों और बढ़ती बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है।
सरकार	आगामी चुनावों के कारण रोज़गार के स्तर को बनाए रखने में रुचि; सुधारों का समर्थन कर सकते हैं लेकिन छंटनी का विरोध कर सकते हैं।
संघ प्रतिनिधि	कर्मचारियों के अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा की वकालत करना; छंटनी का विरोध करना और वैकल्पिक समाधानों पर बल देना।
स्थानीय समुदाय	कंपनी के परिचालन और छंटनी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से प्रभावित; स्थानीय रोजगार में रुचि।
निवेशक/ शेयरधारक	एक लाभदायक और संवहनीय व्यवसाय मॉडल की तलाश; यदि इससे दीर्घकालिक लाभ मिलता है तो छंटनी का समर्थन किया जा सकता है।
प्रबंधन टीम	परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिये ज़िम्मेदार; कर्मचारियों और कर्मचारी संघों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है।
परामर्शदाता/ सलाहकार	कायाकल्प के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं पर विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करें; परामर्श देने में नीतिपरक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
मिडिया	सार्वजनिक धारणा में भूमिका निभाता है तथा कंपनी और सरकार की कार्रवाइयों पर जनता की राय को प्रभावित कर सकता है।

2. इससे संबंधित निर्णयन के समय आपको किन नीतिपरक दुविधाओं का सामना करना पड़ा?

- **अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक परिणाम:** छंटनी से **कर्मचारियों और उनके परिवारों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा**, जिससे सामाजिक अशांति और राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाएगी।

नोट :

- सुधारों को कार्यान्वित करने में विफल रहने से **कंपनी का पतन हो सकता है**, जिसके परिणामस्वरूप पूरे कार्यबल की नौकरियाँ चली जाएंगी और क्षेत्र पर नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।

- **व्यक्तिगत बनाम संगठनात्मक नैतिकता:** कार्यकारी अधिकारी के व्यक्तिगत **नैतिक मूल्य** कंपनी के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये **संगठनात्मक अनिवार्यता के साथ संघर्ष कर सकते हैं।**
  - कंपनी को अपने शेयरधारकों और हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्य के लिये दीर्घकालिक व्यवहार्यता प्राप्त करने हेतु छंटनी जैसे कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं।
- **पारदर्शिता और उत्तरदायित्व:** कार्यकारी अधिकारी को यह निर्णय लेना होगा कि संभावित छंटनी और सुधारों के बारे में कर्मचारियों, सरकार **और जनता को कितनी जानकारी देनी है।**
  - कार्यकारी अधिकारी को कंपनी के प्रदर्शन तथा सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव दोनों के संदर्भ में **अपने निर्णय के परिणामों के लिये उत्तरदायी ठहराया जाएगा।**
- **राजनीतिक दबाव बनाम व्यावसायिक उत्तरदायित्व:** कार्यकारी अधिकारी को **छंटनी से बचने की सरकार की इच्छा** और कंपनी के सर्वोत्तम हित में निर्णयन के अपने व्यावसायिक दायित्व के बीच संतुलन बनाना होगा।
  - कार्यकारी अधिकारी **का प्राथमिक कर्तव्य कंपनी और उसके शेयरधारकों के प्रति है**, भले ही इसके लिये कठिन निर्णय लेने पड़ें, जिनके अल्पकालिक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

3. प्रतिस्पर्द्धी हितों में संतुलन बनाते हुए आप इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाएंगे ?

- **हितधारक परामर्श**
  - **कर्मचारियों के साथ संपर्क: स्थिति को पारदर्शी तरीके से समझाने** के लिये कर्मचारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें उनकी चिंताओं और छंटनी के संभावित प्रभावों को स्वीकार किया जा सकता है।
  - **सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद: सुधारों की तात्कालिकता पर सरकारी प्रतिनिधियों के साथ** चर्चा की जा सकती है, ताकि उनका रुख समझा जा सके और संभावित समझौतों का पता लगाया जा सके।
- **छंटनी के विकल्प का अन्वेषण**
  - **स्वैच्छिक पृथक्करण पैकेज:** अनिवार्य छंटनी के बिना कार्यबल की संख्या को कम करने के लिये **आकर्षक स्वैच्छिक निकास पैकेज की** पेशकश की जा सकती है।
  - **पुन: कौशलीकरण और पुन: नियोजन:** कंपनी के भीतर या अन्य क्षेत्रों में **विभिन्न भूमिकाओं के लिये कर्मचारियों को पुन: कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम** कार्यान्वित किया जा सकता है, जिससे उन्हें नौकरी गवाँए बिना परिवर्तन करने में सहायता मिले।
- **आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का कार्यान्वयन**
  - **संचालन कार्यक्रम: आधुनिक प्रबंधन प्रथाओं का परीक्षण करने के लिये लघु पैमाने की संचालन परियोजनाओं** से शुरुआत की जा सकती है तथा तत्काल छंटनी के बिना उनकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया जा सकता है।
  - **प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणालियाँ: खराब प्रदर्शन करने वाली भूमिकाओं की** पहचान करने के लिये प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन शुरू की जा सकती है तथा छंटनी पर विचार करने से पहले सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।
- **अभिदृष्टि का संप्रेषण**
  - **कार्यनीतिक संचार योजना: कंपनी के लिये दीर्घकालिक अभिदृष्टि को** रेखांकित करते हुए एक स्पष्ट संचार कार्यनीति विकसित की जा सकती है, जिसमें संवहनीयता और नौकरी की सुरक्षा के लिये सुधारों के लाभों पर बल दिया जा सकता है।
  - **नियमित अद्यतन:** विश्वास और पारदर्शिता बनाने के लिये सभी हितधारकों को प्रगति, चुनौतियों और कार्यनीति में बदलाव के बारे में सूचित रखें।
- **क्रमिक कार्यान्वयन**
  - **चरणबद्ध दृष्टिकोण: छंटनी** (यदि यह अंतिम उपाय है) **और सुधारों के चरणबद्ध कार्यान्वयन** पर विचार किया जा सकता है, जिससे समायोजन के लिये समय मिल सके और कार्यबल पर तत्काल प्रभाव कम हो सके।
  - **निगरानी और मूल्यांकन:** सुधारों और कर्मचारी भावना के प्रभाव का निरंतर मूल्यांकन किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार कार्यनीतियों को समायोजित करने के लिये तत्परता का प्रदर्शन किया जा सकता है।

नोट :

- **सहायता नेटवर्क का निर्माण**
  - **सामुदायिक सहभागिता:** प्रभावित परिवारों को नौकरी दिलाने वाली सेवाएँ या वित्तीय परामर्श जैसी सहायता प्रदान करने के लिये **स्थानीय सरकारों और सामुदायिक संगठनों** के साथ सहयोग किया जा सकता है।
  - **संघ की भागीदारी:** आवश्यक परिवर्तनों के लिये सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देने हेतु **चर्चा में श्रमिक संघों को** शामिल किया जा सकता है।
- **नैतिक विचारों को प्राथमिकता**
  - **नीतिशास्त्रीय ढाँचा: निर्णयन की प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाला** एक नीतिशास्त्रीय ढाँचा स्थापित किया जा सकता है, जो यह सुनिश्चित करें कि व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ-साथ कर्मचारी कल्याण पर भी विचार किया जाए।
  - **प्रतिपुष्टि प्रणाली: कर्मचारियों के लिये परिवर्तनों के संबंध में अपनी चिंताओं और सुझावों को व्यक्त करने के लिये** एक चैनल का निर्माण किया जा सकता है, जिससे स्वामित्व और भागीदारी की भावना को बढ़ावा मिले।

इन उपायों को अंगीकृत करके, मेरा लक्ष्य **संगठनात्मक दक्षता की आवश्यकता को कर्मचारियों और समुदाय के प्रति सामाजिक ज़िम्मेदारी के साथ संतुलित करना है**, जिससे अंततः उद्यम के लिये एक स्थायी कायाकल्प का संवर्द्धन हो सके।

निष्कर्ष:

घाटे में जा रही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के कायाकल्प में चुनौतियों का सामना करने के लिये **वित्तीय व्यवहार्यता और नीतिपरक ज़िम्मेदारी के बीच** एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। हितधारकों को शामिल करके, **छंटनी के विकल्प तलाश कर** और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को कार्यान्वित करके, कार्यकारी अधिकारी पारदर्शिता और सहयोग की संस्कृति को संवर्द्धित कर सकता है। अंततः, एक **विचारशील और समावेशी दृष्टिकोण एक स्थायी कायाकल्प का मार्ग प्रशस्त कर** सकता है, जिससे कंपनी और उसके व्यापक समुदाय दोनों को लाभ होगा।

प्रश्न : आप एक ऐसे ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं जो अपनी जटिल सामाजिक गतिशीलता और कभी-कभी सांप्रदायिक तनाव के लिये जाना जाता है। हाल ही में, अल्पसंख्यक समूहों के विरुद्ध कथित घृणास्पद भाषण के लिये बहुसंख्यक समुदाय के एक प्रमुख धार्मिक नेता को गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि यह गिरफ्तारी विधिक रूप से उचित है, परंतु इसने उनके अनुयायियों के बीच व्यापक विरोध और अशांति को उत्पन्न कर दिया है, जो दावा करते हैं कि यह एक राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाई है।

जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है, आपको खुफिया जानकारी प्राप्त होती है कि चरमपंथियों का एक समूह जवाबी कार्रवाई में अल्पसंख्यकों के स्वामित्व वाले व्यवसायों और पूजा स्थलों को नष्ट करने की योजना बना रहा है। आपके सूत्रों का सुझाव है कि भड़काने वालों को कार्रवाई करने से पहले गिरफ्तार करना हिंसा को रोक सकता है। यद्यपि, आपको यह भी पता चलता है कि मुख्य आयोजकों में से एक प्रभावशाली राज्यमंत्री का बेटा है। आपके तत्काल वरिष्ठ, महानिरीक्षक, सूक्ष्म रूप से संकेत देते हैं कि इन निवारक गिरफ्तारियों के साथ आगे बढ़ना आपके कैरियर की संभावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, इसके बजाय वह "घटना घटने के बाद" सामान्य पुलिस उपस्थिति बढ़ाने और किसी भी घटना से निपटने का सुझाव देते हैं।

जैसे-जैसे समय बीतता है और तनाव बढ़ता है, आपको ऐसा निर्णय लेना होगा जो विधि व्यवस्था बनाए रखने के आपके कर्तव्य, आपकी कैरियर संबंधी आकांक्षाओं और आपके ज़िले की जटिल सामाजिक गतिशीलता के बीच संतुलन स्थापित कर सके।

1. इस स्थिति में प्रमुख हितधारक कौन हैं?
2. इस स्थिति में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
3. सार्वजनिक सुरक्षा, राजनीतिक दबाव और आपकी नीतिपरक ज़िम्मेदारी के लिये संभावित ज़ोखिम को ध्यान में रखते हुए आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी?

परिचय:

पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक नाजुक स्थिति है, जिसमें एक धार्मिक नेता की गिरफ्तारी शामिल है, जिससे अशांति फैल गई है और उनके अनुयायियों की ओर से संभावित हिंसा का खतरा उत्पन्न हो गया है।

- **निवारक गिरफ्तारी करने** या अपने करियर की सुरक्षा करने की दुविधा का सामना करते हुए, पुलिस अधीक्षक को राजनीतिक दबावों और संवेदनशील सामुदायिक गतिशीलता से निपटते हुए न्याय को संधारित करना होगा।
- विधिक संबंधी सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देकर और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देकर, पुलिस अधीक्षक का उद्देश्य शांति बनाए रखना और दीर्घकालिक सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना है।

नोट :

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में प्रमुख हितधारक कौन हैं?

हितधारक	भूमिका/पद	रुचियाँ/चिंताएँ
पुलिस अधीक्षक	विधि प्रवर्तन मार्गदर्शक	विधि-व्यवस्था बनाए रखना, सामुदायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और करियर की आकांक्षाएँ
पुलिस महानिरीक्षक	वरिष्ठ अधिकारी	करियर संबंधी निहितार्थ, पुलिस प्रतिक्रिया का प्रबंधन, राजनीतिक संबंध का अनुरक्षण
धार्मिक नेता (गिरफ्तार)	सामुदायिक व्यक्ति	अनुयायियों के लिये वकालत, कथित अन्याय और सामुदायिक भावनाओं पर प्रभाव
बहुसंख्यक समुदाय	धार्मिक नेता के अनुयायी	अपने समुदाय की सुरक्षा, गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक उद्देश्य और एकजुटता की अभिव्यक्ति
अल्पसंख्यक समुदाय	घृणास्पद भाषण और संभावित हिंसा का लक्ष्य	सुरक्षा और संरक्षा, उनके व्यवसायों और पूजा स्थलों का संरक्षण तथा सामुदायिक संबंध
चरमपंथी समूह	हिंसा के संभावित अपराधी	प्रतिशोधात्मक कार्रवाई, राजनीतिक निहितार्थ और अल्पसंख्यक समुदायों में भय उत्पन्न करना
स्थानीय सरकार	राजनीतिक अधिकार	सार्वजनिक छवि, सामुदायिक संबंधों का प्रबंधन तथा शांति एवं व्यवस्था का अनुरक्षण
मिडिया	सूचना प्रसारक	घटनाओं पर रिपोर्टिंग, सार्वजनिक धारणा का संरूपण तथा सार्वजनिक भावना पर संभावित प्रभाव
नागरिक समाज संगठन	शांति और सामुदायिक सद्भाव के पक्षधर	संवाद को प्रोत्साहन, तनाव न्यूनीकरण और प्रभावित समुदायों को समर्थन

2. इस स्थिति में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

- **कर्तव्य बनाम करियर उन्नति:** केंद्रीय संघर्ष **सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करने और हिंसा को रोकने के कर्तव्य** एवं अपने करियर की संभावनाओं को सुरक्षित रखने के दबाव के बीच है।
  - मंत्री के बेटे सहित भड़काने वालों को गिरफ्तार करके निर्णायक कार्रवाई करने से हिंसा को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है, परंतु इससे करियर की उन्नति खतरे में पड़ सकती है।
  - इसके विपरीत, **वरिष्ठ के सुझाव का पालन करने से करियर की संभावनाएँ तो सुरक्षित रह सकती हैं**, परंतु निर्दोष लोगों और व्यवसायों को होने वाले नुकसान को रोकने में असफल हो सकती हैं।
- **विधि का समान प्रयोग बनाम राजनीतिक प्रभाव:** सभी नागरिकों पर समान रूप से विधि का कार्यान्वयन, चाहे उनका संबंध कुछ भी हो और **राजनीतिक दबाव के आगे समर्पण के बीच स्पष्ट तनाव मौजूद है।**
  - मंत्री के बेटे को गिरफ्तार करने से **विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का अनुरक्षण होगा,** परंतु उसके पिता के प्रभाव के कारण उसकी संलिप्तता को नज़रअंदाज़ करने से राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों के लिये **अधिमान्य व्यवहार की प्रणाली सुदृढ़ होगी।**
- **सक्रिय बनाम प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग: किसी अपराध को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठाने (निवारक गिरफ्तारियाँ)** या अधिक प्रतिक्रियात्मक रुख अपनाने **(घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिये पुलिस की उपस्थिति बढ़ाना)** के बीच निर्णय लिया जाना चाहिये।
  - इससे निवारक निरोध की वैधता और संभावित अपराधियों को **अपराध न करने का विकल्प देने के संबंध में नैतिक प्रश्न उठते हैं।**
- **व्यक्तिगत अधिकार बनाम सामूहिक सुरक्षा:** निवारक गिरफ्तारियाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि व्यक्तियों को उन अपराधों के लिये हिरासत में लिया जाएगा जो उन्होंने अभी तक नहीं किये हैं।
  - यद्यपि, ऐसी कार्रवाइयों से अल्पसंख्यक समुदाय और उनकी संपत्तियों की सामूहिक सुरक्षा हो सकती है।
  - **शांति के अनुरक्षण** और कमज़ोर समूहों की सुरक्षा के व्यापक हित के विरुद्ध **व्यक्तिगत अधिकारों का मूल्यांकन करना महत्त्वपूर्ण है।**
- **निष्पक्षता बनाम सामुदायिक गतिशीलता:** एक पुलिस अधिकारी के रूप में, **निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है।** यद्यपि, स्थिति में जटिल सामुदायिक गतिशीलता मुख्य चिंता का विषय है, जिसमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के बीच तनाव शामिल है।
  - **उठाए गए कदमों को एक समुदाय को दूसरे समुदाय के मुकाबले अधिक लाभ पहुँचाने वाला माना जा सकता है,** जिससे मौजूदा तनाव और बढ़ सकता है।

नोट :

- **अल्पकालिक शांति बनाम दीर्घकालिक न्याय: भड़काने वालों को गिरफ्तार न करने का निर्णय लेने** से बहुसंख्यक समुदाय की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया से बचकर अल्पकालिक शांति स्थापित हो सकती है।
  - यद्यपि, इससे **दीर्घकालिक न्याय** और सामाजिक सद्भाव की हानि होती है, क्योंकि इससे चरमपंथियों को दंड से मुक्ति मिल जाएगी तथा अल्पसंख्यक समूहों को और अधिक हाशिये पर धकेला जा सकेगा।
- **व्यावसायिक सत्यनिष्ठता बनाम प्रणालीगत दबाव:** यह स्थिति प्रणालीगत दबावों के विरुद्ध व्यावसायिक सत्यनिष्ठता का परीक्षण करती है।
  - जो सही माना जाता है उसके पक्ष में खड़ा होना **किसी व्यक्ति को उस व्यवस्था में अलग-थलग कर सकता है**, जो सख्त विधि प्रवर्तन की तुलना में राजनीतिक विचारों को प्राथमिकता देती है।
- **पारदर्शिता बनाम गोपनीयता:** योजनाबद्ध आपराधिक गतिविधियों के बारे में गोपनीय खुफिया जानकारी एक नैतिक दुविधा प्रस्तुत करती है कि **क्या इस जानकारी को कार्यों को उचित ठहराने के लिये सार्वजनिक किया जाए** या स्रोतों और तरीकों की सुरक्षा के लिये इसे गोपनीय रखा जाए।

3. सार्वजनिक सुरक्षा, राजनीतिक दबाव और आपकी नीतिपरक ज़िम्मेदारी के लिये संभावित जोखिम को ध्यान में रखते हुए आपकी कार्यवाही क्या होगी?

- **विधिक सुरक्षा के साथ निवारक कार्रवाई:** मैं निवारक गिरफ्तारियाँ करूँगा, **जिसमें मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी भी शामिल है** तथा यह भी सुनिश्चित करूँगा कि **प्रत्येक कार्रवाई का सावधानीपूर्वक दस्तावेज़ीकरण किया गया हो तथा विधिक रूप से उचित हो।**
  - मैं विस्तृत खुफिया रिपोर्ट तैयार करूँगा और इन गिरफ्तारियों की आवश्यकता के समर्थन में यथासंभव साक्ष्य संगृहीत करूँगा।
  - मैं **उचित वारंट प्राप्त करने के लिये स्थानीय मजिस्ट्रेट को शामिल करूँगा,** जिससे मेरे कार्यों के लिये विधिक जाँच और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर जुड़ जाएगा।
- **पारदर्शी संचार:** गिरफ्तारियों के तुरंत बाद, मैं स्थिति को स्पष्ट करने के लिये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूँगा, **जिसमें कार्रवाई की गैर-भेदभावपूर्ण प्रकृति** और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर इसके आधार पर बल दिया जाएगा।
  - मैं स्पष्ट रूप से इस तथ्य को प्रकाशित करूँगा कि ये **गिरफ्तारियाँ निवारक और अस्थायी हैं** तथा जाँच लंबित रहने तक सुरक्षा आवश्यकताओं और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये की गई हैं।
- **राजनीतिक संलग्नता:** गिरफ्तारियाँ करने से पहले, मैं उच्च पदस्थ अधिकारी को स्थिति के विषय में जानकारी प्रदान करूँगा।
  - **मैं निष्क्रियता के संभावित परिणामों** और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये अपनी योजनाबद्ध कार्रवाई के विधिक आधार को प्रस्तुत करूँगा तथा संचार के उचित प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करूँगा।
- **सामुदायिक अभिगम्यता: मैं** वर्तमान तनाव पर चर्चा करने और सद्भाव के अनुरक्षण हेतु सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिये एक **आपातकालीन शांति समिति की बैठक** आयोजित करूँगा।
- **सुरक्षा उपाय का संवर्द्धन:** गिरफ्तारियों के दौरान, मैं **संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाने के सुझाव को भी कार्यान्वित करूँगा।**
  - मैं किसी भी प्रकार की हिंसा की स्थिति से तुरंत निपटने के लिये **कार्यनीतिक रूप से त्वरित प्रतिक्रिया दल** को परिनियोजित करूँगा।
- **आंतरिक उत्तरदायित्व:** मैं इस स्थिति के संबंध में अपने वरिष्ठ के साथ सभी संवादों का दस्तावेज़ीकरण करूँगा, **जिसमें करियर की संभावनाओं के विषय में कोई भी संकेत शामिल होगा।**
  - **यदि संभव होगा तो मैं अपने कार्यों की सत्यनिष्ठा के लिये गवाह** तैयार करने हेतु निर्णयन की प्रक्रिया में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों या **पुलिस निरीक्षण समिति को शामिल करूँगा।**

निष्कर्ष:

आगे बढ़ते हुए, मैं **सक्रिय पुलिसिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध हूँ जो रोकथाम, सामुदायिक संलग्नता और पारदर्शिता पर बल देती है।** मैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिये कार्य करूँगा ताकि विश्वास का निर्माण हो सके और शांति बनाए रखने के लिये एक सहयोगी दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके। सामाजिक परिदृश्य की जटिलताओं को पहचानते हुए, मैं **उन सुधारों की वकालत करूँगा जो सांप्रदायिक तनाव और** विधि प्रवर्तन में राजनीतिक हस्तक्षेप को संबोधित करते हैं, जिसका उद्देश्य अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण प्रणाली का निर्माण है।

■■■

नोट :

निबंध

1. स्वतंत्रता एक ऐसा नाजुक फूल है, जिसे दमनरूपी धाराओं द्वारा आसानी से कुचल दिया जाता है।
2. अत्यधिक उन्नति की आकांक्षा समृद्धि एवं निर्धनता, दोनों को जन्म दे सकती है।
3. वृक्ष को उगाने हेतु सर्वप्रथम बीज बोना आवश्यक है।
4. समता रहित विकास, रेत पर बने घर जैसा होता है।
5. नैतिकता सामाजिक मानदंडों के संविन्यास में प्रवाहित होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें हैं।
6. चेतना, आत्म-प्रतिबिंब में ब्रह्माण्ड की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का प्रयोग है।
7. जड़ें शाखाओं से अधिक पुष्ट होती हैं।
8. प्रकृति ही एकमात्र पुस्तक है जिसमें वास्तविक ज्ञान निहित होता है।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :